

षोडश माला, खंड 09, अंक 29

मंगलवार, 5 मई, 2015

15 वैशाख, 1937 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

**© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

---

**अस्वीकरण**

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद-विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंग के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

## विषय-सूची

षोडश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 29, मंगलवार, 5 मई, 2015 / 15 वैशाख, 1937 (शक)

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
<b>अध्यक्ष द्वारा उल्लेख</b>	
4 मई, 2015 को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बस दुर्घटना में 21 लोगों की कथित मृत्यु और 12 अन्य व्यक्तियों के जलने की सूचना	13
<b>प्रश्नों के मौखिक उत्तर</b>	
*□ तारांकित प्रश्न संख्या 541 से 543	16-30
<b>प्रश्नों के लिखित उत्तर</b>	31
तारांकित प्रश्न संख्या 544 से 560	
अतारांकित प्रश्न संख्या 6199 से 6428	

---

\*□ किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

32-43

राज्य सभा से संदेश

44

रेल संबंधी स्थायी समिति

पाँचवाँ तथा छठा प्रतिवेदन

45

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

255वां से 257वां प्रतिवेदन

46

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री रामविलास पासवान

47

(दो) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री राधा मोहन सिंह

47

(तीन) निःशक्त व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित ' निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री थावर चंद गहलोत

48

**कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव**

49

**सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) तेलंगाना में अलग से एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने में विफलता के बारे में

52

(दो) भारत के पूर्वी क्षेत्र में 61 दिनों तक मछली पकड़ने पर पूर्ण और एक समान प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्रीय सरकार के कथित निर्णय के बारे में

195-199

(तीन) स्वर्गीय मल्ली मस्तान बाबू, पर्वतारोही को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में

200-202

**राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015**

58

**नियम 377 के अधीन मामले**

67-89

(एक) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में पेयजल की भारी कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र

67-68

(दो) उन सभी जिलों में जहां बेमौसम बरसात हुई है और ओले पड़े हैं, पीड़ित किसानों हेतु कर्ज माफी योजना की घोषणा करने और फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिये एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार

69

(तीन) देश में विशेष रूप से कर्नाटक में टोल प्लाजाओं पर अधिक और गैर कानूनी टोल टैक्स की वसूली की घटनाओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रह्लाद जोशी

70

(चार) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों की सूची में जल संचय भंडारों का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार और अनुरक्षण के कार्य को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

श्री लल्लू सिंह

71-72

(पांच) राजस्थान में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार की धनराशि के अंश को जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री चाँद नाथ

73

(छह) देश में विशेष रूप से लुधियाना में गिरते हुए वस्त्र निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री रवनीत सिंह

74

(सात) चमड़ा उद्योग को पूर्व में उपलब्ध रियायतों की बहाली किए जाने की आवश्यकता

श्री बी. सेनगुट्टुवन

75-76

(आठ) ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खरियार और बागड़ में केंद्रीय विद्यालय के विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अर्का केशरी देव

77

(नौ) महाराष्ट्र के मावल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में माथेरान हिल स्टेशन पर बैटरी संचालित रिक्शा चालू किये जाने और रोप वे प्रणाली का विकास किये जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

78

(दस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य कराये जाने की आवश्यकता

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु

79

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में सूखे की स्थिति से पीड़ित लोगों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन

80

(बारह) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता

81

(तेरह) मध्य प्रदेश के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता दिये जाने की आवश्यकता

श्री राकेश सिंह

82

(चौदह) राजस्थान के जयपुर में पानी की भारी कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री रामचरण बोहरा

83

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश विशेष रूप से संत कबीर नगर जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्री शरद त्रिपाठी

84

(सोलह) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जारी रखे जाने की आवश्यकता

श्री गौरव गोगोई

85

(सत्रह) उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में सुजानगढ़ स्टेशन के पास उत्तर पश्चिम साइड में एकत्र शहर के गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां

86

**संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014**

87-90

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

87

खंड 1 और 5

88-90

संशोधन पर सहमति

90

**प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014**

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

91

विचार करने के लिए प्रस्ताव

91

खंड 1

92

संशोधन पर सहमति

93

**संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014**

श्री अरुण जेटली	107-115
श्री एम. वीरप्पा मोइली	113-123
श्री नन्द कुमार चौहान	124-127
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	128-134
श्री कल्याण बनर्जी	135-138
श्री भर्तृहरि महताब	139-145
श्री राहुल शेवाले	146-148
डॉ. रविन्द्र बाबू	149-152
श्री कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी	153-157
श्री जितेन्द्र चौधरी	158-160
श्री वारा प्रसादराव वेलगापल्ली	161-164
श्रीमती सुप्रिया सुले	165-170
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	171-173
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	174-176

श्री जोस के. मणि	177-178
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	179-182
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	183-186
श्री सी. एन. जयदेवन	187-188
श्री अधीर रंजन चौधरी	189-192
श्री रत्न लाल कटारिया	193-194

### **अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी**

विधेयक को स्थायी समिति को सौंपना	111
----------------------------------	-----

लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्रीमती सुमित्रा महाजन

**उपाध्यक्ष**

डॉ. एम. तंबिदुरै

**सभापति तालिका**

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

**महासचिव**

श्री अनूप मिश्र

## लोक सभा वाद-विवाद

---

---

लोक सभा

-----

मंगलवार, 5 मई, 2015 / 15 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

### अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

4 मई, 2015 मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बस दुर्घटना में 21 लोगों की कथित मृत्यु और 12 अन्य व्यक्तियों के जलने की सूचना

[हिन्दी]

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, 4 मई, 2015 को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बस के नाले में गिरने और उसमें आग लगने के परिणामस्वरूप 21 व्यक्तियों की बुरी तरह से जल जाने के कारण मृत्यु होने और अन्य 12 व्यक्तियों के आग से जख्मी होने की सूचना मिली है।

यह सभा इस दुःखद घटना पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है, जिसने शोक-संतप्त परिवारों को अत्यंत दुःख और पीड़ा पहुंचायी है। यह सभा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में अब थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

*तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।*

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री ए.पी. जितेंदर रेड्डी, प्रेम सिंह चंदूमाजरा, के.वी. थॉमस, एन.के. प्रेमचन्द्रन, के.सी. वेणुगोपाल, एम.बी. राजेश, पी. करुणाकरन, पी.के. श्रीमथि टीचर, भगवंत मान, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रवनीत सिंह, संतोख सिंह चौधरी और कोडिकुन्नील सुरेश से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। हालांकि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आगे की कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है। इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अस्वीकृत कर दिया है।

...(व्यवधान)

**कैप्टन अमरिंदर सिंह (अमृतसर):** महोदया, पंजाब में कानून-व्यवस्था की समस्या है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपको इस मुद्दे को 'शून्य काल' में उठाने की अनुमति दूँगी।

...(व्यवधान)

**श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर):** यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** इसकी अनुमति नहीं है। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आप इस तरह की चीजें नहीं दिखा सकते हैं। मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि ऐसा न करें।

...(व्यवधान)

**पूर्वाह्न 11.04 बजे**

इस समय श्रीमती कविता कल्वाकुंतला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपको अपने मामले को 'शून्य काल' में उठाने की अनुमति दूँगी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** इसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। कृपया इन सभी चीजों को यहां प्रदर्शित न करें।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब, हम प्रश्न संख्या 541 लेते हैं - श्री लक्ष्मी नारायण यादव

...(व्यवधान)

**पूर्वाह्न 11.04 1/2 बजे****प्रश्नों के मौखिक उत्तर\*****माननीय अध्यक्ष:** श्री लक्ष्मी नारायण यादव।**(प्रश्न संख्या 541)**

[हिन्दी]

**श्री लक्ष्मी नारायण यादव:** माननीय अध्यक्ष महोदया, फूड प्रोसेसिंग का कृषि और हॉर्टिकल्चर से बहुत गहरा संबंध होता है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके खण्ड - ई में यह बताया है कि किस प्रकार से भारत सरकार विभिन्न प्रकार की सहूलियतें दे कर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना चाहती है। प्रश्न के उत्तर के एनेक्शर - एक में बताया गया है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फूड प्रोसेसिंग के विस्तार के लिए कम राशि गई है। ...(व्यवधान) उन्होंने कभी इस बात पर विचार किया है कि क्या कारण हैं कि जो प्रदेश कृषि और हॉर्टिकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, उनमें फूड प्रोसेसिंग का काम बहुत कम हो रहा है?... (व्यवधान) उनके मंत्रालय और उनकी सोच के आधार पर, इसके क्या कारण हैं? ... (व्यवधान)

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहती हूँ कि उनकी बात बिल्कुल सही है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया ध्यान दें, इन तख्तियों आदि की अनुमति सदन में नहीं है। मैं लगातार चेतावनी दे रही हूँ।

---

\* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप सभी कृपया अपनी-अपनी सीटों पर लौट जाएँ और इन तख्तियों को प्रदर्शित न करें।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** नहीं, मैं आप सभी से अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध कर रही हूँ। आप 'शून्य काल' के दौरान जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। कोई तख्तियां आदि नहीं दिखाई जानी चाहिए।

...(व्यवधान)

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू):** महोदया, मामला अदालत के समक्ष है। ... (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने कहा है कि हम अलग अदालत के पक्ष में हैं। ... (व्यवधान) मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। ... (व्यवधान) उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पी.आई.एल.) विचाराधीन है। ... (व्यवधान) सरकार तेलंगाना के लिए अलग उच्च न्यायालय की पक्षधर है और यह बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। ... (व्यवधान) तख्तियां दिखाना उचित नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया तख्तियां छोड़ दें। ... (व्यवधान) कृपया इन तख्तियों का प्रदर्शन न करें, अन्यथा यह एक अनुचित परंपरा बन जाएगी। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहती हूँ कि उनकी बात बिल्कुल सही है कि फूड प्रोसेसिंग सैक्टर का हरेक राज्य में और खास तौर से किसानों को ऊपर उठाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ... (व्यवधान) जहां तक मंत्रालय की स्कीम्स हैं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि यह मंत्रालय अपने आप कोई स्कीम वहां पर नहीं लगाता है। ... (व्यवधान) लेकिन एक ऐसा एंवायरमेंट

बनाने के लिए तीन खास स्कीम्स हैं, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। ... (व्यवधान) एक मेगा फूड पार्क की स्कीम है, दूसरी कोल्ड चेन की स्कीम है और तीसरी नैशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग की स्कीम है। ... (व्यवधान) राज्य अपने आप इनको आगे ले जाते हैं। ... (व्यवधान) पहली दो स्कीम्स मंत्रालय के द्वारा लगाई जाती हैं। ... (व्यवधान) इनको लगाने के लिए मंत्रालय के द्वारा कुछ ग्रांट एवं सब्सिडी आदि दी जाती है और एक्सप्रेसन ऑफ इंटरैस्ट इंवाइर्ट किया जाता है कि जो लोग लगाना चाहते हैं, वे अप्लाई करें। ... (व्यवधान) जो लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से जो क्राइटेरिया मीट करते हैं, उनको यह लगाने का मौका मिलता है। ... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश की बात की है, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए दो मेगा फूड पार्क ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। ... (व्यवधान) जिनका काम-काज चल रहा है। ... (व्यवधान) मुझे उम्मीद है कि इस साल उसकी इन्फ्रेशन बहुत जल्दी ही होगी। ... (व्यवधान) तीन कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स हमने मध्य प्रदेश में अप्रूव किए हैं, दो अन्य चालू भी हो चुके हैं। ... (व्यवधान) इसके अलावा नैशनल मिश्र ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा सरकार हरेक राज्य को ग्रांट देती है कि वह प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए जिस मर्जी तरीके से इस पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकती हैं। ... (व्यवधान) मंत्रालय की तरफ से मध्य प्रदेश को तकरीबन 25 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई है, जिसमें से अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने केवल 18 करोड़ रुपये की यूटिलाइजेशन की है। ... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को कहूंगी कि वे जो यूटिलाइजेशन कराना चाहते हैं, वह अपनी राज्य सरकार के द्वारा करा सकते हैं और अब 14वें वित्त आयोग की नई गाईडलाइंस के हिसाब से यह पूरी ग्रांट सीधे राज्यों को जाती है। ... (व्यवधान) मेरे मंत्रालय से भी पैसा जाने की जरूरत नहीं है, उनकी इंक्रिज्ड एलोकेशन से ही ये अपना काम फूड प्रोसेसिंग में आगे बढ़ा सकते हैं। ... (व्यवधान)

**श्री लक्ष्मी नारायण यादव :** महोदया, असल में इसके पूर्व भी इस प्रकार का एक प्रश्न उठा था, ... (व्यवधान) जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि किस प्रकार से देश में दो इंस्टिट्यूट्स खास तौर से इस बात के लिए स्टैब्लिश किए गए हैं, ... (व्यवधान) जहां पर लोगों को एंटरप्रिन्योरशिप और दूसरे प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ... (व्यवधान) मैं माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बैकवर्ड इलाके हैं, जहां संभावनाएं

ज्यादा हैं, क्या वे वहां ऐसे एकाध इंस्टीट्यूट शुरू करेंगी ताकि लोगों में एन्टरप्रिन्योरशिप डेवलप हो सके, वे इस प्रकार से सोच सकें और नई इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करने में सहायक हो सकें?... (व्यवधान)

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** महोदया, हमारे मंत्रालय में दो इंस्टीट्यूट्स हैं, एक आईआईसीपीटी, तमिलनाडु में हैं और दूसरा निफ्टम, हरियाणा में है... (व्यवधान) निफ्टम फूड एन्टरप्रिन्योर मैनेजर्स बनाने के लिए, एन्टरप्रिन्योरशिप को एम.टेक. और बी.टेक. के कोर्सेज कराते हैं... (व्यवधान) इन कोर्सेज में ही एक आउटरीच प्रोग्राम है, जहाँ पर ये स्टूडेंट्स अपनी मर्जी के दस गाँव सिलेक्ट करके, एडॉप्ट करके, साल में वहां दस दिन लगाकर उन गाँव वाले लोगों को ट्रेनिंग और नॉलेज इम्पार्ट करते हैं... (व्यवधान) जो आईआईसीपीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नॉलाजी, तमिलनाडु में है, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एक और यह शुरू किया है कि अलग-अलग तरह के किसानों को स्किल इम्पार्ट करने के लिए, कि वह जो फसल उगाता है, इंस्टीट्यूट में कुछ हफ्ता, तीन, चार या दस दिन लगाकर उसके बारे में सीख सकता है कि उसको प्रोसेस करके आगे उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकता है। इसकी उनको इंस्टीट्यूट में ही ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा मंत्रालय कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स और नहीं खोल सकता है। नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहें, कोई कैंप लगाना चाहें, कोई प्रोसेसिंग के बारे में सिखाना चाहें तो इसका स्टेट्स को पूरा आधिकार है और फ्लेक्सिबिलिटी है... (व्यवधान) जैसा मैंने इनको बताया कि नेशनल मिशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग में 25 करोड़ रुपए इनके स्टेट को एलोकेटेड हैं... (व्यवधान) किसी भी काम के लिए चाहे किसान को ट्रेड करने के लिए या कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, किसी चीज के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। इन तस्खतियों को न दिखानें; अन्यथा, मुझे कार्रवाई करनी होगी। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.12 बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर बीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

---

**पूर्वाह्न 11.20 बजे**

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर बीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

...(व्यवधान)

इस समय श्रीमती कविता कल्वाकुंतला, श्री बी. विनोद कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाएँ। मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान अवसर दूँगी। यदि उस समय सरकार उत्तर देने के लिए तैयार हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी नहीं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप यहां से नहीं बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप इस मुद्दे को 'शून्य काल' के दौरान उठाएँ। अगर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, तो मैं अनुमति दूँगी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** ऐसा नहीं होगा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** जो भी हो, आपके मंत्री जी जवाब दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 542

...(व्यवधान)

**पूर्वाह्न 11.21 बजे****\*प्रश्नों के मौखिक उत्तर...जारी**

**माननीय अध्यक्ष:** श्री राजेश वर्मा।

**(प्रश्न संख्या 542)**

[हिन्दी]

श्री राजेश वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि क्या सरकार ने देश में इमारती और चंदन की लकड़ी की बढ़ती तस्करी और बहुमूल्य प्रजातियों के वृक्षों की अवैध कटाई पर ध्यान दिया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर देने का प्रयास किया है। लेकिन चार राज्यों का ही इन्होंने सदन को डीटेल दी है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और असम शामिल हैं। जो जवाब आया है, उसमें भी केवल चंदन और लाल चंदन की तस्करी से रिलेटेड जवाब आया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना था कि इमारती और चंदन की लकड़ी की तस्करी का राज्यवार ब्यौरा क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य में जंगल का एक बहुत बड़ा इलाका है। पीलीभीत जनपद से लगा हुआ पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच और बाराबंकी होते हुए नेपाल बार्डर गोरखपुर तक पूरा जंगल का क्षेत्र है। इस जंगल के क्षेत्र में बड़ी बेशकीमती इमारती लकड़ी जैसे सागौन और साखू की इस इलाके से बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। हमें उत्तर

---

\* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

प्रदेश के संबंध में कोई भी जवाब नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य से तस्करी के कितने केसेज आपके पास आए हैं, कितना केन्द्र सरकार को नुकसान हुआ है और कितना पर्यावरण को नुकसान हुआ है?

**श्री प्रकाश जावड़ेकर :** माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह एक मात्रा में सही है क्योंकि उन्होंने एक जगह उत्तर प्रदेश का पूछा है लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी स्मगलिंग क्योंकि टिंबर और सैंडलवुड की थी, तो सैंडलवुड और रैड सैंडर के बारे में डीटेल्स दी हैं। लेकिन जो आपने मांगा है कि दूसरी लकड़ी की भी कटाई होती है, वह सच है। जो कटाई होती है, उसकी स्मगलिंग होती है, लेकिन ज्यादा स्मगलिंग सैंडलवुड और रैड सैंडर की होती है। उसके बारे में विस्तार से दिया है और बाकी जो जानकारी उत्तर प्रदेश के संबंध में है, वह मैं आपको लिखित रूप से दूँगा।

**श्री राजेश वर्मा :** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इसका विस्तार से जवाब हमें देंगे। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने जिस इलाके का आपको जिक्र किया है, उस इलाके से नदी के माध्यम से, जलमार्ग से शारदा नदी, घाघरा नदी, सरयू नदी, इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर सागौन और साखू की लकड़ी की तस्करी सीतापुर, लखनऊ और बाराबंकी की तरफ होती है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस जलमार्ग से हो रही इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कोई जरूरी उपाय करेंगे?

**श्री प्रकाश जावड़ेकर:** पीलीभीत से बहराइच तक सागवान की जिस तरह से तीन नदियों के माध्यम से लखनऊ तक भी स्मगलिंग होती है, वह इल्लिगल कटाई का परिणाम है और इसके लिए हम एक विशेष दल, एक इंस्पैक्शन टीम भेजेंगे और उससे दो महीने में उसकी रिपोर्ट मांगेंगे।

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल :** अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न है, वह भी उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है। यह सम्भवतः कम जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर के पास जो अभयारण्य है, दक्षिण भारत के अलावा वहीं पर चन्दन के प्रचुर मात्रा में पेड़ पाये जाते हैं, जैसा कि हमारे प्रश्नकर्ता ने भी प्रश्न किया है, वहां से चन्दन के अलावा भी

अन्य सब कीमती लकड़ी की स्मगलिंग होती रही है, खास तौर से चन्दन के विषय में जब आर.टी.आई. के माध्यम से जानकारी ली गई तो वहां पर कोई रिकार्ड नहीं है। पूछा गया कि कितने पेड़ हैं तो गिनती नहीं की गई है। जो वहां के विभाग ने तस्करी किए हुए पेड़ों की आमदनी दिखाई है, उसमें चन्दन के पेड़ों का जिक्र ही नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हस्तिनापुर की इस सैंक्चुरी का भी इसके अन्दर संज्ञान लेकर वहां कुछ कार्य करने की या स्मगलिंग रोकने की कुछ योजना है?

**श्री प्रकाश जावड़ेकर:** कोयम्बटूर की हमारी जंगल की इन्वेंटरी का अध्ययन करने वाली जो एक संस्था है, उसके माध्यम से हम उसकी गिनती कर रहे हैं। हर राज्य में सेंडल की और रैंड सेंडल की इन्वेंटरी कितनी है, उसकी जल्दी ही रिपोर्ट आएगी, वह वर्क इन प्रोग्रेस है।

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपसे फिर अनुरोध करती हूं, कृपया अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। मैं आपको शून्य काल में बोलने का अवसर दूंगी। कृपया अपनी सीटों पर जाएं। यदि उस समय वे उत्तर देना चाहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी नहीं। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं आपको शून्य काल में अनुमति दूंगी। आप उस समय मुद्दा उठा सकते हैं, अभी नहीं। यह कोई तरीका नहीं है। आपको इस तरह से कोई जवाब नहीं मिलेगा।

[हिन्दी]

साध्वी साविज्ञा बाई फूले - उपस्थित नहीं।

श्री जगदम्बिका पाला।

**(प्रश्न संख्या 543)**

**श्री जगदम्बिका पाल:** अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से देश के वन और सीमावर्ती क्षेत्र में जो सड़कें हैं, रास्ते हैं, पुल हैं, पुलिया हैं, उनके निर्माण हेतु जो स्वीकृतियां जारी की हैं, काफी विस्तार से इन्होंने उत्तर दिया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से पांच किलोमीटर की हवाई दूरी है, उसमें जो सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल और जो सैण्ट्रल बोर्डर रोड संगठन है, वह सड़कों का और पुलियों के निर्माण का काम करती है, ऐसे लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से 100 किलोमीटर तक करती है। 03.02.2015 को आपने एक आधिसूचना जारी की है और उसमें आपने स्कोपिंग अपेक्षा के लिए जो जन सुनवाई का आधिकार दिया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि ऐसी वे सड़कें, जो फोरैस्ट प्रोटैक्शन एक्ट, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अपेक्षित हैं, केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने उसकी स्वीकृति दे दी और यहां तक कि वे नेशनल हाईवेज की सड़कें, चाहे वे उत्तर प्रदेश की हों, एन.एच. 230 हो, ककहरवा से वाराणसी, गोरखपुर से वाराणसी या पीलीभीत की हों, वे सड़के इसलिए रुक गईं कि आपकी स्वीकृति के बाद एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) का गठन हो गया है तो क्या यह दोहरा मापदण्ड नहीं हो गया कि एक बार वन और पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हो गई तो अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपत्ति के बाद उन सड़कों पर काम रुक गया है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया फरमान दिल्ली की बसों पर रुकने के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों-पुलियों के लिए है, तो इससे देश का विकास अवरुद्ध हो जायेगा तो सरकार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा उठाई गई इन आपत्तियों पर इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई कर रही है?

**श्री प्रकाश जावड़ेकर :** मैडम, आज जो प्रश्न उठाया गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है...(व्यवधान) वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा पर हमारी सड़कें 6,000 किलोमीटर की हैं...(व्यवधान) वहां बॉर्डर रोड्स

ऑर्गेनाइजेशन काम करती है...(व्यवधान) वहां सीमा सशस्त्र बल, बी.एस.एफ. और सबके लिए यह एक दुविधा थी...(व्यवधान) मैंने एक अध्ययन किया और हमने जब पिछले साल यह निर्णय लिया, उसके पहले से चार सालों से इसके लगभग 176 प्रकरण लंबित थे...(व्यवधान) उसे मंजूरी के लिए एक साल से चार साल लगते थे...(व्यवधान) हमने यह बदल दिया और इस पर जनरल एप्रूवल दे दिया...(व्यवधान) लेकिन जनरल एप्रूवल मतलब पर्यावरण की शर्तों से समझौता नहीं है...(व्यवधान) [अनुवाद] इसलिए प्रतिपूरक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, राहत और पुनर्वास, एफ.आर.ए. अधिकार, सीमांकन या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं [हिन्दी] ऐसे जो कंडीशंस हैं, वे सब रहेंगे...(व्यवधान) लेकिन, राज्य सरकार ही उसे देगी और राज्य सरकारें भी इसमें देरी न लगाएं, यह हम देख रहे हैं...(व्यवधान)

जहां तक उन्होंने प्रश्न पूछा है तो हम एन.जी.टी. को इन सारी स्थितियों से अवगत कराएंगे और मुझे विश्वास है कि इसमें कोई बाधा नहीं रहेगी...(व्यवधान) सीमा सुरक्षित रहेगी...(व्यवधान) देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है...(व्यवधान) इसलिए ये सड़कें बनेंगी...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री वी. एलुमलाई:** माननीय अध्यक्ष महोदया, वन क्षेत्र का बढ़ना अच्छी बात है। लेकिन जनोपयोगी क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहे वन क्षेत्र से आमजन को असुविधा हो रही है। यह स्वागत योग्य बात नहीं है। देश में कई सड़कें हैं। ... (व्यवधान) पेड़ों की शाखाएँ सड़क पर गिरने के कारण वाहनों का आवागमन एक कठिन कार्य बन गया है। लेकिन वन विभाग और प्रशासन इस समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पेड़ काटने का अधिकार नहीं है। ... (व्यवधान) मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, निम्नलिखित पांच मीटर की सड़कें जैसे वेडियान थोझुवम और पुथुपलायम से मलिगाई नगर बंगला, अरानी यूनियन, थिरुनामलाई जिला और सेंजी यूनियन, विल्लुपुरम जिले में पचैयम्मल मंदिर के पास मंगलापुरम वन क्षेत्र पेड़ों से ढके हुए हैं। ... (व्यवधान) इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार जनहित में ज़रूरत पड़ने पर पेड़ों की कटाई की अनुमति देने पर विचार कर रही है।

**श्री प्रकाश जावडेकर:** मुद्दा यह है कि वन क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य कब प्रारंभ किया जाए। पूर्व में यह प्रचलन था कि कार्य तभी शुरू किया जा सकता था जब वन स्वीकृति चरण-2 दी जाती थी।... (व्यवधान) लेकिन अब सार्वजनिक उपयोगिता और सड़कों के लिए यह निर्णय लिया गया है कि चरण-1 स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। इसलिए, हम इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी समझा रहे हैं और मुझे आशा है कि कोई अवरोध नहीं आएगा तथा कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सकेगा।... (व्यवधान) हमने वन क्षेत्रों में सड़कें उन्नत करने की भी अनुमति दी है, जो पहले अनुमति प्राप्त नहीं थी।

[हिन्दी]

**श्री पंकज चौधरी :** महोदया, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वन क्षेत्र में जो निर्माण बाधित पड़ा था, इसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया है।... (व्यवधान) देश में वनटांगियां मजदूरों की समस्या बहुत पुरानी थी।... (व्यवधान) आज देश से वनटांगियां मजदूरी समाप्त हो गई है।... (व्यवधान) मेरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और महाराजगंज में क्रमशः 5 और 23 वनटांगियां हैं, जिसमें 4750 परिवार रहते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्राप्त हुआ है।... (व्यवधान) उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको पट्टा तो मिल गया है, लेकिन अभी उन्हें गाँव सभा का दर्जा नहीं मिला है।... (व्यवधान) इसलिए जो भी सरकारी सहायता होती है, सरकारी विकास होता है, वह वहां नहीं हो पाता है।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ वे इसे कब तक कराने का कार्य करेंगे?

**श्री प्रकाश जावडेकर :** महोदया, मुझे माफ करेंगे, क्योंकि यह सवाल हमारे इस सवाल से या हमारे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है।... (व्यवधान) यह आदिवासियों का, फॉरेस्ट ट्राइबल राइट्स एक्ट और उसके बाद जो बसे हैं, वहां विकास करने की अनुमति से संबंधित है।... (व्यवधान) जहाँ पर फॉरेस्ट की परमीशन है, जो रिजर्व सैन्चुअरीज़ हैं, उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड है, उसके नियम स्पष्ट हैं।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण, मैं फिर से आपसे अनुरोध कर रही हूँ। मैं आपको 'शून्य काल' में अनुमति दूंगी, प्रश्नकाल में नहीं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** सभा की कार्यवाही मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.35 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

**मध्याह्न 12.00 बजे**

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

**\*\* प्रश्नों के लिखित उत्तर**

(तारांकित प्रश्न संख्या 544 से 560  
अतारांकित प्रश्न संख्या 6199 से 6428)

---

\*□ प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं। <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

### सभा पटल पर रखे गए पत्र

**माननीय अध्यक्ष:** अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

... (व्यवधान)

### अपराह्न 12.00 ½ बजे

इस समय श्री बी. विनोद कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) :** अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

[हिन्दी]

- (1) भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2471/16/15]

- (2) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

... (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2472/16/15]

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते):** अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदनों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2015 के संख्यांक 2) (अनुपालन लेखापरीक्षा) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2473/16/15]

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री सर्बानंद सोनोवाल की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2474/16/15]

[हिन्दी]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी):** अध्यक्ष महोदया, मैं विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) आधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा(4) के अंतर्गत जारी आधिसूचना संख्या का.आ. 984(4) जो 10 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी तथा जिसके द्वारा अंसार-उल-उम्माह का नाम उक्त आधिनियम की पहली अनुसूची के क्रमांक 7 पर जोड़ा गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2475/16/15]

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंतकुमार):** महोदया, मैं, मेरे सहयोगी श्री हंसराज गंगाराम अहीर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, एण्ड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2007-2008 से 2010-2011 के वार्षिक लेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2476/16/15]

- (3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2477/16/15]

(5) वर्ष 2015-2016 के लिए भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या. एल.टी. 2478/16/15]

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 686(अ), जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1221 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2479/16/15]

... (व्यवधान)

**भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, राज्य मंत्री (श्री जी.एम. सिद्धेश्वरा):** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2480/16/15]

- (2) एनईपीए लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2481/16/15]

- (3) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2482/16/15]

- (4) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2483/16/15]

- (5) सांभर साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2484/16/15]

- (6) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2485/16/15]

- (7) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2486/16/15]

- (8) रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2487/16/15]

...(व्यवधान)

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू):** महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्यूनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2488/16/15]

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर):** अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) नेशनल हैण्डिकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा निःशक्त व्यक्ति आधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2489/16/15]

- (2) (एक) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैण्डिकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैण्डिकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2012-13 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2490/16/15]

- (4) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुःनिशक्तता से ग्रसितों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 36 के अंतर्गत स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुःनिशक्तता से ग्रसितों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास (संशोधन) नियम,

2015, जो 4 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 71(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2491/16/15]

- (5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द आर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द आर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2492/16/15]

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान):** महोदया, मैं वर्ष 2015-2016 के लिए कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2493/16/15]

...(व्यवधान)

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा):** महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन--संघ सरकार (2015 का संख्यांक 9)--राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमा-शुल्क 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट (ईओयू) योजना का कार्यनिष्पादन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2494/16/15]

- (2) मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन--संघ सरकार (सिविल) (2015 का संख्यांक 11)-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेबीवाई ), कृषि मंत्रालय की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2495/16/15]

- (3) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन---संघ सरकार (2015 का संख्यांक 13) (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क )-सीमाशुल्क पत्तन, राजस्व विभाग के माध्यम से आयात और निर्यात व्यापार सुविधा का कार्यनिष्पादन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2496/16/15]

- (4) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2015 का संख्यांक 4) (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर )-राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2497/16/15]

- (5) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2015 का संख्यांक 6) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)-प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और अवसंरचना विकास, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2498/16/15]

- (6) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2015 का संख्यांक 7) (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क )-राजस्व विभाग।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2499/16/15]

- (7) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2015 का संख्यांक 8) (अनुपालन लेखापरीक्षा)-(राजस्व विभाग-सीमा शुल्क)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2500/16/15]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला):** अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

- (1) (एक) पीपल्स एक्शन फॉर सोशल सर्विस, तिरुपति के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।  
(दो) पीपल्स एक्शन फॉर सोशल सर्विस, तिरुपति के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2501/16/15]

... (व्यवधान)

---

**अपराह्न 12.03 बजे****राज्य सभा से संदेश**

[अनुवाद]

**महासचिव:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:-

“मुझे लोक सभा को सूचित करने के लिए निदेश दिया गया है राज्य सभा ने 30 अप्रैल, 2015 को हुई अपनी बैठक में मोटर यान अधिनियम, 1988 के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

**प्रस्ताव**

“कि यह सभा लोक सभा से सिफारिश करती है कि लोक सभा मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक, जिसे 18 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था और 19 दिसम्बर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लेने हेतु राज्य सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।”

...(व्यवधान)

---

**अपराह्न 12.03 1/2 बजे****रेल संबंधी स्थायी समिति****5वां और छठा प्रतिवेदन**

[हिन्दी]

**श्री गणेश सिंह (सतना) :** अध्यक्ष महोदया, रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :

(1) 'रेल (संशोधन) विधेयक, 2014' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) "भारतीय रेल की उपनगरीय रेल सेवाएं तथा महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष बल" के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन

... (व्यवधान)

---

**अपराह्न 12.04 बजे****विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति****255<sup>वें</sup> से 257<sup>वां</sup> प्रतिवेदन**

[अनुवाद]

**श्री नागेन्द्र सिंह (खजुराहो):** महोदया, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) पर 255वां प्रतिवेदन।
- (2) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) पर 256वां प्रतिवेदन।
- (3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में दो सौ 257वां प्रतिवेदन।

---

**अपराह्न 12.04 1/2 बजे****मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(एक) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति\*

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदया, मैं उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

**अपराह्न 12.05 बजे**

(दो) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति \*

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदया, मैं कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

**अपराह्न 12.05 ½ बजे**

(तीन) निःशक्त व्यक्ति आधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और आधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति\*\*\*

**सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) :** महोदया, मैं निःशक्त व्यक्ति आधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय से संबंधित 'निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों के कार्य की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और आधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 45वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

\*□ सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखें संख्या एल.टी क्रमशः 2502/16/15, 2503/16/15 और 2504/16/15

**अपराह्न 12.06 बजे**

**कार्य मंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव**

[अनुवाद]

**कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी):** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि यह सभा 30 अप्रैल, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 30 अप्रैल, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 17वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**माननीय अध्यक्ष:** अब हम 'शून्य काल' पर चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यदि आप कोई विषय उठाना चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी-अपनी सीटों पर जाना होगा। पहले आप अपनी जगह पर जाएँ, उसके बाद ही मैं आपको अनुमति दूँगी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप अपने स्थानों पर वापस जाएं। आप इस तरह नहीं कर सकते। आपको पहले अपने स्थानों पर वापस जाना होगा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं। आपको इस तरह जवाब नहीं मिलेगा। आपको अपनी सीटों पर वापस जाना होगा। श्री जितेन्द्र रेड्डी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी सीट पर वापस जाने के लिए कहें। मैं इस तरह से अनुमति नहीं दूँगी। यह कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले आप सभी को अपनी सीट पर जाना होगा। फिर, आपके नेता कुछ कह सकते हैं और यदि सरकार कुछ कहना चाहती है, तो वह कह सकती है। मैं आपको अनुमति दूँगी लेकिन इस तरह नहीं। आपको अपनी सीट पर वापस जाना होगा। पहले आप अपनी सीट पर वापस जाएं, तभी आपकी बात सुनी जाएगी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मुझे खेद है। मैं इस तरह से अनुमति नहीं दूँगी। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)... \*\*

---

\*□ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**माननीय अध्यक्ष :** कोई कुछ नहीं कहेगा। सबसे पहले उन्हें अपनी सीट पर वापस जाना होगा। आप उन्हें उत्तर न दें। कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर लौट जाएँ, तभी मैं अनुमति दूँगी। मैं आपके नेता को बोलने का अवसर दूँगी, लेकिन पहले आप सभी को अपनी सीटों पर लौटना होगा। इस प्रकार मैं कभी अनुमति नहीं दूँगी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अमरिंदर सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर बैठें। पहले उन्हें बोलने दीजिए।

### **अपराह्न 12.08 बजे**

इस समय श्री बी. विनोद कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान

पर वापस चले गए।

**अपराह्न 12.08 1/4 बजे****सदस्यों द्वारा निवेदन**

(एक) तेलंगाना में एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना करने में विफलता के बारे में

**माननीय अध्यक्ष:** श्री जितेन्द्र रेड्डी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे या कोई और बोलेंगे?

**श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर):** राज्य पुनर्गठन विधेयक के अनुसार यह आश्वासन दिया गया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए पृथक उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। अब, हमने इस विषय को 'शून्य काल' के दौरान उठाया है। हमने इसे नियम 377 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। हमने विधि मंत्री जी से अनुरोध किया है। पूर्व में श्री रविशंकर प्रसादजी विधि मंत्री थे। अब उनका स्थान परिवर्तन हुआ है और श्री सदानंद गौड़ाजी ने पदभार संभाला है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश बार एसोसिएशन यहां आई थी और इस संबंध में माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था। मंत्रीजी ने कहा था कि एक सप्ताह के अंदर उच्च न्यायालयों का विभाजन कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। पिछले 45 दिनों से सभी अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। मंत्रीजी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि यदि तेलंगाना सरकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए स्थान उपलब्ध करवा देती है, तो तत्काल विभाजन कर दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान में जो उच्च न्यायालय निज़ामों द्वारा निर्मित एक पारंपरिक भवन में स्थित है, उसे आप (तेलंगाना को) सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा है: "आप यह भवन ले लीजिए, हम गच्छिबावली अपना न्यायालय स्थापित कर लेंगे।" इसके बाद मंत्रीजी ने कहा: "एक सप्ताह के भीतर हम उच्च न्यायालय का विभाजन कर देंगे।" लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय में 29 न्यायाधीशों में से केवल छह न्यायाधीश तेलंगाना से हैं। तेलंगाना के मामलों की उपेक्षा हो रही है। तेलंगाना के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी मामले एक ओर रख दिए गए हैं। बहुत अधिक बँटवारा हो रहा है। अभी हमें एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है — हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि आंध्र प्रदेश के एक फिल्म अभिनेता को सात एकड़ भूमि दी गई है, जिसकी प्रति

एकड़ कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये है। यह तेलंगाना की एक प्रमुख संपत्ति है। इस भूमि के लिए तेलंगाना के लोगों ने संघर्ष किया है। उन्होंने साठ वर्षों तक इसके लिए आंदोलन किया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा राज्य नया है और हम किसी से कोई विवाद नहीं चाहते। आपका पूरा सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हम सदन में संयमित व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन यह मामला अब एक गंभीर संकट बन चुका है और स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे सभा में आएँ और यह स्पष्ट आश्वासन दें कि तेलंगाना को उच्च न्यायालय कब प्रदान किया जाएगा।

**श्री बी. विनोद कुमार:** हैदराबाद के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। दुर्भाग्य से, परसों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक आदेश पारित किया गया था... (व्यवधान)

हमने इस अधिनियम को संसद में पारित किया और उन्होंने इस अधिनियम की व्याख्या दूसरे तरीके से की। अधिनियम में विशेष रूप से कहा गया है कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रमुख स्थान राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा नियुक्त किए गए स्थान पर होगा। अतः केंद्र मंत्रिमंडल को इस पर निर्णय लेकर उसे माननीय राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, जहाँ से वह अधिसूचित किया जाएगा। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा कल पारित किया गया आदेश ऐसा प्रतीत कराता है मानो यह अधिनियम ही सही नहीं था।

**माननीय अध्यक्ष:** आप यहां चर्चा नहीं कर सकते।

**श्री बी. विनोद कुमार:** जैसा कि मेरे सहयोगी ने यहां उल्लेख किया, उच्च न्यायालय में 29 न्यायाधीशों में से केवल छह न्यायाधीश ही तेलंगाना से हैं। हम पिछले कई वर्षों से न्यायिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में माननीय गृहमंत्री या माननीय विधि मंत्री जी को सभा में बयान देना चाहिए। सरकार ने हमें 'शून्य काल' के दौरान, नियम 377 के अंतर्गत विषय उठाए जाने पर, और इस विषय पर चर्चा के समय भी आश्वासन दिया था। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सभा में हमें यह आश्वासन दें कि सरकार कब अधिसूचना जारी करने वाली है। अधिनियम के अनुसार सरकार को यह अधिसूचना जारी करनी होती है।

सरकार को यहां स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह यह अधिसूचना कब जारी करेगी। केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफ़नामा अधिनियम के अनुरूप नहीं है। सरकार को इस संसद द्वारा पारित अधिनियम के प्रावधानों की रक्षा करनी होगी... (व्यवधान) उनकी ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क नहीं दिया... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यदि सरकार इस पर जवाब देना चाहती है, तो मैं अनुमति दे सकती हूँ।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय विधि मंत्री जी, क्या आप इस मामले पर जवाब दे रहे हैं?

**विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा):** महोदया, हां... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** श्री खड़गे, यह आपका विषय नहीं है। तेलंगाना के माननीय सदस्यों ने इसे उठाया है और माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं। कृपया माननीय मंत्री जी की बात ध्यान से सुनें। बार-बार ऐसा नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** मेरा निवेदन यह है कि जब राज्य अलग होते हैं, तो तुरंत सरकार को उनके निवेदन को स्वीकार करना चाहिए। सरकार को इसमें देरी क्यों करनी चाहिए? ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय मंत्री जी अब जवाब दे रहे हैं।

**श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:** अध्यक्ष महोदया, सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया। मैंने तेलंगाना राज्य के सदस्यों सहित दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की। वे मेरे पास आएँ और हमने एक विस्तृत चर्चा की।

निश्चित ही, हम उस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ दोनों मुख्यमंत्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वे कुछ भवन और अन्य बुनियादी संरचनाएँ उपलब्ध कराएँगे ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके... (व्यवधान)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक पत्र भी दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक पत्र भी दिया है। तेलंगाना से संबंधित सभी संसद सदस्य मुझसे मिले और मैंने उनके साथ विस्तृत चर्चा की।

इस दौरान, दुर्भाग्यवश, हैदराबाद में स्थित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। इस जनहित याचिका के कारण हमारी कार्यवाही प्रभावित हुई है और हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए, मैं इसके आगे कोई वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा समस्या को हल करने का एक प्रयास किया गया था। सिर्फ इसलिए कि मामला आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, हम कोई वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हैं। ... (व्यवधान) जैसे ही उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा, हम उस पर कायम रहेंगे। निश्चित रूप से, जल्द से जल्द तेलंगाना के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन जब तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ... (व्यवधान)

**श्री बी. विनोद कुमार:** महोदया, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मंत्री ऐसा प्रकट कर रहे हैं मानो जनहित याचिका अभी भी लंबित हो। उक्त याचिका पर परसों ही निर्णय हो चुका है।

**माननीय अध्यक्ष:** यदि यह याचिका पर निर्णय लिया जा चुका है, तो संबंधित अधिकारी इस पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

**श्री बी. विनोद कुमार:** महोदया, मुझे कोई गलती नहीं लग रही है। उक्त याचिका निपटाई जा चुकी है।

**श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा:** जैसे ही यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा, सरकार इस पर कार्यवाही करेगी और हम तेलंगाना राज्य को सर्वोत्तम समाधान प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे... (व्यवधान)

**श्री बी. विनोद कुमार:** महोदया, अधिनियम में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति, अधिसूचित आदेश के माध्यम से निर्दिष्ट कर सकते हैं..... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** ऐसा नहीं है। आप इसे उन्हें भेजें। वे उच्च न्यायालय द्वारा कहे गए तथ्यों का अध्ययन करें। तभी यह कार्य संभव हो सकेगा। इसे यहां नहीं किया जा सकता। यहां केवल चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा है कि वे इसे पढ़ेंगे। अब कृपया अपने स्थान पर जाएं। श्री विनोद कुमार, कृपया इसे उन्हें भेजें। इसे यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वे इसे अध्ययन करें और उचित कार्रवाई करें। यही उचित तरीका है।

...(व्यवधान)

**श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा:** माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। मेरे सहयोगी यह बता रहे हैं कि उक्त याचिका पर परसों निर्णय लिया जा चुका था। तथापि, मैं इसके संबंधित विवरण प्राप्त कर लूंगा। क्या रविवार को निर्णय देना संभव है? मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रविवार के दिन कोई न्यायालय कार्य नहीं करता, यदि इस याचिका पर निर्णय लिया भी गया है, तो मैं पहले निर्णय की प्रति प्राप्त करूंगा, विषय का विस्तृत अध्ययन करूंगा, अपने सभी सहयोगियों को आमंत्रित कर चर्चा करूंगा और पुनर्गठन अधिनियम के अनुरूप समाधान निकालने का प्रयास करूंगा... (व्यवधान)

**श्री बी. विनोद कुमार:** कृपया समय सीमा निर्दिष्ट करें... (व्यवधान)

**श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा:** मैं इस प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि अधोसंरचना एवं अन्य संबंधित विषयों का समुचित परीक्षण किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के विभाजन के संदर्भ में, हमें आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य न्यायाधीश से व्यापक परामर्श करना अनिवार्य है। हमें इस विषय में दोनों मुख्यमंत्रियों से भी परामर्श करना आवश्यक है, विशेष रूप से अधोसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता और अन्य प्रशासनिक विषयों के संबंध में, जिनका ध्यान उच्च न्यायालय को रखना होता है। अतः इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। किंतु, मैं इस पर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि हम केवल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपने स्थान पर बैठें। उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। अब, नितिन गडकरी जी विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

**अपराह्न 12.20 बजे**

इस समय श्री बी. विनोद कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के

निकट खड़े हो गए।

---

**अपराह्न 12.21 बजे****राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, 2015\*\*\***

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री नितिन गडकरी):** मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वर्तमान राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए प्रावधान करने तथा कुछ अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने तथा शिपिंग और नौवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त जलमार्गों के विनियमन और विकास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि वर्तमान राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए प्रावधान करने तथा कुछ अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने तथा शिपिंग और नौवहन के प्रयोजनों के लिए उक्त जलमार्गों के विनियमन और विकास तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री नितिन गडकरी:** मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

\*□ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 05.05.2015 में प्रकाशित।

**माननीय अध्यक्ष:** अब, 'शून्य काल' कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। यह उचित नहीं है। आप कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया है। आप उनके साथ चर्चा करें। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** इसके लिए सभा को बाधित न करें। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने स्थान पर वापस जाएं। उन्होंने आपको आश्वासन दिया है। उन्हें इसका अध्ययन करने दें और फिर वे कार्रवाई करेंगे।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं उन्हें इस प्रकार कुछ नहीं कह सकती। संभव है कि वे निर्णय कल ही ले लें। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इस विषय में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। कृपया आप अपने स्थान पर वापस जाएं। ऐसा नहीं होता है। मुझे इस बात का खेद है।

अब, कैप्टन अमरिंदर सिंहा

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया है। अब, आपको इसे स्वीकार करना होगा।

...(व्यवधान)

**श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद):** एक राज्य उच्च न्यायालय के बिना कैसे काम कर सकता है? ...

(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** हर कोई यह जानता है। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी सीट पर वापस जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया है। आप जाइए, उनके साथ चर्चा करिए और फिर आगे कुछ होगा। कृपया ऐसा न करें। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

**श्री असादुद्दीन ओवैसी:** संसद स्थगित होने से पूर्व वे एक बैठक बुला लें। उन्हें हमें आश्चस्त करना चाहिए....

(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वे पहले ही कह चुके हैं।

अब, कैप्टन अमरिंदर सिंह।

**कैप्टन अमरिंदर सिंह (अमृतसर):** मैं माननीय अध्यक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मुझे पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए, जिसका परिणाम चार दिन पूर्व एक गंभीर घटना के रूप में सामने आया था।...

(व्यवधान)

**विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा):** महोदया, कृपया मुझे एक मिनट समय प्रदान करने की अनुमति दें।

**माननीय अध्यक्ष:** इस तरह नहीं। उन्हें अपने स्थान पर वापस जाने दें और तभी आप जवाब दे सकते हैं। मुझे इस बात का खेद है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुझे एक मुद्दा समाप्त करने दीजिए। वे कुछ कहना चाहते हैं। आप कृपया अपने स्थान पर बैठें। मुझे पहले इस विषय को पूरा करने दें।

**अपराह्न 12.23 बजे**

*इस समय श्री बी. विनोद कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।*

**श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा:** माननीय अध्यक्ष जी, मैं 15 दिनों के भीतर सभी विद्वान सांसदों की एक बैठक बुलाऊंगा। मैं उनके साथ विचार-विमर्श करूंगा और उसी के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। हम उनके साथ उचित चर्चा के बाद समाधान निकालेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा, 15 दिनों के भीतर मैं एक बैठक बुलाऊंगा। ... (व्यवधान)

कृपया एक मिनट प्रतीक्षा करें। मैंने उनके साथ विस्तृत चर्चा की। हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे लेकिन, अंततः, जनहित याचिका के कारण, मैं आगे नहीं बढ़ सका। एक बार फिर, मैं सभा को बताता हूँ कि 15 दिनों के भीतर, मैं संसद के सभी सदस्यों की एक बैठक बुलाऊंगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समाधान खोजेंगे कि उक्त कार्य प्रभावी रूप से सम्पन्न किया जा सके...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अब, अपने स्थान पर जाएं। मुझे नहीं पता। उन्होंने संसद में आपको आश्वासन दिया है। अब वे आश्वासन दे रहे हैं।

**श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर):** माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि एक जनहित याचिका है। उक्त याचिका पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। याचिका के निपटान हो जाने के बाद फिर चर्चा की आवश्यकता क्यों है? उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए और हमें केवल यह बताना चाहिए कि वे निर्णय कब लेने जा रहे हैं। जब जनहित याचिका पर निर्णय लिया जा चुका है, तब चर्चा का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है? यह पॉर्लियामेंट की इज्जत का सवाल है...(व्यवधान) संसद ने धारा 31 के तहत आश्वासन दिया है कि वे एक अलग उच्च न्यायालय प्रदान करेंगे। हम आपसे ऐसा करने का अनुरोध करते हैं। ... (व्यवधान) मैं बोल रहा हूँ पॉर्लियामेंट की इज्जत रखिए!...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** वे इसे 'ना' नहीं कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी:** आपको 15 दिनों की आवश्यकता क्यों है? आप डिस्मिसन लीजिए। आपको फिर से चर्चा की आवश्यकता क्यों है?

**माननीय अध्यक्ष:** श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिजू, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, डॉ. ए. संपत और श्री पी. करुणाकरन को आज 'शून्य काल' के दौरान श्री जितेन्द्र रेड्डी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

**कैप्टन अमरिंदर सिंह:** जैसा कि मैं कह रहा था, मैंने आपसे हमारे राज्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुरोध किया था, जो पंजाब में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में था। बेहतर होगा कि आप इस चर्चा को अब 'शून्य काल' में होने दें। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस प्रयास का परिणाम चार दिन पूर्व मोगा नामक शहर में एक घटना के रूप में सामने आया, जहाँ ऑर्बिट बस नामक कंपनी की एक बस ने एक 13 वर्षीय बालिका को बस से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी माता को भी वहां से बाहर कर दिया गया। (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है। हर बार आप एक ही विषय नहीं उठा सकते।

...(व्यवधान)

**कैप्टन अमरिंदर सिंह:** वे सिर्फ सदन की राय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हम इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। आज स्थिति यह है कि यह कंपनी सुबह से शाम तक पुलिस के द्वारा संरक्षित है। मुझे इससे संबंधित नौ घटनाएं मिली हैं जहां उन्होंने लोगों को मारा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपकी पार्टी के सांसद पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं। यह राज्य का मामला है।

... (व्यवधान)

**कैप्टन अमरिंदर सिंह:** यह पंजाब के लोगों, पंजाब में कानून और व्यवस्था से संबंधित है। (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू): इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की गई थी। वे सदन में उपस्थित नहीं थे। आज केवल उनकी सुविधा के लिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। ... (व्यवधान)

कैप्टन अमरिंदर सिंह: दिन-दहाड़े पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बसें लोगों को रौंद रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे एक डी.आई.जी. के पैर टूट चुके हैं; आपके यहां एक ए.एस.आई. की बेटी की रक्षा करते हुए गोली मार दी गई। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं हैं?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपने स्थान पर बैठें, कैप्टन अमरिंदर सिंहा

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रो. के.वी. थॉमसा

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप एक ही मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई प्रश्न-उत्तर सत्र नहीं चल रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री जितेन्द्र रेड्डी, कृपया अपने स्थान पर बैठें।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)... \*\*\*

**माननीय अध्यक्ष:** उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके साथ ही आपका विषय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मुझे इस बात का खेद है।

...(व्यवधान)

**कैप्टन अमरिंदर सिंह:** पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है; आम नागरिकों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है। राज्य का प्रशासनिक ढांचा प्रभावित हो चुका है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है, कानून-व्यवस्था की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है और समग्र रूप से राज्य का तंत्र लगभग निष्क्रिय प्रतीत हो रहा है। ऐसे में, हम केवल इन तथ्यों को इस सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं, यदि आप सुनने के इच्छुक हों... (व्यवधान) अगर हम नहीं सुनेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** एक ही मुद्दे को बार-बार न उठाएं।

...(व्यवधान)

**कैप्टन अमरिंदर सिंह:** पंजाब में समस्या है; हमें ऐसा मंच चाहिए जहां हम आकर बात कर सकें। आप हमें बोलने नहीं देते। ... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** यह मुद्दा पहले ही आपकी ही पार्टी के सदस्य द्वारा उठाया जा चुका है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आप एक ही मुद्दे को फिर से नहीं उठा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते।

---

\*□ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

**कैप्टन अमरिंदर सिंह:** हमारा एकमात्र मुद्दा मोगा की घटना है, जो इस पूरे हालात की पराकाष्ठा है। इसमें एक 13 वर्षीया दलित लड़की शामिल है... .. (व्यवधान)

**श्री एम. वैकैय्या नायडू:** सदन के नियमों के अनुसार, एक ही विषय पर एक ही सत्र में दो बार चर्चा नहीं की जा सकती। वे उस समय सभा में उपस्थित नहीं थे। अब वे अचानक इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।... (व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** एक ही मुद्दे को फिर से नहीं उठाया जा सकता है।

प्रो. के. वी. थॉमस।

...(व्यवधान)

### अपराह्न 12.30 बजे

इस सम श्रीमती कविता कल्वाकुंतला, श्री बी. विनोद कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

**माननीय अध्यक्ष:** कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)...\*\*

---

\*□ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

...(व्यवधान)

**अपराह्न 12.31 बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

**अपराह्न 2.03 बजे**

लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री भैरों प्रसाद मिश्रा।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, एक महत्वपूर्ण विषय है। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: छह बजे के बाद मैं आपको अनुमति दूंगा।

**अपराह्न 2.03 ½ बजे**

नियम 377 के अधीन मामले \*

(एक) उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में पेयजल की भारी कमी को दूर किए जाने की  
आवश्यकता

[हिन्दी]

---

\* पटल पर रखा माना गया

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बांदा (उत्तर प्रदेश) जनपद बांदा एवं चित्रकूट बुन्देलखण्ड में आता है। मेरे क्षेत्र में पाठा क्षेत्र भी आता है जहाँ पानी अनमोल माना जाता है। पूरे संसदीय क्षेत्र में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न है। पिछले काफी समय से मेरे संसदीय क्षेत्र में नये हैण्डपम्प नहीं लगाये जा रहे हैं। केवल कुछ हैण्डपम्पों के रिबोरिंग के लिए ही धन आबंटित किया जाता है। हजारों प्रार्थना पत्र नये हैण्डपम्प लगाने हेतु लम्बित हैं जिनका सर्वेक्षण भी संबंधित विभाग द्वारा कराया जा चुका है। क्षेत्र में भीषण पेयजल का संकट है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पेयजल की समस्या के समाधान हेतु केन्द्र सरकार मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जनपदों बांदा व चित्रकूट में त्वरित रूप से 500-500 नये हैण्डपम्प देकर पेयजल समस्या का समाधान कराने की कृपा करें।

(दो) उन सभी जिलों में जहां बेमौसम बरसात हुई है और ओले पड़े हैं, पीड़ित किसानों हेतु कर्ज माफी योजना की घोषणा करने और फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिये एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) :** उपाध्यक्ष जी, विगत दिनों देश में हुई भारी वर्षा तथा ओलावृष्टि से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। गेहूं, सरसों, मटर, चना आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। देश के जिन क्षेत्रों में आलू पैदा होता है, वहां पर आलू की फसल को भी बहुत नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा से किसान बहुत व्यथित हैं तथा उनका जीवन दयनीय हो गया है जिससे परिणामस्वरूप अपने ऋण न चुका पाने की वजह से किसान आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। देश के गरीब किसान और भूमिहीन किसान मजदूर अक्सर ऋण लेकर कृषि में निवेश करते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उनके उधार लिए गए कर्ज के साथ-साथ उनका मानवीय परिश्रम भी डूब जाता है और किसानों के सामने ऋण अदा करने की मजबूरी होती है। हाल में आए हुए प्राकृतिक आपदा से देश के अन्नदाता किसान के सभी सपने चूर-चूर हो गए हैं तथा अब वे अपनी विपन्न स्थिति से इतना हताश और निराश हो चुके हैं कि वे आत्महत्या जैसे दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठा रहे हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए समुचित कदम उठाया जाना एक संतोषजनक पहल है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सरकार आपदाग्रस्त जिलों में केन्द्रीय टीम भेजकर किसानों को हुए नुकसान का मौके पर जायजा लेकर उनके ऋण माफी की दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री राहुल कस्वां - उपस्थित नहीं।

श्री प्रह्लाद जोशी।

(तीन) देश में विशेष रूप से कर्नाटक में टोल प्लाजाओं पर अधिक और  
गैर कानूनी टोल टैक्स की वसूली की घटनाओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

**श्री प्रह्लाद जोशी (धारवाड़):** टोल प्लाजा पर अवैध और अतिरिक्त टोल वसूली के संबंध में कर्नाटक से और देश भर से बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक में बंगलुरु से लगभग 25 किलोमीटर दूर होसकोट के टोल बूथ पर टोल शुल्क का भुगतान करने को लेकर हुई बहस के बाद टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने एक स्थानीय व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट की।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल उपाय करे और पूरे देश में विशेष रूप से कर्नाटक में टोल प्लाजा द्वारा अवैध और अतिरिक्त टोल-कर संग्रह की ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगाए।

(चार) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों की सूची में जल संचय भंडारों का पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार और अनुरक्षण के कार्य को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री लल्लू सिंह (फैजाबाद) :** देश में जल का संकट सघन होता जा रहा है। जल उपलब्धता का स्रोत मुख्य रूप से मानसून की वर्षा है जिसका संचय करना ही एकमात्र उपाय है। सरकारी सूत्रों के अनुसार देश में नदियों के प्रवाह से 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर जल देश की वार्षिक औसत से उपलब्ध होता है जिसमें नदियों के प्रवाह की आवश्यकता के लिए जल की मात्रा को कम कर दिया जाए तो शेष 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपयोग हेतु उपलब्ध होता है। देश में जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 650 से 750 बिलियन क्यूबिक मीटर उपयोग में आ रहा है। नेशनल एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग का कहना है कि देश में जल संचय की भण्डारण क्षमता 455 बिलियन क्यूबिक मीटर कर दी जाए और जल इसमें संचय हो जाए तो जल का संकट देश में दूर हो सकता है। अभी देश में 225 बिलियन क्यूबिक मीटर जल संचय करने की क्षमता है। अतः इस भण्डारण क्षमता को बढ़ाकर 458 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाए तो जल की आवश्यकता देश में पूरी हो सकती है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सर्वोच्च प्राथमिकता देकर देश में केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण ग्रामीण योजना "महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना" को जल संचय भण्डारों के निर्माण से जोड़ दिया जाए। साथ ही मेरा अनुरोध है कि कम से कम आगामी दो वर्षों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के क्रियान्वयन को देश की समस्त झीलों, पोखरों, तालाबों और नहरों एवं नालों की खुदाई से जोड़ दिया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में मिल्कीपुर, रूदौली, सोहावल क्षेत्रों में बड़ी-बड़ी झीलें हैं जो मीलों लंबी हैं। इसके आतिरिक्त ग्रामों व कस्बों में हजारों पोखर और तालाब हैं जो सरकार की अनदेखी के कारण अपना स्वरूप भूल चुके हैं। इसलिए न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र के इन स्थलों को वरन् समस्त

देश के जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में पड़े नदी, नाले, झील, तालाब, तलइयों एवम् पोखरों की खुदाई कर उनमें जल संचय की व्यवस्था का रास्ता बनाया जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रकार एक ओर जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में होने वाले व्यय से देश में सम्पत्ति का सृजन होगा, वहीं देश का बहुत बड़े जल संकट का समाधान भी हो जाएगा।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री राकेश सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री रामचरण बोहरा जी – उपस्थित नहीं।

श्री शरद त्रिपाठी जी - उपस्थित नहीं।

श्री चाँद नाथ ।

(पांच) राजस्थान में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने हेतु केंद्र सरकार की धनराशि के अंश को जारी किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री चाँद नाथ (अलवर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान के सात जिलों के अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाये जाने की योजना है, जिसमें एक जिला अलवर भी है। अलवर के अलावा तीन और जिले भरतपुर, बाडमेर एवं डूंगरपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति फरवरी, 2014 में प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार ने अपने पत्र मार्च, 2014 में एमओयू हस्ताक्षर करके भारत सरकार को भेज दिया गया है और भारत सरकार ने जुलाई, 2014 में एमओयू हस्ताक्षर कर दिये हैं, जिसमें भारत सरकार से योजनान्तर्गत अंशदान जारी करने का निवेदन किया है। भारत सरकार ने हर मेडिकल कॉलेज के लिए 189.00 करोड़ रुपये की लागत निधारित की है, जबकि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसकी लागत 263.4 करोड़ रुपये प्रति मेडिकल कॉलेज निधारित की गयी है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह अपना अंशदान जल्दी से जल्दी जारी करे और इसके साथ-साथ दी जाने वाली राशि 189.00 करोड़ रुपये के स्थान पर बढ़ा कर 263.4 करोड़ रुपये कर दी जाए जिससे मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आ रही अड़चनें दूर हो सकें और निर्माण कार्य तेजी से चल सके।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री कपिल मोरेश्वर पाटील - उपस्थित नहीं।

श्री रवनीत सिंह

**(छह) देश विशेष रूप से लुधियाना में गिरते हुए वस्त्र निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता**

**श्री रवनीत सिंह (लुधियाना):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वस्त्र निर्यात उद्यमों, विशेष रूप से लुधियाना में स्थित उद्यमों से संबंधित गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

इस वर्ष की निर्यात-आयात नीति में उन्हें दिए गए लाभों जैसे कि बैंकों से लिए गए ऋण पर तीन प्रतिशत की दर से ब्याज में छूट को वापस ले लिया गया है।

इस वर्ष तक, निर्यातकों को 'फोकस' नामक एक लाइसेंस जारी किया जाता था ताकि उन्हें विश्व के अनछुए बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन निर्यात कंपनियों को कुल बिक्री (एफ.ओ.पी.मूल्य) पर चार प्रतिशत का लाभ दिया जाता था। यह लाभ भी वापस ले लिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण इस क्षेत्र में गिरावट देखी गई है क्योंकि वस्त्र निर्यात लाभहीन हो गया है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वस्त्र निर्यात वास्तव में घट रहा है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया मौजूदा उद्योगों की चिंताओं को सहानुभूतिपूर्वक देखें और उन्हें पहले से प्रदान किए गए लाभों को जारी रखें ताकि "मेक इन इंडिया" अभियान सफल हो सके।

**माननीय उपाध्यक्ष :** श्री गौरव गोगोई - उपस्थित नहीं।

श्री बी. सेनगुट्टुवन

## (सात) चमड़ा उद्योग को पूर्व में उपलब्ध रियायतों की बहाली किए जाने की आवश्यकता

**श्री बी. सेनगुडुवन (वेल्लोर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 377 के अधीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

वेल्लोर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 750 चमड़े के कारखाने हैं। ये चमड़ा कारखाने देश के कुल चमड़ा निर्यात का लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसके अलावा, यह क्षेत्र श्रम प्रधान भी है। लाखों और लाखों कुशल और अकुशल श्रमिक चमड़े की उद्योगों में रोजगार कर रहे हैं। चमड़ा क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसे प्रधान मंत्री के 'मेक इन इंडिया' पहल में शामिल किया गया है।

हालांकि, आज चमड़ा उद्योग समस्याओं का सामना कर रहा है। उद्योग को निर्यात क्षेत्र में वियतनाम, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2015-16 के बजट में, तमिलनाडु के चमड़ा क्षेत्र को पूर्व में प्रदान की गई कुछ लाभों को वापस ले लिया गया था, जिससे इस क्षेत्र के विकास में अवरुद्धता आई। अतः, मैं निम्नलिखित रियायतों की मांग करता हूँ:

1. हांगकांग, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड को तैयार चमड़े (एच.एस. कोड 4107, 4112, 4113 और 4114) के निर्यात के लिए मर्चेडाइजिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एम.ई.आई.एस.) के तहत दो प्रतिशत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का विस्तार किया जा सकता है।

2. यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और हांगकांग को 64061020 के तहत चमड़ा निर्यात (तैयार) के लिए मर्चेडाइजिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एम.ई.आई.एस.) के तहत दो प्रतिशत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का विस्तार किया जा सकता है।

3. मर्चेडाइजिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत, बांग्लादेश और श्रीलंका को फुटवियर के घटकों (रबर/प्लास्टिक के आउटर सोल और हील्स (64062000), सोल्स के अतिरिक्त चमड़े के अन्य भाग

और तैयार अपर (64069020) के निर्यात पर दो प्रतिशत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप तथा अन्य फुटवियर घटकों (64069090) के निर्यात पर तीन प्रतिशत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का विस्तार किया जाए।

4. भारत से मर्चेडाइजिंग एक्सपोर्ट स्कीम (एम.ई.आई.एस.) के तहत तीन प्रतिशत स्क्रिप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड को चमड़े के सामान (4201, 4202, 4203 और 4205) और फुटवियर (6401, 6402, 6403, 6404 और 6405) के निर्यात के लिए विस्तारित किए जाएंगे।

इसलिए, इन रियायतों की पुनर्स्थापना आवश्यक है ताकि जर्जर चमड़ा उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सके। अतः मैं वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों से अनुरोध करता हूँ कि वे चमड़ा क्षेत्र के लिए मर्चेडाइजिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत इन ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स की पुनर्स्थापना पर सकारात्मक विचार करें एवं यदि संभव हो तो तमिलनाडु के चमड़ा क्षेत्र की सहायता हेतु अन्य अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करें।

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री सुल्तान अहमद - उपस्थित नहीं।

(आठ) ओडिशा के कालाहांडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खरियार और बागड़ में केंद्रीय विद्यालय के विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

**श्री अर्का केशरी देव (कलाहांडी):** महोदय, खरियार में केंद्रीय विद्यालय राजा ए.टी. हाई स्कूल के परिसर में अस्थायी रूप से वर्ष 2010 से संचालित हो रहा है। उक्त केंद्रीय विद्यालय के लिए आवश्यक भूमि जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई है और केंद्रीय विद्यालय की टीम द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। धर्मगढ़ के पास बागड़ में दूसरे केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि का भी केंद्रीय विद्यालय की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण टीम की कोई भी नकारात्मक रिपोर्ट इन छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान इन दो केंद्रीय विद्यालयों में स्कूल भवनों के शीघ्र निर्माण और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाए। आपका धन्यवाद।

(नौ) महाराष्ट्र के मावल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में माथेरान हिल स्टेशन पर बैटरी संचालित रिक्शा चालू किये जाने और रोप वे प्रणाली का विकास किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मावल (महाराष्ट्र) में प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र माथेरान है। यह क्षेत्र ब्रिटिश काल से ही 'इको सेंसिटिव जोन' घोषित किया गया है और इको सेंसिटिव जोन घोषित होने की वजह से यहां पर डीजल गाड़ियों एवं अन्य वाहनों के चलने पर रोक लगी हुई है। पर्यटन क्षेत्र होने से यहां बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाएं बड़ी संख्या में आते हैं। माथेरान 25 हजार की आबादी वाला क्षेत्र है। यहां के बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। यहां इन सब वाहनों के नहीं होने से स्थानीय लोगों को अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इको सेंसिटिव जोन होने के कारण यहां के लोग अपने मकानों की मरम्मत भी नहीं करा सकते। यहां नया बांधकाम करने के लिए पूरी तरह से रोक है।

यहां आने-जाने के लिए कोई सुविधा नहीं होने के कारण यहां के लोग पर्यटकों को ले जाने के लिए हाथगाड़ी का उपयोग करते हैं और मनुष्य, मनुष्य को खींचने का काम करता है। यह मानवता के खिलाफ है। जो नवजवान रोजी-रोटी के लिए हाथगाड़ी खींचने का काम करते हैं, वे अपनी थकान को दूर करने के लिए नशा करते हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि माथेरान जैसे हिल स्टेशन में बैटरी चालित रिक्शा शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु वहां 'रोप वे' की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे नवजवानों को रोजगार मिलेगा। इस हेतु मैं केन्द्र और राज्य सरकारों से आर्थिक मदद की मांग करता हूं।

(दस) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

**श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम):** महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में गांवों में कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन आज तक वहां कोई पक्की सड़कें नहीं बनी हैं, जिसका अर्थ है कि कार्यों की गुणवत्ता बनाए नहीं रखी जा रही है। इस संदर्भ में, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि किसानों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाए; और योजना के अंतर्गत सड़कों तथा सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाए। साथ ही, योजना के तहत मजदूरी बढ़ाई जाए और कार्य करने के घंटे भी निश्चित किए जाएं। धन्यवाद।

**माननीय उपाध्यक्ष :** श्री बी. विनोद कुमार - उपस्थित नहीं।

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले में सूखे की स्थिति से पीड़ित लोगों को शीघ्र सहायता

उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

**श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूखे की स्थिति से संबंधित राज्यों को भारी नुकसान हुआ है। इस वर्ष राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य सूखे की चपेट में आ गए हैं। आंध्र प्रदेश पिछले 15 वर्षों से भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। इस साल, आंध्र प्रदेश में रायलसीमा के चार जिले सूखे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। आनंदपुर जिला बहुत बुरी तरह प्रभावित है। लोगों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सूखे ने दैनिक जीवन को भी प्रभावित किया है। बहुत से लोग पलायन कर रहे हैं। इसके चलते किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जारी है। मैं केंद्र और राज्य सरकारों से लोगों को राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूँ।

धन्यवाद।

**(बारह) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु  
आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता**

**श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु):** मैं देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में सम्मानीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा कि सभा जानती है, मनरेगा केंद्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना का विकास हो सके तथा ग्रामीण समुदाय को कृषि और सिंचाई से संबंधित सेवाएं मिल सके। यह योजना गांव को इकाई मानते हुए जमीनी स्तर पर संचालित होती है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 5 वर्षों से इस योजना को उसके पारदर्शी ढंग से कार्य न करने के कारण काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। इस योजना के तहत उचित परिसंपत्ति निर्माण नहीं हो पा रहा है। सांसद को जिले स्तरीय निगरानी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो सभी ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा करती है और मनरेगा भी ऐसी ही एक योजना है। हालांकि हम सड़कों का निर्माण करके रोजगार सृजन, संपत्ति सृजन और स्थानीय झीलों की गाद निकासी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, फिर भी बहुत विसंगतियां रही हैं और जिला स्थानीय निकाय के अध्यक्ष सहित स्थानीय नेता कार्यों के आवंटन में व्यक्तिगत हितों के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रहे हैं।

अतः मैं, अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया इस विषय में हस्तक्षेप करें और योजना के बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश और मार्गदर्शन जारी करें।

**(तेरह) मध्य प्रदेश के नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को मान्यता दिये जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

**श्री राकेश सिंह (जबलपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर (मध्य प्रदेश) के टी.बी. एवं चेस्ट विभाग के चिकित्सकों द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त महाविद्यालय के डीटीसीडी, डीओएमएस, डीएलओ एवं डीसीपी स्नातकोत्तर पाठ्याक्रमों को भारत सरकार/एमसीआई से मान्यता प्राप्त संबंधी कार्यवाही विगत कई वर्षों से लंबित है, जिसके कारण उक्त पाठ्याक्रम पूर्ण कर डिग्री प्राप्त कर चुके चिकित्सकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है तथा संबंधित चिकित्सक मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे प्रदेश के मरीजों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

डीटीसीडी एवं अन्य स्नातकोत्तर पाठ्याक्रमों को भारत सरकार/एमसीआई के मान्यता दिलाए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य राज्य मंत्री द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी इस संबंध में लिखा गया है।

उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त सचिव, भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली को भी पूर्व में निवेदन कर चुके हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त प्रकरण पर आतिशीघ्र सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए डिग्रीधारी चिकित्सकों को न्याय दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**(चौदह) राजस्थान के जयपुर में पानी की भारी कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता**

**श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जयपुर शहर की पानी की गंभीर समस्या की ओर अकर्षित करता हूँ। जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में बीसलपुर परियोजना से की जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) से अभी भी बगरू व विधाधरनगर का काफी क्षेत्र बीसलपुर पानी से वंचित है एवं ट्यूबवैलों में अपर्याप्त पानी, वह भी फ्लोराइडयुक्त होने के कारण हड्डियों की बीमारियां दिनोंदिन बढ़ रही हैं। शेष बचे हुए क्षेत्र को बीसलपुर योजना से जोड़ा जाए ताकि शुद्ध एवं पर्याप्त पीने का पानी मिल सके।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र को रामगढ़ बांध से पूर्व में पानी की सप्लाई होती थी। रामगढ़ बांध पेयजल, सिंचाई एवं पर्यटन की दृष्टि से अहम स्थान रखता है। पूर्व में एशियाड खेल प्रतियोगिता भी रामगढ़ बांध में हुई थी। रामगढ़ बांध परियोजना को मेज बेसिन के आधिशेष पानी से जोड़ने हेतु विशेष पैकेज दे कर चालू कराया जाए, जिससे जयपुर की जनता को पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही माननीय प्रधान मंत्री जी की नदियों से नदियों से जोड़ने की योजना के तहत मेज बेसिन के आधिशेष पानी से रामगढ़ बाँध एवं कालख बाँध को जोड़ने से हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।

(पन्द्रह) देश उत्तर प्रदेश विशेष रूप से संत कबीर नगर जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण  
कार्यक्रमों में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** महोदय, मैं सरकार का ध्यान कौशल विकास के कार्यक्रम में हो रही ढिलाई और लेट-लतीफी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अनेक पिछड़े जिलों में अभी तक कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण का काम शुरू नहीं हो पाया है और प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक लोग परेशान हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरा लोक सभा क्षेत्र संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) का है, जिसमें अभी तक निधाररित लक्ष्य का बीस प्रतिशत कार्य भी नहीं हो पाया है। प्रशिक्षण के जो कार्य किए भी जा रहे हैं, वह क्षेत्र के लोगों की जरूरतों और सामाजिक स्थिति से मेल नहीं खा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिना सर्वे कराए कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जो किसी भी स्थिति में मेल नहीं खाते हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस पूरी योजना पर सदन को विचार करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि किन कारणों से कौशल विकास के कार्यक्रमों में देरी हो रही है और उन्हें तत्काल दूर करें।

## (सोलह) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जारी रखे जाने की आवश्यकता

**\*\*श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):** मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन.ई.आर.) राज्यों को विशेष दर्जा जारी रखने की आवश्यकता के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इस संबंध में, मैं यह बताना चाहूंगा कि 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग की सिफारिशों और वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट का विश्लेषण करने के बाद, ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त होने जा रहा है। मुझे यह बताते हुए दुःख हो रहा है कि इस तरह के निर्णय से उन राज्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो लंबे समय से पिछड़ेपन और पूर्ण विकास से पीड़ित हैं। वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में सामान्य केंद्रीय सहायता (एन.सी.ए.) विशेष योजना सहायता (एस.पी.ए.) और विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के तहत किसी भी प्रावधान को नहीं रखने का निर्णय पूर्वोत्तर राज्यों की वित्तीय स्थिति को काफी प्रभावित करेगा। इसके अलावा, अनुमानित गैर-योजना व्यय और राज्य के अपने संसाधनों के बीच अंतर है। अब, राज्यों को केंद्रीय करों के हस्तांतरण में वृद्धि के बावजूद, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गैर-योजना खाते के अंतर को पूरा करना मुश्किल होगा जब तक कि अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी नहीं दी जाती है।

जैसा कि सरकार जानती है कि विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वित्तीय साझेदारी अनुपात 90:10 रहा है। यदि इसे बंद किया गया, तो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य धन की अनुपलब्धता के कारण इन योजनाओं को लागू नहीं कर पाएंगे। अतः उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच 90:10 के वर्तमान वित्तीय साझेदारी व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए।

इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को न्याय प्रदान करें।

---

\*□ सभा पटल पर रखा गया

(सत्रह) उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में सुजानगढ़ स्टेशन के पास उत्तर पश्चिम साइड में एकत्र शहर के गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

**\*\* श्री राहुल कस्वां (चुरू) :** मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू (राजस्थान) के उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डिवीजन में सुजानगढ़ स्टेशन के पास उत्तर-पश्चिम साइड में शहर का गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है जिसकी निकासी हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। इस गंदे पानी की निकासी हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं। वर्तमान में रेलवे द्वारा इस गंदे पानी की निकासी हेतु रेलवे मालगोदाम से मानव सहित समपार संख्या सी. 1 तक ही पानी निकासी की योजना प्रस्तावित बताई जा रही है, जिसकी लागत लगभग 70 लाख रुपये के आस-पास मानी जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अगर पूर्व में बने हुए नाले में इस गंदे पानी को डाला जायेगा तो गन्दे पानी की निकासी शहर से बाहर नहीं होगी तथा और आधिक समस्याएं पैदा हो जायेंगी जो जनहित में नहीं होंगी। इस प्रस्तावित योजना के तहत रुपये भी लग जायेंगे लेकिन इस क्षेत्र की माँग है कि रेलवे परिसर से जमालपुरा तक नाला बनाकर गंदे पानी की निकासी की जाए जिसे सुजानगढ़ शहर के 30 प्रतिशत लोग जो रेलवे पटरी से उत्तर साइड में निवास करते हैं, उन्हें इस समस्या से राहत मिल सके।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस गंदे पानी की निकासी के लिए वहां के स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों एवं अन्य तकनीकी विशेषज्ञों की राय लेकर रेलवे परिसर में स्थिति सम्पूर्ण गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करवायी जानी चाहिए ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके।

---

\*□ सभा पटल पर रखा गया

**अपराह 2.26 बजे**

संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014\*<sup>□</sup>

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब, मद सं. 22, माननीय मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन किए जाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "पैंसठवें" शब्द के स्थान पर "छियासठवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में, "2014" अंक के स्थान पर "2015" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 5

3. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 16 में, "2014" अंक के स्थान पर, "2015" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

---

\*<sup>□</sup> विधेयक 9 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 27 अप्रैल, 2015 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 28 अप्रैल, 2015 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन किए जाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

## अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "पैंसठवें" शब्द के स्थान पर "छियासठवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

### खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में, "2014" अंक के स्थान पर, "2015" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

### खंड 5

3. कि पृष्ठ 4, पंक्ति 16 में, "2014" अंक के स्थान पर, अंक "2015" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब हम राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए प्रत्येक संशोधन पर विचार करेंगे।

## अधिनियमन सूत्र

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "पैंसठवें" शब्द के स्थान पर, "छियासठवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 1

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, में "2014" अंक के स्थान पर,"2015" अंक प्रतिस्थापित किया जाए। "

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 5

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि पृष्ठ 4, पंक्ति 16, में "2014" अंक के स्थान पर, "2015" अंक प्रतिस्थापित किया जाए। "

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री जयंत सिन्हा:** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**अपराह 2.28 बजे****प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014\*<sup>□</sup>****(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)****माननीय उपाध्यक्ष:** अब, मद सं. 23, माननीय मंत्री जी।**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा):** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

**अधिनियमन सूत्र**

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "पैंसठवें" शब्द के स्थान पर "छियासठवें" शब्द *प्रतिस्थापित* किया जाए।

**खंड 1**

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 में, "2014" अंक के स्थान पर, "2015" अंक को *प्रतिस्थापित* किया जाए।

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

---

\*<sup>□</sup> विधेयक 22 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा राज्य सभा को उसकी सहमति के लिए प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 28 अप्रैल, 2015 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 29 अप्रैल, 2015 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

"कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

### अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, "पैंसठवें" शब्द के स्थान पर "छियासठवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

### खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2 में, "2014" अंक के स्थान पर, "2015" अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब हम राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए प्रत्येक संशोधन पर विचार करेंगे।

### अधिनियमन सूत्र

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, में " पैंसठवें " शब्द के स्थान पर, "छियासठवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 1

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2, में "2014" अंक के स्थान पर, "2015" अंक प्रतिस्थापित किया जाए। "

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री जयंत सिन्हा:** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

**माननीय उपाध्यक्ष:** प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह 2.29 बजे****संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 - जारी**

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब, मद सं. 24 - श्री एम.वीरप्पा मोड्ली।

...(व्यवधान)

**श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर हूं। मैंने पहले ही इस विधेयक की संवैधानिक वैधता के संबंध में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत एक नोटिस दी है। यह सभी के लिए स्पष्ट है कि अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की शक्तियों तथा संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यह संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट हो गया था कि संविधान की मौलिक विशेषताओं को कभी बदला, संशोधित या नष्ट नहीं किया जाएगा। इस शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार केवल संसद तक ही सीमित है न कि किसी और के लिए। इस विधेयक के खंड 21 को देखें तो यह राष्ट्रपति को इस विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने में यदि कोई कठिनाई आती है तो उसे दूर करने का अधिकार देता है। खंड 21(1) के अनुसार, यह प्रावधान है कि:

"यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संविधान के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, इस अधिनियम या विधि द्वारा यथा संशोधित संविधान के किसी उपबंध का कोई अनुकूलन या संशोधन सहित ऐसे उपबंध कर सकता है, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं"

इसलिए, संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कठिनाई को दूर करने के लिए, राष्ट्रपति को इन तीन तरीकों से संविधान में संशोधन करने की शक्ति सौंपी जा रही है।

मैंने 1951 में हुए प्रथम संविधान संशोधन से लेकर अब तक के सभी संशोधनों का गहन अध्ययन किया है। कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया हो। यह संवैधानिक अधिकार सदा से केवल संसद के अधिकार क्षेत्र में रहा है। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारा जा सकता है, क्योंकि ये सभी संशोधन 42वें संशोधन को छोड़कर संसद द्वारा ही किए गए हैं। यदि हम 42वें संविधान संशोधन को देखें, तो उसमें एक खंड 59 है। यह विधेयक के खंड 21, दरअसल, संविधान (बयालीसवां) संशोधन के खंड 59 की हूबहू प्रति है।

मैं 42<sup>वें</sup> संशोधन को पढ़ूंगा। 1976 में, आपातकाल के समय, इस प्रावधान को खंड 59 - कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा विधेयक में शामिल किया गया है। उप-खंड (1) कहता है:

"यदि इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित संविधान के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है (संविधान के उपबंधों से, जो इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित संविधान के उपबंधों को राष्ट्रपति की स्वीकृति की तारीख से ठीक पहले थे, इस अधिनियम के उपबंधों में परिवर्तन के संबंध में कोई कठिनाई भी सम्मिलित है) तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकता है, जिनमें संविधान के किसी उपबंध का कोई अनुकूलन या संशोधन भी शामिल है, जो कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश ऐसी स्वीकृति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं

किया जाएगा।

यह वर्ष 1976 में संविधान (बयालीसवां) संशोधन का खंड 59 है।

जून 1951 की तारीख से इस तारीख तक किसी भी संवैधानिक संशोधन ने कभी भी राष्ट्रपति को शक्तियां नहीं दी हैं, संसद द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं ताकि राष्ट्रपति संविधान

में संशोधन कर सकें। दो साल बाद यानी 1978 में, संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा, इस खंड 59 को इस संसद द्वारा ही हटा दिया गया है। यह बहुत स्पष्ट है कि आपातकाल के तुरंत बाद, 44<sup>वां</sup> संशोधन हुआ। संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम के खंड 45 द्वारा, संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 का संशोधन किया गया था। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम में 1976, धारा 18, 19, 21, 22, 31, 32, 34, 35, 38 और 59 को हटा दिया जाएगा। इसलिए, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम में शामिल खंड 59 को संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम के माध्यम से हटा दिया गया या संशोधित किया गया है। यह बात स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संविधान में संशोधन करने का विशेष और असाधारण अधिकार केवल संसद के पास है और इस अधिकार को लोकतंत्र के किसी अन्य स्तंभ को कभी भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 368 के संदर्भ में पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।

अब, मैं अनुच्छेद 392 पर आता हूँ। यह दूसरा बिंदु है।

'कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति' के तहत, अनुच्छेद 392 का खंड 1 कहता है:

"राष्ट्रपति, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से, विशेष रूप से भारत सरकार अधिनियम, 1935 के उपबंधों से इस संविधान के उपबंधों में परिवर्तन के संबंध में, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि यह संविधान, ऐसी अवधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा, चाहे वह संशोधन, परिवर्धन या लोपन के रूप में हो, जो वह आवश्यक या समीचीन समझे परंतु ऐसा कोई आदेश भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन विधिवत गठित संसद की पहली बैठक के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"

तो, अनुच्छेद 392 बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि संसद का एक हिस्सा कैसे स्थापित होता है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन का यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लेकर भारत

के संविधान तक है। अनुच्छेद 392 के अनुसार यह स्थिति है कि जब संसद अस्तित्व में है और संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, तो यह अधिकार राष्ट्रपति को क्यों हस्तांतरित या प्रदान किया जाना चाहिए? जहां तक मेरी सीमित जानकारी है, यह 42<sup>वें</sup> संविधान (संशोधन) अधिनियम में आपातकाल के समय ही हुआ था और वह भी 44<sup>वें</sup> संविधान (संशोधन) अधिनियम द्वारा रद्द या निरस्त कर दिया गया था क्योंकि यह असाधारण शक्ति दे रहा था। जहां तक अनुच्छेद 368 का संबंध है, यह एक असाधारण अधिकार है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण के साथ-साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय से व्यवस्था की मांग करूंगा। धन्यवाद।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारी मन के साथ इस सभा में यहां उपस्थित हुआ हूं। जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तब मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से कई बार अनुरोध किया था कि यह एक नया विधेयक है, इसलिए इसे अच्छी तरह से चर्चा के लिए स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। पहले भी मैंने यही राय रखी थी। लेकिन उस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इस जीएसटी विधेयक पर स्थायी समिति पहले ही दो साल से ज्यादा समय तक चर्चा कर चुकी है, इसलिए इसे दोबारा समिति को भेजने की जरूरत नहीं है।

यह एक बहुत ही अलग प्रकार का विधेयक है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, लेकिन यह एक अलग प्रकार का विधेयक है। यह संबंधित राज्यों, संबंधित राज्य सरकार के राजस्व से संबंधित है, और यह केंद्र सरकार के राजस्व से भी संबंधित है। यह विधेयक कर प्रणाली से संबंधित है और जीएसटी की मूल संरचना यही है कि यह एक एकल-बिंदु कर होगा। इसी कारण, जब वर्ष 2000 में इस विचार को पहली बार प्रस्तुत किया गया और फिर वर्ष 2003 में समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा, तब से लेकर अब तक इस पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। मैं इस समय उन सभी विवरणों में नहीं जा रहा हूं।

एक अन्य अवसर पर भी एक संशोधन विधेयक को विचारार्थ स्थायी समिति को संदर्भित किया गया था, और वह था कंपनी कानून (संशोधन) विधेयक। इस विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को विचार के

लिए भेजा गया था। समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात अपनी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की थी, और तत्कालीन सरकार ने समिति की अनेक सिफारिशों को संज्ञान में लेते हुए कई संशोधनों के साथ विधेयक को आगे बढ़ाया था।

लेकिन बाद में सरकार को यह भी पता चला कि स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों के अलावा कुछ नए प्रावधानों की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने अन्य हितधारकों के साथ भी चर्चा की, और कंपनी कानून (संशोधन) विधेयक में कुछ नए प्रावधान भी किए गए। जब उस विधेयक को फिर से सभा के समक्ष लाया गया, तो हममें से कुछ लोग खड़े हुए और तत्कालीन अध्यक्ष से अनुरोध किया और बाद में तत्कालीन अध्यक्ष ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री मोइली जी से भी बात की, जो आज इस सभा के सदस्य भी हैं; और उस समय की सरकार ने स्थिति का संज्ञान लिया और विधेयक को फिर से वित्त संबंधी स्थायी समिति को विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए भेजा।

क्योंकि वह विधेयक अनेक नए प्रावधानों और संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया गया था, इसलिए उसे पुनः स्थायी समिति को भेजा गया। अतः यह मानना उचित नहीं है कि किसी विधेयक को एक बार स्थायी समिति को भेजने के बाद उसे दोबारा समिति को नहीं भेजा जा सकता। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मैंने कंपनी कानून (संशोधन) विधेयक का उदाहरण दिया, जिसे दूसरी बार समिति को भेजा गया था और समिति ने उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अतः मैं पुनः आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि जीएसटी विधेयक एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी विधेयक है; यह एक संविधान संशोधन विधेयक भी है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करे। यह एक नया विधेयक है, जिसमें कई ऐसे प्रावधान शामिल हैं जिन पर स्थायी समिति ने पहले विचार नहीं किया है। यद्यपि सशक्त समिति ने राज्य वित्त मंत्रियों के साथ कई मुद्दों पर विचार किया है, फिर भी जब यह विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए संसद में प्रस्तुत होगा, तब संसद इसे गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में स्थायी समिति की भूमिका और प्रभावशीलता कम होती जा रही है।

आज के समाचार पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई है कि पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लगभग 51 विधेयक और अध्यादेश प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कई विधेयकों को स्थायी समिति को संदर्भित नहीं किया गया है...*(व्यवधान)* केवल आठ विधेयकों को ही स्थायी समिति को भेजा गया है। मैं यह प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि क्या यह सरकार स्थायी समिति को अप्रासंगिक बनाने की सोच रही है, लेकिन जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, वह एक गलत संदेश देता है कि मानो स्थायी समिति की आवश्यकता ही नहीं है। इससे उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। मेरा अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन कई बार, कम से कम दो अवसरों पर हमने देखा है कि चाहे वह कोयला हो या खनिज एवं खनिज संसाधन, दूसरे सदन में चयन समितियां गठित की गई हैं और उनसे एक सीमित समयावधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसे हम गंभीरता से विचार करेंगे। इसी प्रकार चयन समितियां गठित की जाती हैं।

स्थायी समिति के गठन से पहले, संभवतः चयन समिति का प्रचलन था। यह वर्ष 1993-94 से पहले की बात है। लेकिन यहां ऐसा विषय है जिस पर संसद के सदस्य स्थायी समिति के माध्यम से विचार-विमर्श कर सकते हैं। यदि इसे दिसंबर या जनवरी के महीने में संदर्भित नहीं किया गया है, तब भी मेरा मानना है कि अभी भी समय है। स्थायी समिति को एक निश्चित समय अवधि दें। जुलाई के महीने में हमारा मानसून सत्र आ रहा है। इसलिए जुलाई के पहले सप्ताह में, वह समय सीमा माननीय अध्यक्ष के निदेश से दी जा सकती है। यहां हमारे सामने एक विधेयक है जिस पर हम विचार-विमर्श करेंगे। लेकिन इसे अगर आप स्थायी समिति में भेजेंगे तो बेहतर होगा। स्थायी समिति के विचार सरकार पर अनिवार्य नहीं होते हैं, वे सुझावपूर्ण होते हैं। उन सुझावों के साथ, यह हमेशा राष्ट्र के विचार के लिए एक बेहतर विधेयक रहेगा। इसलिए, मैं फिर से सरकार से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** पहले ही कई बार हमने इस सभा में इस मुद्दे को उठाया है लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। वे सदन में अपने ही तर्क भूल गए हैं। मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 15वीं लोक सभा में, जब यू.पी.ए. सरकार थी, कैसे

अधिकांश नेताओं ने स्थायी समिति के लिए गुहार लगाई और कैसे उन्होंने स्थायी समिति के महत्व को बताया। मैं केवल कुछ उदाहरण दूंगा। एक हैं श्री राम नाईक, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, लेकिन तब मुंबई से भाजपा के सांसद थे, श्री जगतवीर सिंह द्रोण, लोक सभा में भाजपा के डिप्टी व्हिप थे और वर्तमान में कानपुर के महापौर हैं, श्री राम कापसे और श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र, जो सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, ने स्थायी समिति के पक्ष में प्रबल रूप से भाषण दिया था और इसे कार्यपालिका पर विधायी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया था। यह उनकी स्पष्ट दृष्टि थी, लेकिन आज उनकी कार्रवाई क्या है?

इसके अतिरिक्त, जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता और एनडीए के एक प्रमुख सदस्य श्री जॉर्ज फर्नांडिस समिति प्रणाली के प्रति इतने उत्साहित थे कि उन्होंने सदन में इस विषय पर जोरदार तर्क प्रस्तुत किया, मैं उद्धृत करता हूँ:

“इन समितियों के कार्यों को प्रेस एवं मीडिया के लिए पूरी तरह सार्वजनिक किया जाना चाहिए”...

इसका तात्पर्य है कि न केवल इस सदन में, बल्कि स्थायी समितियों की गोपनीय बैठकों को भी मीडिया और प्रेस के लिए पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि चर्चा पूर्णतया पारदर्शी और सार्वजनिक होनी चाहिए। उन्होंने आगे यह भी आग्रह किया:

“... जो इसमें भाग लेना चाहते हैं और इन समितियों के कार्यकलापों के बारे में सुनना और लिखना चाहते हैं।”

इसलिए, यह उनका पहले का रुख था। फिर ऐसा क्या कारण बना कि उन्होंने अपनी सोच स्वतः ही बदल ली? वे अब अध्यादेश राज में तानाशाही तरीके से कार्य कर रहे हैं। पहले वे पिछले सरकार की आलोचना करते थे; जब भी कोई अध्यादेश जारी होता था, तो वे उसकी कड़ी निंदा करते थे।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि लगभग 51 विधेयक हैं। इनमें से केवल सात ही स्थायी समिति को भेजे गए हैं। उदाहरण के लिए, मैं बताना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश (पुनर्गठन) विधेयक को स्थायी समिति को नहीं भेजा गया था। तो, वे कौन से विधेयक थे जिन्हें स्थायी समिति को भेजा गया? ये वे विधेयक थे जो जनता के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन्हें केवल विलंब करने के लिए स्थायी समिति को भेजा गया। उदाहरण के तौर पर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 को स्थायी समिति को इसलिए भेजा गया क्योंकि वे इसे लागू नहीं करना चाहते थे। यह कोई तात्कालिक मामला नहीं था। प्रतिदिन कहीं बलात्कार हो सकता है; हर दिन अत्याचार हो सकते हैं; हर पल उन लोगों को प्रताड़ित किया जा सकता है; लेकिन वे इस अधिनियम को लागू करना नहीं चाहते थे। ... (व्यवधान) मैं यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि यह कितना महत्वपूर्ण विषय है।

दूसरा, रेल संशोधन विधेयक भी था। वे कह रहे हैं कि रेलवे को नुकसान हो रहा है; लगभग 23,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और इसलिए वे इसमें सुधार करना चाहते हैं। लेकिन जब सुझाव दिए गए तो उन्होंने क्या किया? ... (व्यवधान)

आप सुनिए। ... (व्यवधान) आप क्यों बोल रहे हैं? ... (व्यवधान) आपने उसको किया। ... (व्यवधान) फिर उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट है,

यह श्रम से संबंधित है और इसे भेजा गया था। ऐसे सभी महत्वपूर्ण और जरूरी कानूनों को भेजा गया जो गरीब लोगों के पक्ष में थे। एक और महत्वपूर्ण विधेयक लोकपाल और लोकायुक्तों का था, जिसके लिए सभी ने संघर्ष किया, लेकिन आप इसे लागू करने के बजाय स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया। ... (व्यवधान) आपने बिजली (संशोधन) विधेयक सहित अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को स्थायी समिति को संदर्भित किया है, यह हम स्वीकार करते हैं; लेकिन उन लगभग 41 विधेयकों का क्या, जो और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं? उन्हें आप स्थायी समिति को नहीं भेज रहे हैं। ... (व्यवधान)

एक बार तो विधेयक के केवल एक शीर्षक में 'वर्कमैन' शब्द को 'वर्कर्स' से बदलने के प्रस्ताव के लिए भी उसे स्थायी समिति को भेजा गया था ताकि वह लिंग-निरपेक्ष बनाया जा सके, परन्तु उन्होंने कहा कि वे पूरे विधेयक का गहन अध्ययन करना चाहते हैं... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** आप कृपया केवल व्यवस्था के प्रश्न पर बोलें।

...(व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:** मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ उन बातों का जो मेरे साथियों ने उठाई हैं। यह हमारा भी मत है और पूरे सदन का भी, जिसमें उस पक्ष के माननीय सदस्य भी शामिल हैं। लेकिन वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ... (व्यवधान)

यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खत्म कर रहे हैं। आप कानून को दरकिनार कर रहे हैं; आप संविधान को दरकिनार कर रहे हैं; आप अपने ही कार्य के नियमों को दरकिनार कर रहे हैं।... (व्यवधान) इसलिए, हम चाहते हैं कि अब से सभी विधेयक स्थायी समिति को भेजे जाएं।

**डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर):** धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

शुरु से ही ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से हमने इस विधेयक का विरोध किया है क्योंकि विधेयक में कई विरोधाभास हैं। यह हमारे राज्य के लिए भी हानिकारक है क्योंकि हमारा राज्य एक विनिर्माण राज्य है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस विधेयक को आगे की जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा जाए। धन्यवाद।

**श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड):** हम जी.एस.टी. विधेयक के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अधिकांश राज्य इसके पक्ष में हैं। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि संसद सामान्य रूप से विधेयक पर चर्चा करती है और इसलिए स्थायी समितियों का गठन किया जाता है। केवल स्थायी समिति ही किसी भी विधेयक की जांच कर सकती है। आजकल सरकार यह निर्णय ले रही है कि वह स्थायी समिति

को कोई विधेयक नहीं भेजेगी बल्कि संसद में अचानक इसे पारित कर देगी। जैसा कि पहले कहा गया है, हालांकि लोक सभा में सदस्यों द्वारा कुछ संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हें सरकार की प्रबल बहुमत के कारण अस्वीकार कर दिया जाता है, लेकिन जब वही संशोधन राज्य सभा में पहुंचते हैं तो उन्हें स्वीकार किया जाता है और विधेयक पुनः लोक सभा में वापस आता है, जहाँ हम उस पर फिर से विचार-विमर्श करते हैं। मैं अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से भी सहमत हूँ कि विधेयक को जांच करने और इसे और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। यह हमारा निवेदन है।

[हिन्दी]

**वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली) :** उपाध्यक्ष जी, दो प्रश्न उठाए गए हैं। प्रेमचन्द्रन जी ने पहला प्रश्न उठाया है कि जो क्लॉज 21 है उससे संविधान के बुनियादी ढांचे पर असर पड़ता है। उनका तर्क यह है कि संविधान बनाने और संविधान में संशोधन करने का जो आधिकार है, वह केवल संसद को है और धारा 21 में स्पष्टीकरण देने का आधिकार जो राष्ट्रपति जी को दिया गया है उससे उस बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है।

मैं स्पष्ट कर दूँ कि केवल संविधान ही नहीं बल्कि कोई कानून बनाने का आधिकार संसद को है और उस कानून बनाने के आधिकार के तहत केवल एक सीमित धारा लगभग हर कानून में होती है कि अगर उस कानून को लागू करते वक्त पहले दो वर्ष में कोई तकलीफ आएगी, उस उलझन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना होगा, [अनुवाद] यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो कठिनाई को स्पष्ट करने वाला राष्ट्रपति का आदेश होगा। यह 1952 से एक परंपरा रही है। भारत के लगभग सभी कानूनों में ऐसी कोई न कोई खंड मौजूद होता है। मूल संविधान तैयार करते समय भी अनुच्छेद 392 को शामिल किया गया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि 42वें संशोधन को 44वें संशोधन द्वारा निरस्त किया गया, न कि उस खंड के स्पष्टीकरण के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि 42वां संशोधन संविधान की मूल संरचना के प्रतिकूल था। 42वें संशोधन का प्रयास मूल संरचना को समाप्त कर देने और संसद को संविधान के प्रत्येक प्रावधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार

देने का था। 42<sup>वां</sup> संशोधन कहना चाहता था [हिन्दी] कि अगर कोई गैरकानूनी काम होता है तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए जो संविधान का आर्टिकल 226 है उसके अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया जायेगा। 42<sup>वें</sup> संशोधन के माध्यम से, क्योंकि मौलिक अधिकार और संविधानिक अधिकार का हनन हो रहा था, इसलिए वर्ष 1978 में 44<sup>वें</sup> संशोधन के माध्यम से 42<sup>वें</sup> संशोधन को रद्द किया गया था और उसके आतिरिक्त एक अन्य संशोधन संविधान को मजबूत करने के लिए लाया गया था ताकि दोबारा एमरजेन्सी न लग सके। एमरजेन्सी लगाने के अधिकार पर भी सीमाएं डाल दी गयी थीं और एमरजेन्सी के दौरान जो धारा 352 में लगती है, धारा 359 के तहत जो राष्ट्रपति जी को अधिकार था, सरकार को जो अधिकार था कि सारे मानवीय अधिकार सस्पेंड कर दिए जायें, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी को अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार नहीं है और धारा 21 भी उसमें सस्पेंड हो सकती थी, उसको भी 1978 के अंदर स्पष्ट किया गया था कि लोग एमरजेन्सी के दौरान भी लोग अदालत में जा सकते हैं। सन् 1978 में 44<sup>वां</sup> संशोधन उसकी वजह से आया था, इसकी वजह से नहीं आया था। [अनुवाद] सिर्फ यही नहीं, लगभग हर कानून में ऐसी व्यवस्था होती है। मूल संविधान में भी ऐसा एक परिवर्तनकारी प्रावधान था, जो अनुच्छेद 392 में दिया गया है। यह नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जब संविधान लागू हुआ, और फिर संसद के गठन तक 1952 तक के दो साल के समय को दर्शाता है। तो क्या इन दो सालों में अगर कोई बदलाव या समस्या आती है, तो क्या संविधान सभा को पुनः बैठक करनी आवश्यक होगी? दुबारा संविधान सभा को बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं। इस दो साल की अवधि काल में 1950 से लेकर 1952 तक अगर इस प्रकार की उलझन आएगी तो उसे राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से हल किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान हर कानून में मौजूद है और इसलिए, किसी भी आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं है। यह मूल संविधान में था। इसलिए, मूल संविधान में जो मौजूद था, यदि वह संविधान (संशोधन) विधेयक में शामिल है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कानून के माध्यम से ही लेन-देन कर रहे हैं। यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करेगा।

**श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:** लेकिन प्रावधान बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 392 राष्ट्रपति को कठिनाइयाँ दूर करने का अधिकार देता है, लेकिन शर्त यह है कि संसद की पहली बैठक के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब संसद अस्तित्व में हो, तब राष्ट्रपति के पास संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होता। मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि कई कानूनों में कठिनाइयाँ दूर करने के लिए प्रावधान होता है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि जून 1951 में प्रथम संशोधन से लेकर वर्तमान संविधान संशोधन तक, किसी भी संशोधन में ऐसा प्रावधान शामिल नहीं है जिससे राष्ट्रपति को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया हो। यह अधिकार एक असाधारण और विशिष्ट शक्ति है, जो केवल संसद के पास ही निहित है। मैंने अनुच्छेद 392 का विस्तार से अध्ययन किया है, जो स्पष्ट रूप से इस बात को स्थापित करता है कि यह अधिकार केवल तब तक ही रहेगा जब तक संसद का गठन नहीं हो जाता। संसद के गठन के बाद, इन कठिनाइयों को केवल संसद ही दूर कर सकती है।

**श्री अरुण जेटली:** यह संविधान संशोधन करने की शक्ति नहीं है। ऐसे अलग-अलग प्रावधान हैं जहाँ राष्ट्रपति को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। मैं आपको वे प्रावधान भी दिखाऊंगा। यह कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति को दी गई शक्ति है। अन्यथा, आप कैसे कहेंगे कि कानून बनाना केवल एक संसदीय कार्य है और यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। लेकिन प्रत्येक बनाए गए कानून में कठिनाई दूर करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने और सहायता प्रदान करने वाली मंत्री परिषद भी इस प्रक्रिया में शामिल होती है।

इसी तरह, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति अनिश्चित काल के लिए नहीं है। यह केवल परिवर्तन अवधि के लिए है। इसलिए, खंड 21 में इन शब्दों का उपयोग किया गया है कि परिवर्तन अवधि में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति होगी। मैं आपको राष्ट्रपति को दिए गए संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी दिखाऊंगा। आप अनुच्छेद 370 की ओर रुख कर सकते हैं, जो एक प्रसिद्ध

अनुच्छेद है। अनुच्छेद 370 के बारे में और इसे कैसे लाया गया, इसकी परिस्थितियों के बारे में सभी ने सुना है। आप उप-अनुच्छेद (3) को देखें। इसमें कहा गया है :

“इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकते हैं कि यह अनुच्छेद संचालित होना बंद हो जाएगा या केवल उन अपवादों और संशोधनों के साथ और उस तारीख से संचालित होगा, जैसा वह निर्दिष्ट कर सकते हैं।”

**श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:** कृपया सदन को गुमराह न करें। अनुच्छेद का शीर्षक स्वयं बहुत स्पष्ट है... (व्यवधान)

**श्री अरुण जेटली:** सवाल यह है कि क्या संविधान के तहत राष्ट्रपति को कोई अनुकूलन परिवर्तन करने की शक्ति दी गई है, यदि कोई कठिनाई है, तो जवाब है, हाँ। क्या हर कानून में ऐसी शक्ति है? जवाब है, हाँ। अतः संविधान संशोधन के अंतर्गत यह शक्ति परिवर्तन अवधि में और केवल सीमित अवधि के लिए, न कि अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति को दी जाती है ताकि वह कुछ परिवर्तन अवधि के दौरान बदलाव और सुधार कर सकें।

अब कई मूल कानूनों के तहत भी ऐसी शक्ति है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में राष्ट्रपति शासन ने ही बहुत सारी समस्याओं को दूर कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी राज्य को विभाजित करते हैं और उसकी संपत्ति आदि को विभाजित करते हैं, तो यह राष्ट्रपति की शक्ति होती है जिसका उपयोग कठिनाइयों आदि को दूर करने के लिए किया जाता है।

### अपराह्न 3.00 बजे

यह शक्ति वहां है। उदाहरण के लिए, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। पुनर्गठन अधिनियम में, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। अब आपके पास तेलंगाना राज्य और आपके पास आंध्र प्रदेश राज्य है। लेकिन दस वर्षों से हैदराबाद दोनों राज्यों की राजधानी है। इसी शक्ति के तहत कानून और व्यवस्था की शक्ति का उपयोग राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए, जो कुछ परिवर्तन अवधि के लिए समान होंगे। जब राज्य के विभाजन से कानून को अस्थायी प्रभाव दिया जा रहा है, तो यह एक असामान्य स्थिति है। इसलिए, यू.पी.ए. सरकार ने खुद इसे उचित ठहराया था। मैंने यह प्रश्न उठाया था। उन्होंने इसे उचित ठहराया, शायद इसलिए, इस सवाल पर कि परिवर्तनकारी प्रावधान में असामान्य कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, संविधान को व्यवहार्य बनाना होगा और इसलिए यह शक्ति हमेशा संविधान के पास रहेगी।

महोदय, स्थायी समिति के प्रश्न के संबंध में, मैं स्थायी समितियों के महत्व में सभी माननीय सदस्यों के साथ रहूंगा। स्थायी समितियां महत्वपूर्ण हैं। [हिन्दी] स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टी के लोग होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से एक सहमति बनती है और उसका लाभ होता है। इसलिए प्रमुख लेजिस्लेशन स्टैंडिंग कमेटी में जाती है। लेकिन आर्डिनेंस अक्सर स्टैंडिंग कमेटी नहीं जाता। अगर किसी बिल के किसी एक या दो सेक्शन में कोई परिवर्तन हो तो बिल स्टैंडिंग कमेटी में नहीं जाता। खड़गे जी ने लोकपाल बिल के बारे में जिक्र किया, लोकपाल बिल स्टैंडिंग कमेटी और सलेक्ट दोनों कमेटियों गया था। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोक सभा के विपक्ष के नेता होंगे। चूंकि औपचारिक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो क्या विपक्ष से विमर्श किया जाए या नहीं, यह समस्या उत्पन्न हुई। डायरेक्टर की नियुक्ति 1 तारीख तक हो जानी थी। खड़गे जी को उस प्रक्रिया में कैसे लाया जाए यह प्रयास किया गया। अगर हम कहते की इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दो और इसे हम अगले सेशन में पास करेंगे और खड़गे जी की सहमति के बगैर ही नियुक्ति कर दी जाती तो इसे आप लोग गैर-लोकतांत्रिक कहते। बिना स्टैंडिंग कमेटी का जो लोकपाल बिल पास हुआ उसका संशोधन केवल इसलिए था कि खड़गे जी नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर न रह जाएं। यह

अर्जेंसी आपको मालूम थी इसलिए आप लोगों ने भी उसका कोई विशेष विरोध नहीं किया था। [अनुवाद] यह विधेयक ढाई साल से स्थायी समिति के पास है। लेकिन यह विधेयक एक विशेष विधेयक है जिसमें न केवल संसद की शक्ति शामिल है, या केंद्र सरकार शामिल है, बल्कि राज्यों की शक्ति भी शामिल है। इसलिए, एक नाजुक संतुलन लाया जाना चाहिए जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति लाई जानी चाहिए कि जी.एस.टी. के तहत शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। इसलिए, यू.पी.ए. सरकार ने एक सही प्रथा का पालन किया। उन्होंने राज्य के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। मैंने इसे अंतिम अवसर पर कहा, मैं इसे दोहरा रहा हूँ। प्रथा यह थी कि उस समिति की अध्यक्षता करने के लिए किसी को सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं लिया जाए और इसलिए, केंद्र सरकार के साथ सर्वसम्मति लाना उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुछ मुद्दों को छोड़कर, व्यापक सहमति है। जब मैं कुछ मुद्दे कहता हूँ, तो आपके राज्य में एक मुद्दा है, मैं उनके साथ चर्चा कर चुका हूँ। उन्होंने इसे उठाया है। हमने उन्हें एक आरामदायक स्तर देने की कोशिश की है। अब, हम राज्यों के बीच में एक आम सहमति लाए हैं। यह संसद की परिपक्वता है जिसमें सभी राजनीतिक दल शामिल हैं। ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व उस सशक्त समिति में उनके वित्त मंत्रियों के माध्यम से होता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों सहित सभी राज्य हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य पहले दिन से ही इस प्रक्रिया के लाभार्थी बनने जा रहे हैं। अंतर यह है कि स्थायी समिति में ढाई साल बिताने के बाद, वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति की दर्जनों बैठकें हुईं, यदि आप इसमें और देरी करना चाहते हैं, तो प्रभाव यह होने जा रहा है कि 1 अप्रैल, 2016 की समय सीमा समाप्त हो जाएगी। और यदि 1 अप्रैल, 2016 की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो पूरा वित्तीय वर्ष जाने वाला है।

अब, यह एक ऐसा विधेयक है जहां हम लक्ष्य बना रहे हैं कि इस विधेयक के बाद केंद्रीय कानून, राज्य कानून और आई.जी.एस.टी. के संबंध में तीन कानून लाए जाएंगे, जिन्हें पहले सशक्त समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी। राज्यों को केंद्रीय कानून को मंजूरी देने की कोई प्रावधान नहीं है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के लॉ को अप्रूव नहीं करते, लेकिन इसमें एक-दूसरे के अधिकार शामिल हैं। इसमें हम स्टैंडिंग कमेटी की आम राय ले लें, जो एक-दो बड़े परिवर्तन हुए हैं, जो प्रमुख चेंज हुआ है वह प्रमुख परिवर्तन यह है कि यदि किसी राज्य

को नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। हमें ऐसी स्थिति नहीं होने देनी चाहिए जहां संसद कुछ निर्णय करे और राज्यों के वित्त मंत्री कुछ और अन्य निर्णय लें। दोनों को मिलजुल कर काम करना होगा। हमें राज्यों और केंद्र के बीच इस तरह के राजनीतिक कौशल और सौहार्दपूर्ण संबंधों को देखना होगा।

कांग्रेस पार्टी की हर राज्य सरकार ने इसका समर्थन किया है। वाम दलों ने इस अभियान का नेतृत्व किया था। वास्तव में, जब मैं विपक्ष में था तो श्री असीम दासगुप्ता जी मुझसे मिलते थे, हमें यह समझाने के लिए कि आपको तुरंत गुजरात और महाराष्ट्र जैसे उत्पादक राज्यों को सांत्वना देनी चाहिए ताकि वे तुरंत आपत्ति वापस ले सकें और इस पर सहमत हो सकें।

पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। ओडिशा सबसे आगे है। केरल सबसे आगे है। केरल के वित्त मंत्री जी अब इसका नेतृत्व कर रहे हैं। यदि संसद अपनी समझदारी से यह निर्णय लेना चाहती है कि वह जी.एस.टी. में देरी करना चाहती है, तो पूरी प्रक्रिया में देरी होने वाली है।

मेरा निवेदन यह है कि यह तर्क अब मान्य नहीं है कि यह स्थायी समिति के पास नहीं गया है। इसने स्थायी समिति के समक्ष ढाई साल बिताए हैं और उसके बाद, इसने तीन अलग-अलग वित्त मंत्रियों और चार अलग-अलग अध्यक्षों तहत वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की दर्जनों बैठकों में समय बिताया है। उसके बाद ही केंद्र और राज्यों के बीच समझौते और लगभग पूरी एकमति हासिल हुई है। उसके बाद, यदि आप इसमें देरी करना चाहते हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा।

इसलिए, सरकार बहुत उत्सुक है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपको सचमुच, कि आखिरकार, हमारे राष्ट्र के जीवन में कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर हमें दलगत विचारों से ऊपर उठना होता है और एक बार जब हमारे सभी मुख्यमंत्री जी सहमत होते हैं, तो हम इसे क्यों देर करें? यदि हम इसमें देरी करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसे एक और वित्तीय वर्ष से देरी कर रहे हैं, और एक और वित्तीय वर्ष का मतलब है, आपके राज्यों या उपभोग करने वाले राज्यों को एक और वर्ष के लिए नुकसान होने वाला है।

इसलिए, केंद्र सरकार बहुत उत्सुक है कि वह आगे बढ़े।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदया, हम इस विषय पर आपका निर्णय सुनना चाहेंगे। हम आपके निर्णय का पालन करेंगे।

---

अपराह्न 3.09 बजे

## अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

### विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजना

**माननीय उपाध्यक्ष:** सम्माननीय सदस्यों, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कहा कि संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के कुछ प्रावधान संविधान के अधिकार से बाहर हैं।

इस संदर्भ में, मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि स्थापित परंपरा के अनुसार, यह तय करना कि कोई विधेयक या उसका कोई खंड संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है या नहीं, यह निर्णय अध्यक्ष नहीं लेते हैं। सदन किसी विधेयक के अधिकारों के विशिष्ट प्रश्न पर भी निर्णय नहीं लेता है। यह विषय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

स्थायी समिति के संबंध में, श्री भर्तृहरि महताब ने दिनांक 5 मई, 2015 के पत्र में कहा है कि जब पिछले दिन उन्होंने यह कहते हुए विधेयक को सूचीबद्ध करने पर आपत्ति जताई थी कि यह एक नया विधेयक है और इसे स्थायी समिति को भेजे जाने की आवश्यकता है, तो सरकार की ओर से कहा गया था कि पिछली लोक सभा की तरह, स्थायी समिति में इसी तरह के विधेयक पर विचार-विमर्श किया गया था, इस विधेयक को स्थायी समिति को फिर से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह विधेयक एक नया विधेयक है और इसमें कई नए प्रावधान हैं।

मैं सभा को सूचित करता हूँ कि विधेयक के प्रभारी मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने 18 दिसंबर, 2014 के पत्र के माध्यम से माननीय अध्यक्ष से इस आधार पर विधेयक को स्थायी समिति को नहीं भेजने का अनुरोध किया था कि जीएसटी को पेश करने के लिए संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011 नामक एक विधेयक 22 मार्च, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। माननीय मंत्री जी ने आगे कहा था कि राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया है और वर्तमान विधेयक को स्थायी समिति और अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों

के आधार पर संशोधित किया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय अध्यक्ष ने विधेयक को स्थायी समिति को नहीं भेजा था।

चूंकि माननीय अध्यक्ष ने पहले ही इस विधेयक को स्थायी समिति को नहीं भेजने का निर्णय ले लिया था, इसलिए मैं अब श्री वीरप्पा मोइली जी को बोलने के लिए बुला रहा हूँ।

... (व्यवधान)

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** उनका निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। ... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** माननीय अध्यक्ष महोदया पहले ही निर्णय ले चुकी हैं। इसलिए, मैं अब श्री वीरप्पा मोइली जी को बोलने के लिए कह रहा हूँ।

---

**अपराह 3.11 बजे****संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 - जारी...**

**श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्कबल्लापुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां जीएसटी का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यह काफी क्रांतिकारी कदम है।

**वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली):** महोदय, मैं श्री वीरप्पा मोइली और उनकी पार्टी का धन्यवाद करता हूं और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए उन्हें बधाई देता हूं...  
(व्यवधान)

**श्री एम. वीरप्पा मोइली:** यू.पी.ए. सरकार द्वारा दो प्रमुख विधेयक लाए गए थे। एक था संविधान संशोधन विधेयक — संविधान (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011 जो जीएसटी से संबंधित था। दूसरा विधेयक अप्रत्यक्ष करों से जुड़ा हुआ था, जिसके माध्यम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक से दो प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना थी।

एक अन्य क्रांतिकारी कदम प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करके पुराने आयकर अधिनियम को बदलना था। ये दोनों प्रस्तावित बदलाव बुनियादी और नवोन्मेषी थे। वास्तव में, इनके लागू होने से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2 से 3 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती थी। इसका अर्थ यह है कि वर्तमान में जो 3 प्रतिशत का राजस्व घाटा है, वह इन उपायों को आगे बढ़ाने से आने वाले वर्षों में पूरी तरह समाप्त हो सकता था। यूपीए सरकार ने जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से लागू करने का प्रयास किया था। इसे छह साल के लिए स्थगित कर दिया गया था क्योंकि आप इसे अप्रैल, 2016 से लागू करना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि इस देरी से देश को कितना नुकसान हुआ! मैं केवल आपको दोष नहीं दे रहा, लेकिन राजनीतिक असुविधा के कारण यह टाल

दिया गया। जहां तक प्रत्यक्ष कर संहिता का प्रश्न है, आपके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन एक सुविचारित और परीक्षण की गई विधायी रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। मौजूदा आयकर अधिनियम तो एक औपनिवेशिक कानून है, जो प्रगतिशील कानून नहीं कहा जा सकता।

एक नए, आधुनिक अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी ने कहा:

"यदि सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर कराधान भविष्य में अधिक प्रतिगामी हो जाता है, तो धन-संपदा और असमानता की गतिशीलता पर इसका प्रभाव गंभीर होगा, जिससे पूंजी का अत्यधिक केंद्रीकरण संभव है।"

हमें इन सभी सवालों को हल करने की जरूरत है। बेशक, हमारी गति बहुत धीमी है। कई बार प्रशासन और कराधान दोनों ही क्षेत्रों में नौकरशाही बदलाव के खिलाफ रहती है; वे बदलाव नहीं चाहती। इसी कारण आज यह देश पीड़ित है। मैंने इन सभी मुद्दों का विश्लेषण किया है, क्योंकि मैं दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष रहा हूं, और मैंने देखा है कि कैसे यह देश नौकरशाही के बोझ से पीड़ित है। कई बार हम में से कुछ लोग बदलाव को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं, क्यों न *यथास्थिति* को बरकरार रखा जाए? हम बदलाव के पहलकर्ता बनने की बजाय *स्थिति को स्थिर बनाए रखने* वाले बन जाते हैं। यदि देश किसी कारण से पिछड़ रहा है, तो इसकी मुख्य वजह यही मानसिकता है। इसलिए, हमें इस सोच को बदलने और देश के विकास के लिए आवश्यक सुधारों को अपनाने की आवश्यकता है।

मैं कम से कम खुश हूँ कि आप जी.एस.टी. की तरफ बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष ने और बाद में आपने अपने निर्णय के माध्यम से स्पष्ट किया है कि इस विधेयक को स्थायी समिति को क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए। फिर भी यह विषय विचाराधीन है। अन्ततः, मेरे और अन्य अनेक वक्ताओं के तर्कों के पश्चात् माननीय अध्यक्ष, आप स्वयं अथवा माननीय वित्त मंत्री जी यह निर्णय ले सकते हैं कि इसे स्थायी समिति को प्रेषित किया जाना चाहिए। मैं केवल यह विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इसे स्थायी समिति को भेजना क्यों आवश्यक है। कृपया हम

सभी खुले मन से विचार करें। यदि आप इस निर्णय से सहमत होते हैं, तो इसे अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

मैंने 115<sup>वें</sup> संशोधन विधेयक और 122<sup>वें</sup> संशोधन विधेयक 2014 की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण किया है। जहाँ तक उद्देश्य का सवाल है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उद्देश्य एक समान है। लेकिन कुछ अन्य बातें हैं — जैसे अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान जी.एस.टी.. का लगाना और संग्रह करना; आई.जी.एस.टी.. का लगाना समान है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आई.जी.एस.टी.. के वितरण के संबंध में आपने एक नया प्रावधान जोड़ा है, जिसमें जी.एस.टी.. परिषद के कार्यों के अंतर्गत यह शामिल किया गया है कि जी.एस.टी.. परिषद आई.जी.एस.टी.. के वितरण से संबंधित सिफारिशें भी करेगी। यही वह परिवर्तन है जो आपने किया है।

जहाँ तक अतिरिक्त कर का सवाल है, विधेयक में कहा गया है कि कर में वृद्धि एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसका दोनों पहलू है — एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। अतिरिक्त एक प्रतिशत का व्यापक प्रभाव होगा। जहाँ तक आम लोगों या करदाताओं का सवाल है, और जहाँ तक बाजार का सवाल है, इसका निश्चित रूप से व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उन्हें कई स्तरों पर भुगतान करना होगा। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसकी उचित जांच की जानी चाहिए थी। इसका तात्पर्य क्या है? अंततः क्या होता है? यह 27 प्रतिशत के साथ अतिरिक्त एक प्रतिशत होगा, जो आगामी जीएसटी दर बनेगा। जाहिर है, केवल 27 प्रतिशत पर कोई व्यापक प्रभाव नहीं होगा; लेकिन इस अतिरिक्त एक प्रतिशत पर व्यापक प्रभाव होगा। यह आम जनता का दृष्टिकोण है, साथ ही बाजार पर इसके प्रभाव का मैं आगे विस्तार से विश्लेषण करूँगा। मेरा मानना है कि यह एक गंभीर विषय है, जिसे स्थायी समिति में चर्चा की जानी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि इसे किसी अन्य संस्था ने इस तरह से विचार किया है। अधिकार प्राप्त समिति ने केवल सामान्य सहमति बनाई होगी। सशक्त समिति के निर्णयों को विशेष नहीं कहा जा सकता। अधिकार प्राप्त समिति, स्थायी समिति का विकल्प नहीं बन सकती। यह एकदम

भी संभव नहीं है। अतः हमें इसे गंभीरता से विचार करना होगा कि प्रत्येक राज्य द्वारा लगाए गए इस अतिरिक्त एक प्रतिशत का क्या प्रभाव होगा। इससे चक्रीय प्रभाव उत्पन्न होगा।

जहाँ तक दूसरी बात का संबंध है, इसमें मौलिक अंतर है। 2011 के विधेयक के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक थी। जबकि अब गणपूर्ति के गठन को लेकर भ्रमित करने वाली परिभाषा है—केंद्र सरकार के मतदान को कुल वोटों का एक-तिहाई महत्व दिया जाता है और राज्य सरकारों के वोटों को मिलाकर कुल वोटों का दो-तिहाई महत्व दिया गया है। क्या इसका उचित मूल्यांकन किया गया है? क्या इसका विश्लेषण किया गया है? आखिरकार, कल सरकार में भारत सरकार का महत्व राज्य सरकारों से अधिक होगा। उन्हें समान माना नहीं गया है।

जहाँ तक इस परिषद का प्रश्न है, 2011 के विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएँगे। लेकिन वर्तमान विधेयक में एक मौलिक परिवर्तन किया गया है—अब कहा गया है कि निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाएँगे। एक संघात्मक शासन व्यवस्था में, एक संघीय ढाँचे में, मतदान किस प्रकार होगा? इसका प्रभाव राज्यों पर पड़ेगा। यहां तक कि किसी राजनीतिक दल की संरचना में भी, उसके घटक या सहयोगी अलग-अलग स्थिति में होते हैं। यह व्यवस्था बहुत अधिक भ्रम और जटिलता उत्पन्न कर सकती है।

हमारे विधेयक में एक प्रणाली का प्रावधान किया गया था—विवाद निवारण प्राधिकरण की स्थापना की बात थी लेकिन उसे हटा दिया गया है। मुझे पता है कि आप यह तर्क दे सकते हैं कि पहले की स्थायी समिति ने मतदान के साथ-साथ एक अन्य तंत्र को शामिल करने की सिफारिश की थी। लेकिन आप पूरी तरह से उस स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आपने किसी समुचित तंत्र की स्थापना किए बिना सीधे मतदान प्रणाली लागू कर दी है। कल क्या होगा? पूरी व्यवस्था में भारी भ्रम उत्पन्न हो सकता है। राज्यों के बीच खींचातानी होगी, निर्णय प्रक्रिया जटिल हो जाएगी और फैसले निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ नहीं रहेंगे। कम से कम 2011 के विधेयक में विवादों के समाधान के लिए एक स्पष्ट तंत्र प्रस्तावित था—विवाद निपटान प्राधिकरण। इसमें तीन सदस्यों का प्रावधान था, जिनमें एक अध्यक्ष होते जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या

किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते, और दो अन्य सदस्य कानून, अर्थव्यवस्था या लोक नीति के विशेषज्ञ होते। इस प्रकार के प्रावधान से जो निर्णय निकलता, वह अधिक निष्पक्ष, संतुलित और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होता। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में ऐसी किसी वस्तुनिष्ठता की कोई सुनिश्चितता नहीं है। सर्वसम्मति से निर्णय लेने की प्रक्रिया ही उद्देश्य को पूरा कर सकती थी। यदि किसी को उस सर्वसम्मति से आपत्ति होती, तो वह मामला विवाद निपटान प्राधिकरण के समक्ष रखा जा सकता था।

यह एक अत्यंत गंभीर विषय है, जिसकी चर्चा स्थायी समिति में की जानी चाहिए थी। इसके पक्ष में ठोस तर्क मौजूद हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो भविष्य में कुछ राज्य वंचित हो सकते हैं या उन्हें उपेक्षित किए जाने की आशंका बनी रहेगी। कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जिनकी इस व्यवस्था में आवाज़ दब सकती है या जो पूरी तरह उपेक्षित रह जाएं। वास्तव में, इस परिषद का उद्देश्य ही यही था कि हर राज्य के हितों को, चाहे वे राजनीतिक रूप से कितने भी कमजोर क्यों न हों, उचित रूप से प्रतिनिधित्व और संरक्षण मिले। यह मामला निश्चित रूप से उस संकल्पना की मूल भावना को प्रभावित करेगा। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे गंभीरता से विचार करना आवश्यक है। वर्तमान विधेयक में वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने से संबंधित प्रतिबंध को हटा दिया गया है, क्योंकि यह उन वस्तुओं पर राज्यों के कराधान के अधिकार को सीमित करता था, जिन्हें संसद ने अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तुओं के रूप में घोषित किया है। इससे कल बहुत सारी जटिलताएँ पैदा होंगी। आपने इसे पूरी तरह से हटा दिया है। कहीं भी आपने इस समस्या का समाधान नहीं किया है। दूसरी बात है वस्तुओं के प्रवेश पर या अंतर्स्थानीय व्यापार पर कर लगाने की (सातवीं अनुसूची की सूची 2 में संशोधन)। इस विधेयक में वह प्रावधान हटाया गया है जो राज्यों को स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर लगाने की अनुमति देता था। आज भी सशक्तिकरण समिति में इस बात पर सर्वसम्मति नहीं बनी है। कई राज्य इससे सहमत नहीं हैं। आप इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय एक महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं। आपने 73वें और 74वें संविधान संशोधनों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है। स्थानीय निकायों, जिला परिषदों और नगरपालिकाओं को संसाधन कैसे प्रदान किए जाएंगे? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसे बदलते समय आपने इसे पूरी तरह हटा दिया है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं।

फिर यह बदलता रहता है। यह केवल एक मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि मूल विधेयक और वर्तमान विधेयक दोनों में एक बुनियादी परिवर्तन है। पूरी जीएसटी की समग्र रूपरेखा क्या है? सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो यह सरल कर संरचना, बढ़ी हुई कर आय, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण, निर्यात को बढ़ावा, कॉर्पोरेट, उद्योग, सरकार, उपभोक्ताओं और उत्पादकों को लाभ देता है। इसका मतलब है कि यह सभी के लिए एक लाभकारी स्थिति होनी चाहिए, चाहे वे छोटे या बड़े राज्य हों, चाहे वे विनिर्माण राज्य हों या उपभोक्ता राज्य हों। यह केवल विनिर्माण राज्यों के पक्ष में या उपभोक्ता राज्यों के विरुद्ध तुलना करना सही नहीं होगा, और न ही इसे अन्य राज्यों के संदर्भ में लागू किया जा सकता है। इसलिए, आज भी सभी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि “राज्यों के बीच सहमति आवश्यक है।” इसी उद्देश्य के तहत अधिकारिता समितियों का गठन किया गया है। मैं यह भी जानता हूँ कि हर कोई हर बात पर सहमत नहीं हो सकता। हम इसे तब भी जानते थे जब वैट लागू किया गया था। मैं इसे भली-भांति जानता हूँ क्योंकि मैं कर्नाटक में वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों रहा हूँ। उसी समय मैं इसका नेतृत्व भी कर रहा था। वैट लागू करने के लिए, मैंने बिक्री कर राजस्व आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रणाली विकसित की थी और हमने इसे स्वीकार किया था। हम सभी ने उस समय भारत सरकार से आग्रह किया कि अगर कुछ राज्य सहमत नहीं भी हैं, तो भी कोई बात नहीं। कुछ राज्यों ने राजनीतिक रुख अपनाया। उन्होंने कहा, हम वैट का विकल्प नहीं चुनते हैं। लेकिन, आखिरकार, एक या दो साल के भीतर, सभी ने इसे चुना क्योंकि यह लाभदायक था। इसलिए, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि सभी राज्यों की सहमति होना आवश्यक नहीं है। कुछ राज्य भिन्न मत रख सकते हैं। लेकिन अंततः यह निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र और राज्यों के हित में काम करेगा। हो सकता है कि आपने यहां मुआवजे का प्रावधान किया हो, लेकिन वैट के अनुभव क्या रहे हैं? हालांकि मुआवजे का प्रावधान किया गया था, फिर भी कोई भी इसका लाभ नहीं उठा पाया क्योंकि अंततः इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। यही स्थिति जीएसटी में भी हो सकती है। हालांकि आपने इसका प्रावधान किया है, मैं इसका विरोध नहीं करता। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमने यह जानते हुए भी मुआवजा नहीं दिया है कि यह अपने आप समायोजित हो जाएगा। लेकिन यहां तो आपने मुआवजा दे दिया; इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम सी.एस.टी. मुआवजा जो आपने बजट में आबंटित किया है, इन दो-तीन वर्षों में आपने

उसका भुगतान नहीं किया है। कम से कम यह सभी राज्यों में विश्वास पैदा कर सकता था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका उद्देश्य सभी राज्यों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और विनिर्माताओं के लिए भी, एक लाभकारी स्थिति बनाना है। यह हर क्षेत्र की मदद करेगा। इस प्रभाव अध्ययन को केवल स्थायी समिति द्वारा ही किया जाना चाहिए था। यही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने कहा है, उन सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया जा सकता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं इस विधेयक के हर पहलू को ध्यान से देखूँ — और मैं सदन का बहुत समय नहीं लूँगा — तो मुझे कहना होगा कि मैं इसे केवल 40 प्रतिशत अंक दूँगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कुछ बातों को सही ढंग से समायोजित किया गया होता, तो यह विधेयक अत्यंत लाभकारी साबित होता; लेकिन यह संशोधन उस सकारात्मक प्रभाव के अनुरूप नहीं है जो इससे अपेक्षित था। इसीलिए इसका स्थायी समिति द्वारा बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया होगा।

यदि जीएसटी सही ढंग से लागू नहीं किया गया तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित संशोधनों को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों की मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जी.एस.टी. विधेयक लाना चाहिए। और फिर, आई.जी.एस.टी. विधेयक लाना होगा। ये तीनों विधेयक प्रस्तुत किए जाने होंगे, यह मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। इन कर उपायों की पूरी रूपरेखा संविधान विधेयक में समाहित नहीं की जा सकती। मेरा मानना है कि कभी-कभी हम आवश्यकतानुसार कुछ अधिक कर देते हैं। संविधान (संशोधन) विधेयक को इतने विस्तार में नहीं जाना चाहिए था। यह एक खतरा है। इसका मतलब है कि आपने यह विकल्प छीन लिया है। आपने राज्य सरकारों के उन कुछ नवाचारी कदम उठाने के अधिकार भी छीन लिए हैं जो वे विधेयक में शामिल करना चाहते थे। आप प्रत्येक राज्य को भी एक सीमा तक ही सीमित कर रहे हैं। उन्हें उस सीमा से आगे जाने का अधिकार भी प्राप्त है। इसे स्थायी समिति में विचार किया जाना चाहिए था। अधिकारिता समिति में इस प्रकार का बहुत ही विशिष्ट और सूक्ष्म स्तर का विश्लेषण नहीं किया जाता है। इसलिए, कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि सही लेखांकन विधियों का उपयोग न करने से कर प्रतिस्पर्धा और अनुपालन में विसंगतियां हो सकती हैं। क्या आपने इसे सुनिश्चित किया है? क्या इस पर कोई रूपरेखा तैयार की गई है? कुछ अन्य नकारात्मक प्रभाव जैसे बैंक शुल्कों

पर गलत तरीके से जीएसटी क्रेडिट का दावा करना; भूमि कर, परिषद शुल्क, जल दर जैसी सरकारी फीस पर गलत दावा करना; व्यवसाय बीमा पॉलिसी की पूरी लागत पर अनुचित क्रेडिट लेना; जीएसटी सहित प्राप्त कुछ सरकारी अनुदान और प्रोत्साहनों पर जीएसटी का भुगतान न करना; कार और उपकरणों की बिक्री पर, जिसमें मोटर वाहन व्यापार भी शामिल है, जीएसटी का भुगतान न करना; वेतन और पेंशन भुगतान पर गलत तरीके से क्रेडिट का दावा करना; मूल खाद्य वस्तुएं, निर्यात तथा कुछ स्वास्थ्य सेवाओं जैसी जीएसटी-रहित खरीद पर गलत दावा; लकजरी कार सीमा से अधिक मूल्य वाली कार पर पूरा क्रेडिट लेना; वाणिज्यिक हायर पर्वेज से वित्तपोषित संपत्तियों पर अग्रिम क्रेडिट का गलत दावा; येलो पेज विज्ञापन के भुगतान पर गलत क्रेडिट; और वैध कर चालान न होने पर भी बी.ए.एस. दाखिल करते समय क्रेडिट का दावा करना शामिल है। ये कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं। आप इन सभी का कैसे समाधान करेंगे? कराधान के ये दोनों—सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ये नकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से हमारे अपनाए गए कर सुधारों के सकारात्मक प्रभावों को प्रभावित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर कोई गहन चर्चा हुई है। अधिकारिता समिति का उद्देश्य इन सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण करना नहीं था। यह जिम्मेदारी हमें संसद में निभानी है, क्योंकि संसद इसी के लिए होती है। इसलिए संविधान संशोधन विधेयक इसी लिए बनाया गया है। उच्च पद से निहित स्वार्थ रखते हुए, हम इस प्रकार के मुद्दों पर विचार कर सकते हैं। इसी कारण मैं यह तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यहां सभा के दोनों पक्षों में अक्सर उचित, निष्पक्ष और निरपेक्ष चर्चा या निर्णय नहीं हो पाता। ऐसी गंभीर चर्चा केवल स्थायी समिति में ही संभव है। क्या आपने इस पहलू का विश्लेषण किया है? हमें कल पछतावा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि यह जीएसटी लगभग 140 देशों में लागू है। हम इसे अपने दम पर लागू नहीं कर रहे हैं। हम उन 140 देशों के अनुभव से सीख सकते थे। क्या कोई प्रमाण है जो दिखाता हो कि अधिकारिता समिति ने इस मुद्दे पर चर्चा की हो? कुछ सबक अवश्य लिए जा सकते थे। यह दुनिया में पहली बार जीएसटी लागू किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। यह हमेशा से ही देशों के लिए मददगार साबित हुआ है। जहाँ तक हमारा सवाल है, किसी भी बदलाव के साथ-साथ इस प्रभावशाली बदलाव के लिए लचीलापन भी होना चाहिए क्योंकि

यह एक नवाचारपूर्ण कर प्रणाली है। इसलिए इसे पूरी तरह से समझने और अध्ययन करने की आवश्यकता है। क्या आप इसे लागू करने के बाद इसका अध्ययन कर रहे हैं? मेरा मानना है कि इससे बहुत सारी उलझनें पैदा होंगी। किसी भी नवाचारपूर्ण कर प्रणाली में स्पष्टता और निश्चितता होनी चाहिए। यदि ये दोनों तत्व खो जाते हैं, तो वह कर प्रणाली पूरी तरह से विकृत हो जाएगी। और इसी वजह से हमारा देश कई मामलों में दिक्कतों का सामना कर रहा है।

मैं न केवल अपनी सरकार को, बल्कि स्वयं इस प्रणाली को भी इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूँ। कराधान की नीति में हम असफल रहे हैं। उस समय मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह गलत है। हम एक प्रयोग कर रहे हैं, जो अंततः हमें और इस देश को भारी नुकसान पहुंचाएगा।

इसीलिए, आप भले ही भाषणों और बेहतर अभिव्यक्ति से यह दावा करें, लेकिन आज एक साल बाद भी इस देश में निवेश में तेजी नहीं आई है। आपके द्वारा इस तरह की धारणा, अच्छा निवेश माहौल बनाने के बाद भी चीजें बेहतर नहीं हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुनियादी तौर पर आपने बदलाव नहीं किए हैं। कराधान में भी शासन और सुधार काफी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मैंने कहा था कि डीटीसी और जीएसटी इस देश में बदलाव के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यदि आप इन्हें त्याग देते हैं, तो संभवतः कल आपको पछताना पड़ेगा। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या जी.एस.टी.. वैट से बेहतर है। आपको इसे एक सुधार के रूप में दिखाना होगा। अन्यथा, यह लोगों को मुश्किल में डाल देगा। जी.एस.टी.. वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होगा। भेद बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।

कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुधारना आवश्यक है। आपको चालू वैट प्रणाली से बेहतर स्थिति बनानी होगी। मैंने ऐसे पचास विसंगतियों की सूची तैयार की है जिन्हें सही किया जाना चाहिए। वैट से जीएसटी तक यह कर प्रणाली में एक उन्नति है। क्या आपने इसे सुनिश्चित किया है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का कोई विश्लेषण किया गया है। निःसंदेह, आपने सही कहा है कि सशक्त समिति इसे करने की अधिकारिता नहीं रखती

है। यह कार्य केवल कुछ विशेषज्ञ अर्थशास्त्री और विश्लेषक ही कर सकते हैं, जो इस क्षेत्र में प्रवीण हों। इसलिए मैंने कहा था कि यह एक मामला नहीं, बल्कि एक सौ एक मामले हैं जिन्हें मैं माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ, और यह मामला स्थायी समिति को भेजने के लिए उपयुक्त है। ऐसा करें, औपचारिकताओं में न उलझें। आप कहते हैं, "यह दो बार क्यों जाना चाहिए?" हमने पहले ही एक विधेयक भेजा था। मैंने कंपनी कानून भेजने पर सहमति दी थी, जो सर्वश्रेष्ठ कंपनी कानून माना जाता है। मैंने इसे कई अन्य देशों की तुलना में प्राप्त किया और अपनी राय के अनुसार, कंपनी कानून का सर्वोत्तम स्वरूप प्रस्तुत किया। फिर, स्थायी समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि इसे पुनः स्थायी समिति को भेजना होगा। इसके बाद, मैंने इसे स्थायी समिति को भेज दिया। हमें केवल औपचारिकताओं पर अड़ जाना उचित नहीं होगा। यह एक नए राष्ट्र का निर्माण करेगा, एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत दुनिया के महान देशों में सबसे आगे रहे तो ये कुछ कराधान उपाय बुनियादी चीजें होंगी। यदि इन बुनियादी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए और हम ऐसा नहीं करें तो आपके सामने कई समस्याएं होंगी जिनका आपको कल सामना करना पड़ेगा।

मैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का विश्लेषण नहीं करना चाहता। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 140 देशों ने जी.एस.टी. लागू किया है। न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, यूरोपीय संघ और अन्य के संबंध में अनुभवी और सर्वोत्तम उदाहरण उपलब्ध हैं। उन्होंने इस पर कैसे कार्य किया है और इसे कैसे कार्यान्वित किया है, यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमें आगे अध्ययन करने की आवश्यकता है।

वास्तव में, इसे एक राष्ट्रीय बाजार बनाना चाहिए। इस तरह विकृतियों ने निवेश को नष्ट कर दिया है, और, आप जानते हैं, देश की उत्पादकता कम हो गई है क्योंकि हम राष्ट्रीय बाजार पर काम नहीं करते हैं। आपको व्यापक करों को खत्म करना होगा और आयात और निर्यात के कराधान को संरेखित करना होगा। इनमें से कई चीजों में, भारत में जी.एस.टी. की आवश्यकता को अस्वीकार करने के कई कारण मौजूद हैं। हमें उस पर काम करने की जरूरत है।

मैं भलीभांति जानता हूँ कि 2000 में ही तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने जी.एस.टी. पर चर्चा शुरू कर दी थी। केलकर टास्क फोर्स ने इस पर गौर किया था। यह आज की कोई नई घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभी भी विकसित हो रही है।

अंत में, वैश्विक ताकतों को बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ, राष्ट्रव्यापी कराधान की सरल और पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता और बढ़ गई है। हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार को जवाब देना होगा। इसलिए, विनिर्माण स्तर पर कराधान, राज्य कराधान से सेवाओं का बहिष्कार, और कर कैस्केडिंग, ऐसे घटक हैं, जिनकी जांच करने और उन्हें उचित रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण कराधान है। मैं जी.एस.टी. का स्वागत करता हूँ लेकिन आपके विधेयक का नहीं। विधेयक में और बदलाव करने होंगे। इसलिए, इसे स्थायी समिति के पास भेजना होगा; और व्यावहारिक रूप से यही सभी की राय है। मैं नहीं जानता कि आप औपचारिकता पर क्यों अड़े हैं। यदि आपने यह निर्णय ले रखा है कि कोई भी विधेयक किसी भी स्थायी समिति को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि यह आपकी पिछले एक वर्ष से प्रचलित प्रथा है, और यदि यह परम्परा अगले चार वर्षों तक जारी रहने वाली है, तो कृपया स्पष्ट करें। क्योंकि यदि ऐसा है, तो हमें संसद का समय इस विषय पर अनावश्यक रूप से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हर विधेयक पर हमें अनुमति माँगनी पड़ती है! मेरा मानना है कि संसद के लिए स्थायी समिति की मांग एक अधिकार है, यह कोई दान या कृपा का विषय नहीं है।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अपराह्न 3.41 बजे**

(श्री के. एच. मुनियप्पा पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

**श्री नन्दकुमार सिंह चौहान (खंडवा) :** सभापति महोदय, 122 संविधान संशोधन विधेयक, 2014 के समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं। इस देश को एक अच्छी कराधान पद्धति की जरूरत वर्षों से महसूस की जा रही है। जी.एस.टी.. पर विगत दस वर्षों से बल्कि उससे भी आधिक समय से सरकारें विचार-विमर्श और चर्चा करती रहीं, अर्थशास्त्री भी इस पर अपनी राय देते रहे और आज हमारे वित्त मंत्री जी ने सभी चिंतन, मंथन और मनन के बाद जी.एस.टी.. बिल का एक परिष्कृत रूप सदन में पेश किया है और इसमें आधिकांश राज्यों की भी सहमति है। यह करों के जाल और जंजाल से देश को बचाने वाला बिल है। देश की कराधान पद्धति देश के आर्थिक विकास को बढ़ाती है या रोकती है। हमारे देश में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो अलग-अलग कराधान में टैक्स लगाये गये थे और आज तक लगे हुए हैं, उनकी संख्या लगभग 16 से आधिक है और इन सारे करों को जमा करने में व्यापारियों को और उद्योगपतियों को जिस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके कारण भ्रष्टाचार भी पनपता है। इन सब चीजों से बचाने के लिए यह एकल कर प्रणाली का जी.एस.टी.. बिल आज देश के सामने प्रस्तुत है। आज मैं सदन से यह कहना चाहूंगा कि इस पर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति बनने के बाद यह बिल सदन के सामने आया है। इस प्रकार की कराधान प्रणाली से देश का आर्थिक विकास होगा।

चाणक्य ने कहा था कि कराधान प्रणाली ऐसी हो, जैसे भौरा फूल से मधु संग्रहित करता है, मधु का संग्रह भी हो जाता है और फूल की तासीर पर भी कहीं दुष्प्रभाव नहीं होता। उसी प्रकार से यह कराधान पद्धति जो जी.एस.टी.. के माध्यम से हमारे वित्त मंत्री जी ने आज प्रस्तुत की है, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि देश हित में इसे पारित करने में हम सब लोग सहभागी बनें। एक देश के लिए 12 या 15 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। जी.एस.टी.. पर कोई आज पहली बार चर्चा नहीं हो रही है, यूपीए के समय में भी यह बिल लाया गया था, स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखा गया था। आज के सदस्य नहीं होंगे, कोई और सदस्य रहे होंगे। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में इस पर पहले चिंतन, मनन और मंथन हो चुका है। उसी में से निकल कर आज यह बिल

हमारे सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश में, आने वाले समय में इस बिल के बहुत अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे। इसके माध्यम से रिफॉर्मिंग सैक्टर को बहुत मजबूती मिलेगी।

सभापति महोदय, आज हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की हमारे यहां की कर प्रणाली है, उसके कारण उद्योगपति उतने उत्साहित हो कर भारत में आने के लिए राजी नहीं हैं। दुनिया के कम से कम 144 देशों में जीएसटी कर प्रणाली को अपना लिया गया है। उसके सुपरिणाम भी उन देशों को मिले हैं। इस कर प्रणाली से हमारी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती है। इस प्रकार के टैक्स स्ट्रक्चर से किसानों को भी इसका लाभ होगा। डॉ. केलकर, जो 13वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपनी समीक्षा में यह बात कही है कि इस कर प्रणाली के लागू होने से किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। किसान जो प्रोडक्ट पैदा करेगा, उसका उचित दाम उसको मिलेगा, बढ़ कर दाम मिलेगा और आम आदमी को वही चीजें सस्ती मिलेंगी। महोदय, सस्ती इसलिए मिलेगी क्योंकि आज 16 प्रकार के टैक्सों को चुकाने के लिए जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लॉजिस्टिक सैक्टर को बहुत पेनफुल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। समय की बर्बादी होती है, समय आधिक लगता है। यहां पर विश्लेषकों ने, अर्थशास्त्रियों ने इस बात की रिपोर्ट दी है कि यह जीएसटी बिल लागू हो जाने के बाद लॉजिस्टिक सैक्टर में, परिवहन में कम से कम 30 प्रतिशत समय की बचत होगी। जहां 30 प्रतिशत समय की बचत होगी, तो वहां पर वस्तुओं के दामों में 30 से 40 प्रतिशत की गिरावट आएगी। इसका सीधा आश्रय है कि उत्पादक को उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन आम आदमी को वही चीजें जो बीच के प्रोसेस के कारण मंहगी हो जाती थीं, वे सस्ती मिलेंगी। मैं सदन के माध्यम से वित्त मंत्री जी से यही कहूंगा कि आज आपने इस बिल को पेश किया है, यह वक्त की पुकार है, यह समय की मांग है। दुनिया जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, आज हमारी अर्थव्यवस्था को भी ताकत देने की जरूरत है। हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़े। यहां पर और आधिक उद्योग लगे। जो लगे हुए उद्योग हैं, उनकी सेहत ठीक हो। हमारे यहां पर उद्योगों का वातावरण फले-फूले। यह तभी होगा, जब हमारे यहां की कर प्रणाली सरल होगी। ऐसी कर प्रणाली हो, जिसमें करप्शन कम से कम हो। करप्शन समाप्ति की ओर यह एक क्रांतिकारी कदम है।

सभापति महोदय, हमने अपने व्यावहारिक जीवन में देखा है कि एक व्यापारी को 16 जगहों पर अलग-अलग टैक्स चुकाने के लिए रूकना पड़ता है, बीजक देने पड़ते हैं, चालान भरने पड़ते हैं, वह निराश होता है, हताश होता है, हैरान होता है और जितनी जगहों पर ये रूकावटें आती हैं, फिर वहां करप्शन का भी मुंह खुलता है। इतनी जगहों पर एक व्यापारी, एक उद्योगपति, एक निर्माता, परेशान होने के कारण उद्योग के क्षेत्र का वातावरण उत्साहित नहीं रहता है। मैं आज के अवसर पर सदन से यही आग्रह करूंगा कि यह एक क्रांतिकारी बिल है। इससे हमारे देश के विकास में, आर्थिक विकास में बहुत तेजी आएगी। जो हमारे प्रधान मंत्री का सपना है, वह देश के लिए सपना है, हम सब लोगों के लिए सपना है, 125 करोड़ जनता के उत्थान के लिए सपना है। मेक इन इंडिया को इस बिल से बहुत ताकत मिलेगी और हमारा आर्थिक उत्थान बहुत तेजी के साथ होगा। यहां पर कुछ संशय व्यक्त किए गए हैं, एक प्रतिशत तक जो आतिरिक्त कर लिए जाने की बात है, वह उन राज्यों के लिए सिर्फ दो वर्षों के लिए है, जिन राज्यों में उत्पादन होगा। जहाँ से प्रदाय प्रारम्भ होता है, उन प्रदायकर्ता राज्यों को दो वर्ष तक इन्सेन्टिव के बतौर एक प्रतिशत राशि काटकर दी जाएगी। देश के सारे राज्यों में यह बिल लागू होने के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद जिन राज्यों को राजस्व को हानि होगी, केन्द्र सरकार ने इस बिल में इस बात का भी प्रावधान किया है कि पाँच वर्ष तक उनको अलग-अलग स्लैब में केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी। बिल पूरे परफार्मेंस में आने तक उन राज्यों को जहाँ सहारे की जरूरत होगी, वहां पर सहारा भी दिया जाएगा। इस बिल पर पुनर्विचार करने की भी गुँजाइश है। इस बिल में सीधे-सीधे प्रावधान किया गया है कि माल और सेवा करों से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए माल और सेवा कर परिषद का सृजन करना, संघ और राज्यों की दरों, छूट सूची और सीमा जैसे परिमाणों पर सिफारिश करना, उस पर विचार करना और उसके बाद उसमें निर्णय लेना।

मैं यहां सदन में बैठे हुए सभी साथियों से यह आग्रह करूंगा कि हमारे देश में संघीय ढाँचा है। आधिकांश राज्य इसके लिए राजी हो चुके हैं। इसमें भी यह प्रावधान किया है कि जब ये परिषद बैठेंगी, सेवा कर परिषद में दो तिहाई वोट की ताकत हमारे राज्यों की होगी और केन्द्र सरकार के वोट की ताकत वन थर्ड होगी। राज्यों को इसमें पूरी सुरक्षा दी गई है, राज्यों को पूरी शक्ति दी गई है।

यह एक क्रांतिकारी बिल है। बहुत समय बीत गया। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, दुनिया चाँद पर चली गई और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इसलिए हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज यह समय की माँग है, वक्त की पुकार है कि इस बिल को सदन स्वीकार करे और जल्द से जल्द यह जीएसटी कर प्रणाली, एकल कर प्रणाली 1 अप्रैल, 2016 से लागू होने की दिशा में सारा सदन इसमें सहयोग करे। आखिर इसमें जो राज्य सहमत हुए हैं, यह छोटी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी के प्रयासों से सभी राज्यों से चर्चा हुई, राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, राज्यों के वित्त मंत्रियों के सामने ये सारे प्रस्ताव रखे गए। इससे क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, राज्य को क्या मिलेगा, केन्द्र को क्या मिलेगा और कुल मिलाकर देश को क्या मिलेगा, इन सारी चीजों पर मंथन होने के बाद इस बिल का प्रारूप सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

आज हम इस देश को दुनिया में सबसे ऊँचाई पर देखना चाहते हैं, समृद्ध देखना चाहते हैं, शक्तिशाली देखना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आज हमारे देश की जो कराधान प्रणाली है, जो बहुत क्लिष्ट है, जिसमें काफी कमियाँ और खामियाँ हैं और जिसके कारण हमारे आर्थिक विकास पर, जीडीपी पर, हमारे कृषि विकास पर सभी प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ते रहे हैं, उन दुष्प्रभावों को खत्म करने के लिए और देश की आर्थिक तरक्की तेजी के साथ हो, इसके लिए यह बिल आया है। राजनीति से ऊपर उठकर, देश हित में पूरे सदन को इस बिल का स्वागत करना चाहिए। यह बिल हिन्दुस्तान की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं, अलग-अलग विचारधारा के दलों की सरकारें हैं, जब उनके साथ बैठे, वे सारे लोग इस बात के लिए राजी हुए और सारी बारीकियों का अध्ययन करके ही एक बहुत अच्छा परिष्कृत बिल सदन में पेश किया गया है। मैं इस बिल के समर्थन में अपनी बात रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश की तरक्की की खातिर, मेक इन इन्डिया का सपना साकार करने की खातिर यह बिल हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा और सारा सदन इस बिल का समर्थन करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर):** माननीय सभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, माननीय मक्कल मुदलवार, अम्मा जी के नेतृत्व वाले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से, मैं इस विधेयक के वर्तमान स्वरूप का विरोध करने के साथ-साथ इस पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूँ। माननीय अम्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हमारे देश में कर सुधारों के विचार के विरोध में नहीं है। इसके अतिरिक्त, मुझे यह कहना होगा कि हम किसी भी विषय में सुधारों के विरोधी नहीं हैं, यदि वे गरीबों के पक्ष में हों और उद्देश्य जनहित में हो।

हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें सभी हितधारकों के विचारों को सम्मिलित नहीं किया गया है। आप अप्रत्यक्ष कर संरचना में सुधार के नाम पर अचानक कोई संवैधानिक संशोधन नहीं ला सकते, जबकि प्रत्यक्ष कर सुधारों और सामान्य कर बचाव निषेध नियम (जी.ए.ए.आर.) के बारे में न तो कोई विचार किया गया है और न ही कोई उल्लेख किया गया है।

**अपराह 3.56 बजे**

(माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

जी.एस.टी.. की बात करें तो यह न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक विवादास्पद मुद्दा है। हम कई देशों के अनुभव से जानते हैं कि गंतव्य आधारित कर लाना बहुत आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि यह कराधान को मूल स्थान से स्थानांतरित कर देता है, जबकि सामान्य रूप से विश्वभर में कराधान की यही प्रचलित पद्धति मानी जाती है। हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जी.एस.टी. के मुद्दे पर चुनाव हारे गए और बाद में जीते गए। भारतीय अनुभव से यह भी पता चला है कि राज्य सरकारों, जिनमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री

भी शामिल थे, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ने जी.एस.टी. विधेयक का विरोध किया था। इसका कारण राजस्व हानि है।

एक विनिर्माण और शुद्ध निर्यात राज्य होने के नाते, तमिलनाडु को नुकसान हो रहा है। तमिलनाडु के मामले में, हमारे अनुमान के प्रति वित्तीय वर्ष 10,000 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी, जो कि सीएसटी (केंद्रीय बिक्री कर) को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और अंतरराज्यीय बिक्री व अंतरराज्यीय स्टॉक ट्रांसफर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के हस्तांतरण से होने वाली हानि के अतिरिक्त है। राज्य को अन्य करों जैसे मनोरंजन कर, विलासिता कर, वाहनों पर प्रवेश कर और सट्टा कर आदि के समावेश के कारण भी पर्याप्त राजस्व हानि का सामना करना पड़ता है।

कराधान का स्थानांतरण उत्पादन स्थल से उपभोग स्थल की ओर करने से राज्यों को भारी और बार-बार होने वाली राजस्व हानि जैसी जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि हमने राज्य का औद्योगिकीकरण किया। डॉ. अम्मा, एक क्रांतिकारी और दूरदर्शी नेता थीं, जिन्होंने राज्य के तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। हमने भौतिक संसाधनों के साथ-साथ मानव संसाधनों में भी भारी निवेश किया है। हमारे माननीय डॉ. अम्मा द्वारा जारी विजन 2023 की एक संक्षिप्त समीक्षा ही राज्य के समग्र विकास के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तमिलनाडु ने अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे हैं और महत्वपूर्ण विवादास्पद विषयों पर व्यापक सहमति बनाने का प्रयास किया है। तमिलनाडु अपनी चिंताओं को व्यक्त करता रहा है और प्रमुख विवादास्पद मुद्दों पर व्यापक सहमति चाहता है।

हमारा राज्य लगातार ऐसे महत्वपूर्ण विवादास्पद मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाने के लिए जोर दे रहा है, जिनमें मुआवजा और कार्यप्रणाली, राजस्व निरपेक्ष दरें, न्यूनतम दरें, शेसहोल्ड लिमिट, उन वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखने का निर्णय, आईजीएसटी मॉडल, तथा द्वैध प्रशासनिक नियंत्रण की स्पष्टता शामिल हैं। इन सभी मुद्दों का संवैधानिक (संशोधन) विधेयक के पारित होने से पहले समाधान आवश्यक है, क्योंकि ये राज्य सरकारों को होने वाले संभावित राजस्व हस्तांतरण और हानि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते

हैं। इस प्रकार का समन्वय और सहमति न होने पर, विधेयक के पारित होने का अर्थ होगा कि राज्य केंद्र सरकार या जी.एस.टी. परिषद के अधीन हो जाएगा।

संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के प्रावधानों पर विशिष्ट मुद्दे निम्नलिखित हैं, जहां राज्य ने अपनी चिंता जताई है।

### **अपराह 4.00 बजे**

सबसे पहले जी.एस.टी. परिषद है। संशोधन विधेयक में प्रस्तावित जी.एस.टी. परिषद जी.एस.टी. के तहत करों, उपकरणों और अधिभारों को शामिल करने, वस्तुओं और सेवाओं के लिए छूट, मॉडल जी.एस.टी. कानूनों आदि से संबंधित कई मुद्दों पर सिफारिशें करेगी। यह कराधान मामलों में केंद्र और राज्य दोनों में विधायिका की सर्वोच्चता को खत्म कर देगा। जी.एस.टी. परिषद में, केंद्र सरकार को वोट में एक तिहाई महत्व दिया जाता है और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र को वोट में केवल दो-तिहाई महत्व दिया जाता है। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र के मतदान अधिकार उनके आकार के बावजूद समान हैं। इसलिए, हम एक संवैधानिक निकाय के रूप में जी.एस.टी. परिषद के विचार का विरोध करते हैं क्योंकि यह राजकोषीय मामलों सहित राज्यों की स्वायत्तता से समझौता करता है।

दूसरी बात, पेट्रोलियम उत्पादों को जी.एस.टी. के तहत शामिल करना है। मूल रूप से, पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने की शक्ति को जी.एस.टी. से बाहर रखने का प्रस्ताव था। हालांकि, अब पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों पर एक साथ राज्यों द्वारा वैट लगाने और शून्य रेटिंग के साथ जी.एस.टी. के तहत लाने का प्रस्ताव है। यानी शुरुआत में जी.एस.टी. के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर कोई कर नहीं लगेगा। जी.एस.टी. के तहत ऐसा कर किस तारीख को लगाया जाएगा, इसका निर्णय जी.एस.टी. लागू होने के बाद की तारीख पर जीएसटी परिषद पर छोड़ दिया गया है।

कम आपूर्ति श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, पेट्रोलियम उत्पादों पर कर वसूली अब पहले और दूसरे बिक्री बिंदुओं पर प्रभावी तथा बिना किसी नुकसान के की जा रही है। वर्तमान में हमारे कुल बिक्री कर राजस्व

का 21 प्रतिशत केवल पेट्रोलियम उत्पादों से आता है। पेट्रोलियम उत्पादों को जी.एस.टी. के दायरे में लाने से, भले ही वह जी.एस.टी. लागू होने के बाद किसी बाद की तारीख में हो, राज्यों के कराधान अधिकारों में कमी आएगी और राज्यों को भारी राजस्व हानि का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जी.एस.टी. के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट देना अनिवार्य होगा। अतः हम अनुरोध करते हैं कि पेट्रोलियम उत्पादों को पूरी तरह से जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा जाए।

दूसरी बात तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने का अधिकार है। संशोधन विधेयक में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का प्रस्ताव है, लेकिन केंद्र सरकार ने तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार अपने पास रखा है, जबकि राज्यों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, हम यह आग्रह करते हैं कि राज्यों को भी इन उत्पादों पर एसजीएसटी के अलावा अधिक कर लगाने का समान अधिकार दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात, सी.एस.टी. के कारण राजस्व हानि है। यदि जी.एस.टी.. लागू होता है तो तमिलनाडु जैसे विनिर्माण राज्यों को प्रति वर्ष 3,500 करोड़ रुपये के भारी राजस्व का नुकसान होगा क्योंकि जी.एस.टी. गंतव्य सिद्धांत पर आधारित होगा। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि राज्यों को स्थायी मुआवजा तंत्र के रूप में किसी भी धनराशि को मुआवजा निधि में जमा किए बिना सभी अंतर-राज्यीय बिक्री पर आई.जी.एस.टी. का चार प्रतिशत सी.जी.एस.टी. बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। इस पर भारत सरकार ने सहमति नहीं दी है।

इसके विपरीत, संशोधन विधेयक में प्रावधान है कि राज्यों को अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री पर दो साल की अवधि के लिए एक प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त कर लगाने की अनुमति दी जाएगी या ऐसी अवधि जो जी.एस.टी.. परिषद सिफारिश कर सकती है। संशोधन विधेयक केंद्र सरकार को इस अतिरिक्त एक प्रतिशत कर से कुछ वस्तुओं को छूट देने का अधिकार भी प्रदान करता है। यह एक अस्थायी प्रावधान है और इससे राज्यों को स्थायी हानि का मुआवजा नहीं मिलेगा। अतः यह प्रावधान

स्वीकार्य नहीं है और राज्यों को सभी अंतरराज्यीय विक्रय तथा वस्तुओं और सेवाओं के स्थानांतरण पर आईजीएसटी के भाग रूप में चार प्रतिशत सीजीएसटी बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

दूसरी बात, मुआवजे का प्रावधान है। संशोधन विधेयक संसद को राज्यों को मुआवजे का प्रावधान करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है, जिसे जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। मुआवजे की प्रक्रिया और गणना स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं। प्रस्तावित मुआवजा पहले तीन वर्षों के लिए 100 प्रतिशत, चौथे वर्ष के लिए 75 प्रतिशत और पांचवें वर्ष के लिए 50 प्रतिशत देने का उल्लेख है, जो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। राज्यों को होने वाली स्थायी हानि को ध्यान में रखते हुए, हम केंद्र से आग्रह करते हैं कि पूरे पांच वर्षों के लिए राज्यों को पूर्ण 100 प्रतिशत मुआवजा दिया जाए। मुआवजे से संबंधित कार्यप्रणाली और अवधि पर भी सहमति बननी चाहिए। इसके अलावा, इस तरह के विस्तृत प्रावधान को संविधान संशोधन विधेयक में ही शामिल किया जाना चाहिए। कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं; उदाहरण के लिए, अखिल भारतीय आधार पर जी.एस.टी. को प्रशासित करने के लिए अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे की स्थापना के साथ-साथ केंद्र और राज्यों में अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के कठिन कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

जी.एस.टी.. में परिवर्तन आसान नहीं होगा। इसमें न केवल काफी काम शामिल है बल्कि कठिन चुनौतियां भी शामिल हैं। कई देशों के विपरीत जहां जी.एस.टी. एक केंद्रीकृत कर है, भारत में यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा लगाया जाता है। इसका मतलब है कि कराधान की संरचना और प्रशासन केंद्र, 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विस्तृत बातचीत और समझौते के बाद ही तय होगा। चूंकि राज्यों के बीच और राज्यों के अंदर भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बिक्री कर राजस्व को लेकर गहरे मतभेद हैं, इसलिए राज्यों के हित हमेशा एक समान नहीं होते, इसलिए उन्हें मनाने के लिए काफी प्रयासों की आवश्यकता होगी। यह चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि कुछ राज्य, जैसे तमिलनाडु, भारी नुकसान उठाते हैं।

एक और बात है। जी एक बार जीएसटी लागू होने के बाद, सेवाओं की लागत में काफी वृद्धि होगी। वर्तमान में सेवा कर 14 प्रतिशत है, जिसे जल्द ही अधिसूचित किया जाना है, साथ ही 2 प्रतिशत स्वच्छ भारत उपकर भी है, जिसे भी शीघ्र ही अधिसूचित किया जाना है। अनौपचारिक राजस्व निरपेक्ष दर के साथ, उम्मीद है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद यह 27 या 28 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। आपको और मुझे स्पीड पोस्ट, टेलीफोन बिल, जीवन बीमा प्रीमियम आदि जैसी किसी भी सेवा के लिए वर्तमान 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 से 28 प्रतिशत कर के रूप में देना होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में, किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए, आम आदमी को अधिक पैसा खर्च करना होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आम आदमी पर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं अन्य प्रमुख मुद्दों पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है। जैसा कि हमने बार-बार आग्रह किया है, विधेयक के निहितार्थ पर स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए पहले से ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों के बीच व्यापक सहमति विकसित करना आवश्यक है।

जीएसटी के संबंध में, हम ईमानदारी से आशा करते हैं कि वर्तमान सरकार इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में वापस लेकर इसे स्थायी समिति के पास भेजे, ताकि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक सहमति बन सके और सभी के लिए एक लाभकारी स्थिति निर्मित हो सके, उसके बाद ही इस माननीय सभा में विधेयक पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाए। मुझे यकीन है कि इस विधेयक में भारत में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़े बदलाव लाने की पर्याप्त क्षमता है। यह केवल एक शुरुआती कदम है और हमें अपने देश की विकास की निर्बाध यात्रा में एक लंबा रास्ता तय करना है। सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस अवसर का लाभ उठाएं और सभी हितधारकों को साथ लेकर एक अच्छा कानून बनाएं। समय की मांग राजनीतिक अंक बटोरना नहीं बल्कि एक राजनेता की गुणवत्ता का प्रदर्शन है। हमें यकीन है कि माननीय प्रधान मंत्री जी, जो सहकारी संघवाद के समर्थक हैं, सभा और राष्ट्र की भावना को समझेंगे और सकारात्मक कदम उठाएंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास की कमी के मुद्दे को संबोधित करेंगे और राष्ट्र के लिए एक बड़ी सेवा करेंगे। इस चुनौतीपूर्ण क्षण में सच्ची सामूहिक राष्ट्रीय दृष्टि की आवश्यकता है। आइए उम्मीद करें कि विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। सरकार से इस विषय पर पुनः विचार करने की विनम्र

अपील के साथ, मैं हमारे सम्माननीय नेता डॉ. अम्मा जी और धैर्यशील अध्यक्ष जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर):** महोदय, संक्षेप में, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे कुछ सुझाव और कुछ अनुरोध भी हैं।

हमने संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के प्रावधानों की बहुत बारीकी से जांच की है। अभी भी राज्य की कुछ प्रमुख चिंताएँ हैं जिनका उचित समाधान नहीं किया गया है। माननीय वित्त मंत्री से हमारी एक विनम्र प्रार्थना है कि वे हमारे सुझावों को ध्यान से सुनें और जो भी कठिनाइयाँ हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि हमने इस विधेयक को समग्र रूप से स्वीकार किया है।

जहां तक जी.एस.टी. मुआवजे का प्रश्न है, इस बात पर सर्वसम्मति से सहमति बनी कि राज्य को कम से कम पांच साल तक राजस्व हानि की भरपाई भारत सरकार द्वारा की जानी चाहिए। हमारा दृढ़ मत है कि इसकी गारंटी संविधान द्वारा ही दी जानी चाहिए। आज विधेयक की धारा 19 इस प्रकार है:

"संसद, कानून द्वारा, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिश पर, वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को ऐसी अवधि के लिए मुआवजे का प्रावधान कर सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।"

हमारा सुझाव है कि विधेयक की धारा 19 में, "संसद कर सकती है" शब्दों के स्थान पर, "संसद करेगी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। इसके अलावा, शब्द "ऐसी अवधि के लिए जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है" को "पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, और एविएशन टरबाइन ईंधन को शामिल करने के संदर्भ में, हमारा लगातार यह मत रहा है कि कम से कम प्रारंभिक अवधि में इन वस्तुओं पर वस्तु और सेवा कर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इन वस्तुओं पर उच्च कर दरें लागू हैं और ये राज्यों के लिए प्रमुख राजस्व स्रोत हैं।

जहाँ इस बात को संविधान में यह प्रतिबंध न लगाने के लिए स्वीकार किया जा सकता है कि ऐसी वस्तुओं पर जी.एस.टी. लगाया जाए, वहीं राज्यों की उन वस्तुओं से होने वाली राजस्व संग्रह को लेकर वास्तविक चिंताओं को भी उचित रूप से संबोधित किया जाना आवश्यक है।

वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन के लिए प्रस्तावित अनुच्छेद 279क में पेट्रोलियम उत्पादों पर जी.एस.टी.. लगाने से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"(5) माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिस पर पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और हवाई टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर लगाया जाएगा।"

यद्यपि विधेयक में वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से ऐसी वस्तुओं पर जी.एस.टी. लगाने का प्रस्ताव है, लेकिन यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर जी.एस.टी. लागू होने के बाद कम से कम पांच साल की शुरुआती अवधि में ऐसे पेट्रोलियम उत्पादों पर जी.एस.टी.. नहीं लगाया जाए। इसके लिए, हमारा सुझाव यह है कि प्रस्तावित अनुच्छेद 279क को उतना संशोधित किया जा सकता है जितना मैं पढ़ रहा हूँ:

"(5) वस्तु एवं सेवा कर परिषद उस तिथि की सिफारिश करेगी, जो संसद में पारित विधेयक के लागू होने की तारीख से कम से कम पांच वर्षों के बाद हो, जिस दिन पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और हवाई टरबाइन ईंधन पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा।"

तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति के संबंध में, यह कहा गया है कि केंद्र सूची 1 की प्रविष्टि 84 में प्रस्तावित संशोधन के बाद भी, यानी सातवीं अनुसूची की संघ सूची तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाना जारी रखेगा। हमारा आग्रह है कि राज्यों के साथ केंद्र के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें भी तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जी.एस.टी. के अलावा बिक्री कर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार, सूची 2 की प्रविष्टि 54, यानी सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में उचित संशोधन की आवश्यकता है।

जी.एस.टी. विधेयक में प्रस्तावित नए अनुच्छेद 269क के संबंध में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि चूंकि राज्यों का राजस्व अंतर-राज्यीय लेनदेन पर निर्भर करेगा, इसलिए उनके पास लेनदेन को सत्यापित करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए, एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए, यह बिल्कुल जरूरी है कि प्रस्तावित अनुच्छेद 269क में प्रासंगिक सक्षम खंड जोड़ा जाना चाहिए जैसा कि पहले अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुशंसित किया गया था। जबकि हम वर्ष 2010-11 के लिए 318.56 करोड़ रुपये की आंशिक क्षतिपूर्ति को मार्च 2015 में जारी किए जाने की सराहना करते हैं, लेकिन यह महसूस किया जा रहा है कि शेष धनराशि के साथ-साथ वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की क्षतिपूर्ति भी तत्काल जारी की जानी चाहिए। इससे केंद्र और राज्यों के बीच आवश्यक सद्भावना बनाने में मदद मिलेगी और जी.एस.टी. लागू होने से पहले राज्यों को बहुत जरूरी सहूलियत मिलेगी।

वर्ष 2010-11 में शुद्ध मुआवजा 860.36 करोड़ रुपये था और प्राप्त मुआवजा 540 करोड़ रुपये था, इसलिए लंबित धनराशि 320.36 करोड़ रुपये है। वर्ष 2011-12 में शुद्ध मुआवजा 1048.91 करोड़ रुपये था और प्राप्त मुआवजा शून्य था। वर्ष 2012-13 में शुद्ध मुआवजा 1336.50 करोड़ रुपये था और प्राप्त मुआवजा शून्य था। वर्ष 2013-14 में शुद्ध मुआवजा 1237.52 करोड़ रुपये था और प्राप्त मुआवजा शून्य था। कुल प्राप्य धनराशि 4483.29 करोड़ रुपये थी और प्राप्त मुआवजा केवल 540 करोड़ रुपये था और देय धनराशि 3943.29 करोड़ रुपये है।

अंत में और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जी.एस.टी. तभी सफल हो सकता है जब राज्य वित्तीय रूप से मजबूत हों। संघीय ढांचे को अक्षुण्ण बनाए रखने और राज्यों को अपनी विकासात्मक और ढांचागत जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

हमारे राज्य के वित्त मंत्री ने पहले केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया था और मेरा मानना है कि इन बिंदुओं को कई बार माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष रखा गया है। हमें आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन सुझावों पर ध्यान देंगे। शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मोटे तौर पर हम इसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। चूंकि आपका मुस्कराता हुआ चेहरा देखना हमारे लिए हर्ष का विषय है, उसी प्रकार हमें भी तब संतोष प्राप्त होगा जब हमारे लंबित बकाया का भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय उस संदर्भ में बोल रहा हूँ, जब हमारे सम्माननीय मित्र कल्याण दा ने अभी-अभी उस विश्वास संकट की बात की, जो तत्कालीन संप्रग सरकार के कार्यकाल में जी.एस.टी. पर चर्चा के दौरान उत्पन्न हुआ था। उन्होंने विधेयक में शामिल की गई धारा 19 का उचित और सागरभित्त उल्लेख किया। मैं वर्तमान सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उसने उस विश्वास संकट को दूर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। पिछली सरकार द्वारा राज्यों से किए गए वचनों का पालन न करने के कारण जी.एस.टी. एक समय पर केवल एक अधूरी कल्पना बनकर रह गया था।

सबसे पहले, मैं कहूँगा, शुरुआत से ही जी.एस.टी. को परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा गया है। जबकि मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि उस समय इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए, मैंने भी कहा था कि जी.एस.टी. का यह विचार एक परिवर्तनकारी कदम होगा, जिससे पूरा देश एक बाजार बन जाएगा और मूल अवधारणा यह होगी कि करों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, टैक्स के बाद टैक्स की पुनरावृत्ति, इससे न केवल व्यापारियों को मदद मिलेगी, जैसा कि अभी नंदू भाई ने कहा है, इससे उपभोक्ताओं को भी काफी हद तक मदद मिलेगी। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध होगा — ऐसा सुधारात्मक कदम, जो भारत को एक एकीकृत और सुगम राष्ट्रीय बाजार में रूपांतरित करने की दिशा में एक प्रभावशाली परिवर्तनकारी पहल साबित होगा। जीएसटी के मुख्य उद्देश्य करों के दोहरे भुगतान (कैस्केडिंग इफेक्ट) को समाप्त करना, अनुपालन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, निवेश को प्रोत्साहित करना, तथा इसके माध्यम से देश की आर्थिक विकास दर में 1 से 2 प्रतिशत तक की संभावित वृद्धि प्राप्त करना है। इस नए विधेयक में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जी.एस.टी. के सिद्धांतों के विपरीत हैं और संभवतः व्यापार करने में आसानी में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो उल्लेख किया गया है वह विधेयक के खंड 18 में अतिरिक्त गैर-विश्वसनीय एक प्रतिशत कर है जो स्रोत पर लगाए जाने वाले अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति पर एक प्रतिशत का प्रस्ताव करता है। अतिरिक्त कर की अवधि दो वर्ष होगी या वह अवधि जिसे जीएसटी परिषद निर्धारित करेगी। वर्तमान में यह चर्चा चल रही है कि जब राज्यों के नुकसान की भरपाई पहले ही की जा चुकी है, तो फिर अतिरिक्त एक प्रतिशत कर लगाने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है?

महोदय, 13<sup>वें</sup> वित्त आयोग द्वारा गठित जी.एस.टी. टास्क फोर्स ने कर आधार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने और 12 प्रतिशत की एकल निम्न दर जिसमें 5 प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी और 7 प्रतिशत राज्य जीएसटी शामिल हैं, की सिफारिश की थी। अब प्रस्ताव क्या है? जी.एस.टी. को 27 प्रतिशत पर निर्धारित करने का प्रारंभिक प्रस्ताव वास्तव में बहुत निराशाजनक है। उच्च जी.एस.टी. दर अर्थव्यवस्था के लिए अव्यवहार्य होगी जिससे महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति दबाव पैदा होगा। इससे उपभोक्ता भावनाएं प्रभावित होंगी और समाज के कमजोर वर्ग अलग-थलग पड़ जाएंगे।

जी.एस.टी. का विचार यूरोपीय बाजार से प्रेरित है। यूरोपीय बाजार में जी.एस.टी. दर क्या है? यह 13 प्रतिशत है। हमारी अधिकारिता समिति द्वारा यूरोप और कनाडा का दौरा करने के बाद हमारे पास क्या है? हम 27 प्रतिशत के दायरे में वापस आ गए हैं। राजस्व निरपेक्ष दर को कम रखना आवश्यक है ताकि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित किया जा सके और कर अनुपालन बढ़ाया जा सके। लेकिन आज जो स्थिति हमें दिख रही है, उससे लगता है कि यह सरकार इसके विपरीत दिशा में कदम बढ़ा रही है।

महोदय, मैं उन प्रमुख मुद्दों पर आता हूँ जिन्हें हमारी ओडिशा सरकार सामने रख रही है। लेकिन उस पर आने से पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि संप्रग शासन के दौरान जो बाधा बनी थी, उस पर लगातार प्रयासों के चलते इस सरकार ने अंततः यह समझ लिया है कि जी.एस.टी. को कैसे लागू किया जाए। यह हमने पिछले एक सप्ताह या 10 दिन के दौरान देखा है। संविधान (संशोधन) विधेयक पारित होने पर 1 अप्रैल, 2016 से लागू किया जाएगा। मैं यहां स्पष्ट रूप से उल्लेख करूंगा कि हमारी पार्टी, बीजू जनता दल, कराधान प्रणाली में किसी भी सुधार के पक्ष में है। इससे अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिलेगी। इसे राज्य के वित्तीय हित और स्वायत्तता की भी रक्षा करनी चाहिए।

चार मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला सी.एस.टी. मुआवजे से संबंधित है। इस विधेयक के माध्यम से कम से कम यह आश्वासन मिलता है कि वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से होने वाली राजस्व

हानि के लिए राज्यों को उस अवधि तक मुआवजा दिया जाएगा, जो पांच वर्षों तक भी बढ़ाई जा सकती है। अब केंद्र सरकार कानूनी रूप से इस दायित्व के प्रति बाध्य होगी और इसे लागू करना अनिवार्य होगा। पिछली सरकार द्वारा दिया गया वचन पूरा नहीं किया गया था। उदाहरण के तौर पर, ओडिशा केंद्रीय बिक्री कर दर में कटौती के कारण हुए राजस्व हानि का सामना कर रहा है। ओडिशा ने वर्ष 2007-08 से वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए सी.एस.टी. मुआवजे के लिए 4702.21 करोड़ रुपये का दावा किया था, लेकिन 25 अप्रैल, 2015 तक उसे 1464.73 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। केंद्रीय बिक्री कर में कटौती के कारण होने वाली राजस्व हानि का मुआवजा न मिलने के कारण केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच विश्वास में कमी आई है। अब सरकार ने इसे विधेयक में शामिल कर इसे कानूनी रूप प्रदान किया है। यह केवल विश्वास प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। सरकार पैसा जारी करना क्यों शुरू नहीं करती? जब सरकार केंद्रीय बिक्री कर मुआवजे की बकाया धनराशि जारी करना शुरू करेगी, तभी वास्तविक विश्वास स्थापित होगा। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि केंद्रीय बिक्री कर के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए राज्यों को दिया जाने वाला यह मुआवजा पाँच वर्षों के लिए होगा और यह मुआवजा धीरे-धीरे कम होता जाएगा यानी, पहले तीन वर्षों के लिए 100 प्रतिशत, चौथे वर्ष में 75 प्रतिशत और पांचवें वर्ष में 50 प्रतिशत।

महोदय, मेरा दूसरा विषय हरित कर से संबंधित है। यह एक प्रस्ताव है जिसे ओडिशा सरकार ने वित्त मंत्रियों की बैठक में प्रस्तुत किया है। मैंने इस विषय को उजागर करते हुए एक संशोधन प्रस्तावित किया है। इससे पहले भी मैंने इसे सदन में उठाया था, जिस पर माननीय वित्त मंत्री ने अलग प्रतिक्रिया दी थी। यह सभी खनिज धारक राज्यों के लिए है, न कि केवल ओडिशा राज्य के लिए। इससे उन राज्यों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ओडिशा एक खनिज समृद्ध राज्य है और खनिजों का एक बड़ा हिस्सा या तो अन्य राज्यों में खपत के लिए बेचा जाता है, या माल के उत्पादन में उपयोग किया जाता है जो अन्य राज्यों को बेचा जाता है। जी जीएसटी के गंतव्य आधारित सिद्धांत लागू होता है, जिसके परिणामस्वरूप वे खनिज उत्पादक राज्य जहाँ प्रदूषण केंद्रित होता है, उन्हें इस राजस्व में कोई हिस्सा नहीं मिलता। केवल उपभोग करने वाले राज्यों को ही कर राजस्व मिलता है, जबकि प्रदूषण का खामियाजा उत्पादक राज्यों के नागरिकों को भुगतना पड़ता है।

सरकार पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में क्यों नहीं रखती? मैंने दिशानिर्देशों के उपयुक्त निर्धारण के अधीन एक अतिरिक्त गैर-छूटकारी उपकर लगाने का प्रस्ताव दिया है। जी.एस.टी. परिषद परामर्श के बाद निर्णय ले सकती है। लेकिन मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूँ। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में एक नई प्रविष्टि होनी चाहिए, 54 (क) के रूप में राज्य सूची - 'अन्य प्रदूषणकारी माल और सेवाओं को जी.एस.टी. परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। इससे खनिज भंडार वाले राज्यों को प्रदूषण के कारण होने वाली समस्या को कम करने में काफी मदद मिलेगी। अतः खनिज संसाधन समृद्ध राज्य, अंतरराज्यीय बिक्री, शाखा स्थानांतरण एवं निर्यात के संदर्भ में खनिजों के प्रेषण पर वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर हरित कर लगाने का अधिकार रखेंगे। वैट, सी.एस.टी., प्रवेश कर और मनोरंजन कर आज जी.एस.टी. में समाहित हो जायेंगे। इसलिए, सरकार इस पर निर्णय लेने के लिए इसे परिषद पर छोड़ने के बजाय इसे विधेयक में शामिल कर सकती है। यह हमारा सुझाव है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि परिषद में 29 अन्य हितधारकों के साथ, जिनमें से खनिज भंडार वाले राज्य मुश्किल से आठ से नौ हैं, क्या सरकार उम्मीद करती है कि अन्य राज्य भी इसका समर्थन करेंगे? लेकिन यहां माननीय वित्त मंत्री जी और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इसे विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह एक राष्ट्रीय अधिनियम बन जाए और यह दूसरों के लिए बाध्यकारी हो जाए।

महोदय, तीसरा मुद्दा तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर कर लगाने की केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में है। यह शक्ति राज्य सरकारों को नहीं दी गई है। इन उत्पादों की खपत को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य को इन उत्पादों पर शुल्क लगाने और तदनुसार इसके उपयोग को हतोत्साहित करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि तंबाकू और तंबाकू उत्पादों को राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में शामिल किया जाना चाहिए ताकि राज्यों को इस पर उच्च दर से कर लगाने में सक्षम बनाया जा सके।

चौथा मुद्दा, जिसे कोई सैद्धांतिक कह सकता है। यह जी.एस.टी. परिषद के निर्णय के बारे में है। यह इस संविधान संशोधन विधेयक में है। जी.एस.टी. परिषद के गठन के लिए एक नया अनुच्छेद 279 (क) है। यह

विधेयक में प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्तावित है कि जी.एस.टी. परिषद का प्रत्येक निर्णय एक बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम तीन-चौथाई मतों के बहुमत से लिया जाएगा। केंद्र सरकार के मतों को कुल मतदान में से एक-तिहाई मतों का अधिकार होगा, जबकि सभी राज्यों के मतों को संयुक्त रूप से दो-तिहाई मतों का अधिकार प्राप्त होगा।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यदि सभी राज्य समर्थन में मतदान करते हैं, जो कि असामान्य होगा, और यदि केंद्र सरकार राज्यों के मतों के विपरीत मतदान करती है, तो बैठक में केंद्र सरकार के एक मत से ही राज्यों के मत निरस्त हो जाएंगे क्योंकि राज्यों के संयुक्त मतों के पास तीन-चौथाई बहुमत नहीं होगा। यह पूर्णतः गणितीय तथ्य है। ऐसी स्थिति में, सरकार को वीटो शक्ति प्राप्त हो जाएगी।

अतः मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि केंद्र सरकार की भारिता कुल मतों का एक-चौथाई जबकि सभी राज्यों की भारिता सम्मिलित रूप से तीन-चौथाई होनी चाहिए, तथा निर्णय तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाए। तथापि, मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसी परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि एक राष्ट्र के विकास हेतु केंद्र और राज्यों का समन्वय एवं सहकार्य अनिवार्य है।

इस संदर्भ में मैं अंतर-राज्य कराधान प्रणाली का उल्लेख करना चाहूंगा, जो इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी दो वर्षों तक जारी रहेगी, अर्थात् वर्ष 2018 तक। लेकिन मुख्य विषय अंतरराज्यीय बिक्री से संबंधित है।

वर्तमान में अंतरराज्यीय बिक्री के लिए दो प्रतिशत और शाखा हस्तांतरण और निर्यात पर शून्य प्रतिशत सी.एस.टी. एकत्र किया जाता है।

थोड़ा और स्पष्ट करते हुए, मैं यह कहूंगा कि यदि टाटा कंपनी का कारखाना जमशेदपुर में है और खदान ओडिशा में, तो वे ओडिशा सरकार को उन खनिजों पर एक भी रुपया कर के रूप में नहीं देते जो वे जमशेदपुर ले जाते हैं। इसे शाखा स्थानांतरण कहा जाता है। ओडिशा को एक भी पैसा नहीं मिलता। ये खनिज जमशेदपुर, अर्थात् झारखंड, भेजे जाते हैं। हमारा यहां मुख्य चिंता निर्यात से संबंधित है।

उदाहरण के लिए, टाटा स्टील और अन्य द्वारा राज्य के बाहर इसकी शाखाओं को भेजे गए खनिजों पर कोई सी.एस.टी. एकत्र नहीं किया जाता है। इसे जी.एस.टी. दायरे में लाया जाना चाहिए।

आपकी जानकारी के लिए, मैं यहां यह भी बता दूँ कि कुल सी.एस.टी. लगभग 917 करोड़ रुपये है जो 2014-15 के दौरान एकत्र किया गया है, जिसमें से कोयले और खनिजों पर सी.एस.टी. 250 करोड़ रुपये है। ओडिशा सरकार दो साल के लिए अंतरराज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत वसूल करेगी। हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या होता है। परिषद को निर्णय लेना है। क्या हमें इस मामले को देखने के लिए जी.एस.टी. परिषद का इंतजार करना चाहिए? बेहतर होगा कि जब विधेयक विचाराधीन हो तो इस पर ध्यान दिया जाए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वित्त आयोग ने वस्तुओं को जी.एस.टी. से बाहर करने पर सवाल उठाए थे। 13<sup>वें</sup> वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि तंबाकू और शराब को जी.एस.टी. से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। 14<sup>वें</sup> वित्त आयोग ने कहा कि किसी का बहिष्कार वांछनीय नहीं है। हालांकि, आई.एम.एफ. ने कहा है कि जी.एस.टी. कर अनुपालन में सुधार करेगा और समय के साथ 1 से 1.5 प्रतिशत की वृद्धि बढ़ाएगा, लेकिन यह भी कहा है कि जी.एस.टी. निकट अवधि में सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर सकता है।

यह मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन की याद दिलाता है। वे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और सभा में हममें से कई लोग उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा था: "इस दुनिया में मृत्यु और करों के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता है।" महोदय, मुझे यह स्मरण होता है कि जब भी कोई सरकार — और यह फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रख्यात उद्धरण है — यह घोषणा करती है कि वह प्रजा के हित में कार्य कर रही है, तथा कराधान में केवल थोड़े बदलाव से आपको लाभ होगा, तब प्रजा को यह जान लेना चाहिए कि वास्तव में अधिक कराधान लागू किया जाना है। और वर्तमान स्थिति में हमें 27 प्रतिशत कर का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि जी.एस.टी. लागू करने के लिए सरकार की समय-सीमा में साल-दर-साल देरी हो रही है, अब और देरी नहीं होनी चाहिए।

स्थायी समिति को भेजने का हमारा प्रयास विधेयक में देरी करना नहीं था। हम केवल औचित्य के प्रश्न पर जोर दे रहे थे। इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। यह हमारे दल की स्पष्ट भावना है। इस नए विधेयक के प्रस्तुति के बाद स्थायी समिति से इसे विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता था।

आज मई के प्रथम सप्ताह में हैं। महोदय, अध्यक्षपीठ द्वारा पहले ही इस विषय पर निर्णय लिया जा चुका है और आपने अध्यक्षता करते हुए उसे घोषित भी किया है। इस विषय पर मुझे पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी इस निर्णय का सम्मान करेंगे। लेकिन जीएसटी के समग्र इतिहास, इसके विकास एवं पिछले कई वर्षों में घटित घटनाओं का विस्तार से वर्णन करने के बजाय, मैं केवल एक प्रमुख मांग, हरित कर के लागू करने पर पुनः बल देना चाहूंगा। हम अपने संशोधन पर कायम रहेंगे और सरकार तथा माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि वे इस संबंध में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत में जी.एस.टी. की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने के लिए 122<sup>वें</sup> संविधान संशोधन विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

### **अपराह 4.36 बजे**

(श्री के. एच. मुनियप्पा पीठासीन हुए)

महोदय, सबसे पहले, मैं ऐसे विधेयक को आगे लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो मौजूदा जटिल कर संरचना को दूर कर सकता है और देश भर में एक समान कर संरचना का कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

महोदय, यह समझा जाता है कि जी.एस.टी. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यापक कर व्यवस्था बनाना है। हमारा देश एक संघीय गणराज्य है, और इस प्रकार जी.एस.टी. को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 'केंद्रीय जी.एस.टी.' और 'राज्य जी.एस.टी.' के रूप में लागू किया जाएगा। निर्यात पर शून्य दर लागू की जाएगी, जबकि आयात पर गंतव्य सिद्धांत के अनुरूप घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कराधान किया जाएगा।

मैंने माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का गंभीरता से अध्ययन किया है। मैंने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू देखे हैं जिन्हें मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि ये संशोधन राज्य सरकारों की कर संरचना को प्रभावित करने के साथ-साथ राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई दक्षिण-मध्य निर्वाचन क्षेत्र से जन प्रतिनिधि और संसद सदस्य होने के नाते, यह उजागर करना मेरा विनम्र कर्तव्य है कि प्रस्तावित संशोधन अधिक मुंबई नगर निगम के राजस्व को कैसे प्रभावित करेंगे।

प्रस्तावित एक सौ बाईसवां संविधान संशोधन विधेयक भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी..) व्यवस्था की शुरुआत की सुविधा प्रदान करता है। जी.एस.टी. भारतीय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा। उपरोक्त संशोधन विधेयक भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 52 को हटाने का प्रयास करता है।

मैं भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 52 को हटाने के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची, सूची-2 की प्रविष्टि 52 नगर निगम को उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर लगाने का अधिकार देती है। लोपन के कारण, ऐसे कर लगाने के लिए नगर निगम के पास निहित शक्तियां समाप्त हो जाएंगी; इससे चुंगी कर के माध्यम से राजस्व का वर्तमान स्रोत उपलब्ध नहीं होगा, जिसका नगर निगम की राजस्व आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नकद तरलता और चुंगी कर, स्थानीय निकाय करों में उछाल के कारण, महाराष्ट्र में शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता के साथ-साथ पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का संरक्षण होता है, और भारत के संविधान की प्रविष्टि 52 की चूक, वित्तीय स्वायत्तता शहरी स्थानीय निकाय स्तरों में पड़ जायेंगे।

संविधान में 73<sup>वें</sup> और 74<sup>वें</sup> संशोधन के बाद स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं। यह आवश्यक है कि स्थानीय निकायों के लिए उपलब्ध संसाधन उन पर डाली गई अनिवार्य और अन्य विवेकाधीन जिम्मेदारियों के अनुरूप हों और स्थानीय निकायों के पास आवश्यक नागरिक सेवाओं के व्यय को पूरा करने के लिए ऐसे संसाधन जुटाने के मामले में पर्याप्त स्वायत्तता हो और रखरखाव और नए पूंजीगत कार्यों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन भी हों।

मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है और देश का सबसे बड़ा नगर निगम है; और करों से उत्पन्न राजस्व पर इस निगम की निर्भरता को देखते हुए, हम राजस्व के हितों की रक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं जिसके द्वारा निगम बढ़ती आबादी को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकता है।

नगर निगम की पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा की दिशा में मेरे भाषण में मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, मैंने इस विधेयक में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

खंड 12, 279(क) में कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे - एक केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं; और अन्य सदस्य राजस्व के प्रभारी राज्य के केंद्रीय मंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। मेरा प्रस्ताव है कि मेट्रो सिटी के मेयर को इस खंड में शामिल किया जाएगा।

खंड 17 के अंतर्गत प्रविष्टि 50 को विलोपित करने का प्रस्ताव है। मेरी यह सिफारिश है कि इस खंड को या तो पूर्णतः हटाया जाए अथवा "स्थानीय सीमा के भीतर उपभोग, उपयोग या विक्रय के उद्देश्य से कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, तरल वाहनों और सिगरेट जैसे पदार्थों के प्रवेश पर कर" को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची, भाग 2 की प्रविष्टि 52 में प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 19 में, मेरा प्रस्ताव है कि संसद वस्तु एवं सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून द्वारा ऐसी अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजा प्रदान कर सकती है जिसकी अवधि पांच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 'किया जा सकता है' शब्द को 'किया जाना चाहिए' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए और 'राज्य' शब्द के स्थान पर 'शहरी स्थानीय निकाय' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए और 'पांच' शब्द के स्थान पर 'दस' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से राज्यों के नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों की पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करने का अनुरोध करूंगा; उनके द्वारा चुंगी कर वसूलने का अधिकार जारी रखा जाए। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम):** अप्रत्यक्ष करों यानी वस्तु एवं सेवा कर पर इस ऐतिहासिक विधेयक पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जहां तक केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों का सवाल है, हमने अप्रत्यक्ष कराधान का विकास देखा है। यह अविश्वसनीय है कि तंबाकू और नमक से जी.एस.टी. तक विकसित होकर भारत विनिर्माण गतिविधि के लिए एक विशिष्ट केंद्र बन गया है। प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए 'मेक इन इंडिया' नारे के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है। कर प्रशासन, विशेषकर 'अप्रत्यक्ष कर प्रशासन' को सुचारू बनाना, जो निश्चित रूप से विश्व स्तरीय उद्यमियों और निर्माताओं को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करेगा क्योंकि जी.एस.टी. निश्चित रूप से सुचारू कर प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करेगा। जी.एस.टी. से पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत दुनिया में 142वें स्थान पर था; भारत की रैंकिंग नेपाल, श्रीलंका, भूटान और अन्य देशों से भी नीचे है। जीएसटी विधेयक के एक कदम से हमारा देश उस स्थिति में पहुँच जाएगा जहां वह एक अत्यंत आकर्षक निवेश स्थल बन जाएगा।

यह केंद्र सरकार में बहुत सारे करों को समाहित कर देगा। उदाहरण के लिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, सी.वी.डी. आदि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क में समाहित कर दिया जाएगा। बिक्री कर, चुंगी कर, नगर निगम कर, विलासिता कर को भी राज्य जी.एस.टी. में शामिल किया जाएगा। एक और प्रकार का जीएसटी है जिसे आई.जी.एस.टी. कहा जाता है। इसलिए यह समझा जाता है कि यह एक त्रि-स्तरीय कराधान है जिसे दोहरे प्रशासन द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें राज्य अधिकारी इस कर का संचालन करेंगे और केंद्रीय अधिकारी भी इस कर का प्रशासन करेंगे। जहां तक मेरी समझ है, केंद्रीय जीएसटी का प्रशासन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि वे जीएसटी की प्रक्रिया का कभी हिस्सा नहीं रहे हैं। मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि यदि सी.बी.ई.सी. को यह जिम्मेदारी दी भी गई है, तो वह जीएसटी का प्रशासन कैसे संभालेगा। वहीं, राज्य जीएसटी का संचालन राज्य अधिकारी करेंगे। यह भी संदेहास्पद है कि वे विशेषकर आई.जी.एस.टी. जो कि अंतरराज्यीय जीएसटी है और स्वाभाविक रूप से महंगाई उत्पन्न करने वाला है, की जटिलताओं से कितने परिचित हैं। जब यह पूरी तरह लागू होगा, तब इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

मेरे पास एक संक्षिप्त सुझाव है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया है, जिनमें आई.ए.एस., आई.पी.एस. जैसी सेवाएं शामिल हैं, जो वर्ष 1947 में स्थापित की गई थीं। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया था। अब मेरा मानना है कि आईआरएस (जी.एस.टी.) अखिल भारतीय सेवा का निर्माण आवश्यक है। जी.एस.टी. अधिकारी राज्यों में जाकर राज्य जीएसटी तथा केंद्रीय जीएसटी दोनों का प्रभावी प्रशासन कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकारी सी.बी.ई.सी. के आई.आर.एस. अधिकारी होते हैं जो अप्रत्यक्ष कराधान में अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं, अप्रत्यक्ष कर संग्रह में दक्ष हैं और अधिसूचनाओं तथा विवादों को समझने में भी निपुण हैं। उदाहरण के लिए, इस विधेयक में प्रतिपादित वर्तमान जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां केंद्रीय अधिकारी कर चोरी की सूचना मिलने पर किसी व्यवसायी के आवास या कार्यालय पर पहुंचे तथा इसी प्रकार, राज्य अधिकारी भी उसी व्यवसायी के यहां जांच हेतु उपस्थित हो सकते हैं। केंद्र सरकार के अधिकारी उनसे कोई त्रुटि न भी पाएं, तब भी राज्य सरकार के अधिकारी उनसे त्रुटि निकाल सकते हैं। कर सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित होने के कारण, संभावना है कि उन्हें राज्य सरकार के कर नियमों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यदि वे मामला दर्ज करते हैं, तो केंद्र सरकार भी मामला दर्ज करने का प्रयास करेगी; यदि वे मामला दर्ज नहीं करते, तो यह विवाद का कारण बनेगा।

न्यायनिर्णयन चरण में, विधेयक में यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि अपीलीय प्राधिकारी कहाँ है, न्याय निर्णयन प्रक्रिया कैसे होगी और इसका समाधान कैसे किया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक में जो 10 लाख रुपये की सीमा की परिकल्पना की गई है, हमें संदेह है कि क्या इसका दुरुपयोग होने वाला है। यह इसलिए है क्योंकि सेवा कर में देखा गया है कि जब 10 लाख रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी, तो कई लोगों ने अपने आप को 10 लाख रुपये की सीमा के अंतर्गत रखने के लिए कई कंपनियां स्थापित कर ली थीं। इसलिए, यही स्थिति जीएसटी में भी दोहराई जा सकती है। यदि ऐसा हुआ, तो 1.2 या 1.5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की उम्मीद करने के बजाय, हम उतना ही आर्थिक नुकसान भी उठा सकते हैं। इस देश का हर व्यक्ति, हर आम नागरिक जीएसटी का इंतजार कर रहा है, न कि सिर्फ दिखावे के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि यह मुद्रास्फीति की प्रक्रिया को समाप्त

करने वाला है; यह वस्तुओं के दाम कम करेगा; और सेवाओं के दाम भी घटाएगा। व्यवसायी भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इससे उनका कर प्रशासन और कर भुगतान बहुत सरल और सहज हो जाएगा। इसलिए लोग इसे बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं।

मैं वित्त मंत्री की इस विधेयक को निरंतर एवं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए हार्दिक प्रशंसा करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री, चंद्रबाबू नायडू गारु जी भी आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने में अत्यंत सक्रिय हैं। वे रात्रि में दो-तीन घंटे से अधिक निद्रा नहीं लेते क्योंकि उनका मानना है कि जब तक देश आर्थिक दृष्टि से सशक्त नहीं होगा, तब तक कोई भी राष्ट्र समुचित प्रगति नहीं कर सकता। इसी प्रकार, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी तथा वित्त मंत्री जी भी इस ऐतिहासिक जीएसटी विधेयक को आगे बढ़ाने में कितने उत्सुक हैं। क्योंकि यह वही विधेयक है जो वर्ष 1947 के बाद भारत के आर्थिक सशक्तिकरण में इतिहास रचने जा रहा है। अतः आइए हम इस अवसर का लाभ उठाएँ, राजनीतिक दलों के मतभेदों को भूलकर इस विधेयक का समर्थन करें। यदि विधेयक को लेकर कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो हम निश्चित रूप से कुछ कर समाधान तंत्र बनाकर उसका सामना करेंगे। जब यह लागू होगा, तब हम इसका इंतजार करें। पहले समाधान तंत्र शुरू करने की चिंता न करें और उसके बाद विधेयक लागू करने की प्रतीक्षा न करें। विधेयक लागू हो, समाधान अपने आप अस्तित्व में आ जाएगा। उदाहरण के लिए, हमारे पास उच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, अनेक न्यायाधिकरण हैं, कई न्याय निर्णायक हैं, अनेक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और वित्तीय सलाहकार भी हैं। अतः जीएसटी को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम इस ऐतिहासिक विधेयक का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आम आदमी पर बाजार से सामान और सेवाएं खरीदने का बोझ कम करने वाले ऐतिहासिक विधेयकों में से एक है। व्यवसायी भी भारी औद्योगिक विकास और औद्योगिक स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि रोजगार सृजन भी बढ़े। देश को जीएसटी के लागू होने से बहुत लाभ मिलेगा।

मैं तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से इसका पूरा समर्थन करता हूँ। मैं अपने सभी साथियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि आइए हम जी.एस.टी. बिल का समर्थन करें। आइए क्षेत्रीय और

राजनीतिक कारणों से इसका विरोध न करें। यदि संविधान (115वां संशोधन) विधेयक की तुलना में संविधान (122वां संशोधन) विधेयक में कोई अप्रासंगिक संशोधन हो, तो हमें उसे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से सुलझा लेना चाहिए। लेकिन आइए इस विधेयक को स्थगित न करें। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने ठीक कहा, इसे स्थायी समिति को भेजने या स्थगित करने से हम एक पूरा वर्ष गंवा देंगे। भारत जैसे गरीब राष्ट्र के लिए एक वर्ष का समय अत्यंत मूल्यवान है। अतः इसे यथाशीघ्र लागू किया जाना आवश्यक है। साथ ही, कर प्रशासन को अधिकतम सुगमता प्रदान करने हेतु केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की उत्कृष्ट सेवाओं का पूर्ण रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

धन्यवाद, महोदय।

**श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला):** धन्यवाद महोदया मैं यह कहकर शुरुआत करना चाहता हूं कि जी.एस.टी. वास्तव में एक सकारात्मक सुधार है और इसमें देश और व्यक्तिगत राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की क्षमता है। इसके अलावा, यह कराधान के प्रवर्तन और संग्रह को बढ़ाएगा। निगरानी और प्रवर्तन अब केवल वाणिज्य कर अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं होगी, उद्योग इसमें भाग लेंगे। एक कर-अनुपालन कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके सभी आपूर्तिकर्ता भी कर-अनुपालन करें। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो कर-अनुपालन कंपनी को दंड भुगतना पड़ेगा और उसे दोगुना कर चुकाना पड़ेगा। वह कंपनी जो वैट क्रेडिटिंग प्रणाली के माध्यम से अपने चुकाए गए कर की वसूली नहीं कर पाती, अपने सभी आपूर्तिकर्ताओं से कर-अनुपालन सुनिश्चित करवाएगी। जीएसटी एक ऐसा आपूर्ति श्रृंखला तंत्र प्रोत्साहित करेगा जो कर-अनुपालन और स्व-प्रवर्तन पर आधारित होगा, जिसमें कच्चे माल के निर्माता से लेकर घटक निर्माता, अंतिम उत्पाद उपयोगकर्ता, वितरक और खुदरा विक्रेता तक शामिल होंगे। यहां तक कि खुदरा विक्रेता भी अपने कर भुगतान के साफ-सुथरे लेखा परीक्षण के कारण कर-अनुपालन करेगा। इससे भ्रष्टाचार में भी कमी सुनिश्चित होगी।

मैं सरकार के अनुमान पर विश्वास करता हूं कि जी.डी.पी में 1 से 1.7 प्रतिशत की वृद्धि केवल जी.एस.टी. के कारण होगी। फिर भी, मेरी कुछ आपत्तियां हैं। माननीय वीरप्पा मोड्लीजी ने पहले ही परिषद की सर्वसम्मति बनाम मतदान के मुद्दे को स्पष्ट किया है। लेकिन जीएसटी का स्वयं एक लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 2006 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने इसका प्रस्ताव रखा था और उन्होंने इसे वर्ष 2010 से लागू करने की योजना बनाई थी। फिर वर्ष 2007 में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सी.एस.टी. को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तत्पश्चात एक सशक्त समिति का गठन किया गया और इसका इतिहास लगातार आगे बढ़ता रहा। वर्ष 2013 में, सशक्त समिति ने केंद्र सरकार के पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। और इस लंबी प्रक्रिया के बाद, आज हम पुनः जीएसटी पर चर्चा कर रहे हैं।

हमने कल्पना की थी कि इन सभी विसंगतियों और मुद्दों को दूर कर लिया गया होगा लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें माननीय सदस्य पहले ही उठा चुके हैं। मेरे पास यहां कुछ मुद्दे हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने भी उनका उल्लेख किया है। इनमें से एक मुद्दा एक प्रतिशत अंतर-राज्य स्थानांतरण कर है। जबकि जी.एस.टी. की अवधारणा ही व्यापक कर से बचने की है, यह एक प्रतिशत ही व्यापक कर में तब्दील हो जाता है। कई उत्पाद एक ही स्थान पर नहीं बनाए जाते हैं। एक डिटर्जेंट निर्माता ने उदाहरण देते हुए बताया कि उनके उत्पाद में प्रयुक्त लवण गुजरात से आता है, फिर वह राजस्थान जाता है और कच्चा माल मध्य प्रदेश में संग्रहित किया जाता है। इस प्रक्रिया में वह माल सात राज्यों से होकर गुजरता है। ऐसे में यह 1 प्रतिशत कर केवल सात बार नहीं लगता, बल्कि प्रत्येक स्तर पर कर पर कर लगने के कारण इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे कुल कर भार कभी-कभी 10 प्रतिशत तक पहुँच जाता है। इसलिए इस व्यवस्था की गंभीरता से समीक्षा किया जाना आवश्यक है। हमें निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक प्रतिशत कर वास्तव में जी.एस.टी. परिवेश में पुरानी सी.एस.टी. प्रणाली की विरासत है। जैसा कि किसी ने कहा, यह जी.एस.टी. प्रणाली की शुद्धता को दूषित करता है जो वास्तव में बहुत अच्छी है। एक वक्ता ने कहा था कि यह प्रावधान जीएसटी प्रणाली की शुद्धता को प्रभावित करता है, जबकि जीएसटी प्रणाली स्वयं में अत्यंत प्रभावशाली है। इसका प्रभाव कुछ उद्योगों पर अत्यंत प्रतिकूल पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, इस्पात उद्योग ने इस विषय में एक प्रस्तुति दी थी। भिलाई इस्पात संयंत्र जम्मू और कश्मीर के किसी उपभोक्ता को सीधे इस्पात नहीं बेच सकता, क्योंकि निर्माता इस्पात सैकड़ों टन की मात्रा में बेचता है। इसे नोएडा और गुड़गांव में कहीं संग्रहित किया जाता है। फिर, दिल्ली में एक डीलर इसे जम्मू-कश्मीर के उपभोक्ता को बेचता है। कई बार उपभोक्ता 20 फीट लंबी ट्यूब या पाइप नहीं खरीद सकता, इसलिए उसे काटकर बेचा जाता है। ऐसे में कुल प्रभाव चार से पाँच प्रतिशत तक पहुँच जाता है। अतः यह एक प्रतिशत वास्तव में केवल एक प्रतिशत नहीं है। इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट को जीएसटी से बाहर रखने का अर्थ यह होगा कि इस क्षेत्र में इस्पात, सीमेंट आदि जैसे इनपुट पर दिए गए करों का इनपुट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। हमारे सभी भवन, कारखाने, मोबाइल फोन टावर, विद्युत संचरण टावर, पुल आदि के निर्माण में इस्पात और सीमेंट की आवश्यकता होती है। इससे इस उद्योग में जीएसटी

के लाभ भी कमजोर पड़ जाएंगे। जबकि जीएसटी स्वयं में एक अत्यंत प्रभावशाली प्रणाली है। यह सिर्फ एक आर्थिक उपकरण नहीं है। यह सामाजिक परिवर्तन भी ला सकता है और कुछ प्रकार के अपराधों को कम कर सकता है। वास्तव में, जीएसटी का यदि सही ढंग से कार्यान्वयन किया जाए और इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाए, तो यह रेत माफिया की गतिविधियों को भी नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।

महोदय, मैं स्थायी समिति का सदस्य हूँ। हमारे पास अनेक उद्योग समूहों से प्रतिनिधिमंडल आए। मैंने इनमें से कुछ का उल्लेख किया — जैसे डिटर्जेंट और इस्पात उद्योग। प्रत्येक उद्योग समूह, जिसने हमसे संपर्क किया, ने यह कहा: “जीएसटी हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन कुछ विशेष समस्याएं हैं।” इन समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक है।

जी.एस.टी. में कई उत्पाद शामिल नहीं हैं और इसमें पेट्रोलियम उत्पाद, सिगरेट, शराब आदि शामिल नहीं हैं।

जी.एस.टी. बहुत शक्तिशाली है। जैसा कि मैंने कहा, यह केवल वृद्धि करने का एक आर्थिक उपकरण नहीं है; यह सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। मैं सभा का ध्यान एक बेहद संवेदनशील मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत में शराब की खपत तीव्रता से बढ़ रही है। दुनिया में व्हिस्की पीने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हमारे यहां है। हमारे यहां शराब की सबसे ज्यादा खपत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील रहते हुए, सरकारें राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से बचती हैं। कई राज्यों की वार्षिक राजस्व का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शराब से संबंधित वस्तुओं से प्राप्त होता है। इसलिए, इस क्षेत्र को छूने से परहेज किया गया है। साथ ही, राज्य पेट्रोलियम, सिगरेट और शराब पर उच्च कराधान करते हैं। मैं यहां विशेष रूप से शराब के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ।

राज्य उच्च दरों से कर लगाते हैं क्योंकि ये हानिकारक उत्पाद हैं। ये उत्पाद न केवल उपभोक्ताओं को, बल्कि उनके आस-पास के लोगों, हमारे पर्यावरण और समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। राज्यों को विशेष कर उच्च दर पर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि इससे न केवल हानि नियंत्रित होती है, बल्कि यह

राज्यों के लिए राजस्व भी उत्पन्न करता है। कम से कम यह इसका उद्देश्य है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। जहाँ तक धूम्रपान का संबंध है, हम विश्व में सबसे अधिक हैं। और जहाँ तक शराब के सेवन की बात है, हम सर्वोच्च हैं।

उठाए गए मुद्दों और विसंगतियों के अलावा, विधेयक सामाजिक परिवर्तन लाने का एक बड़ा अवसर चूक गया है। आज हम जिन हानिकारक उत्पादों पर कर लगाते हैं, मैं उन्हें 'हानिकारक कर' कहना पसंद करूंगा। राज्य शराब पर विभिन्न प्रकार के कर और शुल्क लगाते हैं, जिन्हें भी मैं 'हानिकारक कर' ही मानता हूँ। यह कर शराब की कीमत पर आधारित है। यह शराब की मात्रा पर आधारित नहीं है। शराब की सस्ती क्वार्टर बोतल पर कर कम है और महंगी क्वार्टर बोतल पर कर बहुत ज्यादा है लेकिन इससे व्यक्ति को होने वाला नुकसान उतना ही होता है। इसलिए, मुझे लगता है, यह जी.एस.टी. विधेयक इसे मूल्य-आधारित कर से मात्रा-आधारित कर में बदलने का अवसर चूक गया है। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। हमारे देश में सबसे सस्ती तथा उच्च गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध है, जिसकी कीमत मात्र 45 रुपये प्रति क्वार्टर बोतल है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। माननीय प्रधान मंत्री 'मेड इन इंडिया' की अवधारणा पर बल देते हैं। यद्यपि अधिकांश भारतीय उत्पादों में मशीनरी की गुणवत्ता अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहां तक कि जर्मनी और ब्राजील जैसी उन्नत अर्थव्यवस्था भी हमारी डिस्टिलरीज का आयात करती हैं, जो उच्चतम गुणवत्ता की डिस्टिलरीज सबसे कम मूल्य पर प्रदान करती हैं। इसका अर्थ यह है कि समस्या केवल गुणवत्ता की नहीं है। ग्रामीण भारत तेजी से शराब की लत की ओर बढ़ रहा है, और हमने अप्रत्यक्ष रूप से अपने देश को शराब के सेवन की दिशा में प्रवृत्त किया है। अतः इस संदर्भ में जीएसटी विधेयक ने एक महत्वपूर्ण अवसर चूक गया है। इस विषय पर गंभीर और तात्कालिक समीक्षा आवश्यक है।

अंत में, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हमारा राज्य, एक बड़ा उपभोक्ता राज्य होने के नाते, वास्तव में जी.एस.टी. से लाभान्वित होता है। हम आरक्षण के साथ जी.एस.टी. का समर्थन करते हैं।

जब तक विभिन्न सदस्यों द्वारा उठाए गए एक प्रतिशत अंतर-राज्य कर और परिषद की सर्वसम्मति बनाम मतदान सहित इन सभी मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता, हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व):** माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अपनी पार्टी सी.पी.आई (एम) की ओर से जी.एस.टी. विधेयक पर अपने विचार साझा करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूँ। हम इस विधेयक पर सकारात्मक हैं लेकिन साथ ही इस विधेयक के वर्तमान स्वरूप पर हमारी कुछ गहरी आपत्तियां और विरोध भी हैं।

महोदय, इस विधेयक में वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर व्यापक अप्रत्यक्ष कर लगाने का प्रस्ताव है। निश्चित रूप से, ऐसे कर सुधार की बहुत आवश्यकता है क्योंकि हमारी कर व्यवस्था पुरानी है।

### **अपराह्न 5.00 बजे**

अधिकांश कराधान कानून औपनिवेशिक युग के दौरान बनाए गए थे। निश्चित रूप से, उन्हें प्रगतिशील और सकारात्मक लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। यह भी ऐसा ही एक विधेयक है। लेकिन यहां, हमारे पास कुछ आपत्तियां हैं। राज्यों को उनके राजस्व नुकसान की निश्चित अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए।

महोदय, विधेयक के रूप में आने से पहले जी.एस.टी. के इस मुद्दे पर राज्यों के बीच अधिकार प्राप्त समिति द्वारा चर्चा की गई थी। हमारे देश की विशालता और विभिन्न क्षमताओं वाले राज्यों के असमान विकास को देखिए। कई विद्वान सदस्यों ने यह भी कहा है कि कुछ राज्यों के पास अपने संसाधन, खनिज आदि हैं, लेकिन वे विनिर्माण या उपभोग करने वाले राज्य नहीं हैं। इसलिए, उन राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा। इसलिए इस अंतर को और गहराई से चर्चा में लाना आवश्यक है ताकि सभी राज्यों की देखभाल हो और उन्हें इसका उचित लाभ मिल सके।

दूसरी बात, महोदय, विधेयक में एक जी.एस.टी. परिषद बनाने का प्रस्ताव है। इस जी.एस.टी. परिषद को कानून द्वारा सशक्त बनाया जाना चाहिए। यदि इस तंत्र के माध्यम से यह देखा जाता है कि राजस्व घाटे वाले

राज्यों को लाभ नहीं हो रहा है, तो कानून में यह प्रावधान होना चाहिए कि एक निश्चित अवधि के लिए उन राज्यों को मुआवजा दिया जाएगा।

विधेयक पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह राज्यों और केंद्र दोनों के लिए लाभ की स्थिति है। जीत-जीत कहने से उनका अभिप्राय क्या है? भारत राज्यों का संघ है, जहां अधिकांश कार्यक्रम और सेवाएं राज्यों द्वारा प्रदान की जाती हैं। जब तक राज्यों को अधिकार प्राप्त और लाभान्वित नहीं किया जाएगा; और यदि कर और राजस्व राज्यों तक नहीं पहुंचेगा, तो राज्य कैसे अपने मौलिक कार्यक्रमों को संचालित कर पाएंगे? इसलिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि राज्य पूर्ण रूप से सशक्त और लाभान्वित हों। इसी प्रकार की स्थिति निर्मित की जानी चाहिए।

महोदय, मेरे सहयोगी श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने अपने भाषण में तर्क दिया कि शराब को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एफ.आई.सी.सी.आई. द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, कुछ उत्पाद ऐसे हैं, जिनकी ग्रे मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी है। लगभग 16.7 प्रतिशत ग्रे मार्केट इसी शराब से विकसित होता है क्योंकि विभिन्न राज्यों में इसमें बहुत अधिक मिलावट चल रही है। हमारे राज्यों के साथ लगती अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी होती है। इसलिए, यदि यह राजस्व के दायरे में नहीं आता है, तो ग्रे मार्केट फलता-फूलता रहेगा, जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि हमारे समाज को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए, मुझे लगता है कि इस पर कुछ सोचना चाहिए। मैं सिर्फ इसका विरोध नहीं कर रहा हूं बल्कि इस पर भी विचार होना चाहिए कि क्या शराब और अन्य संबंधित उत्पादों को सामूहिक दायरे में लाया जाना चाहिए।

महोदय, हमने अपने विद्वान माननीय सदस्य श्री मोइली जी से एक बहुत ही विचारोत्तेजक तर्क सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि इस विधेयक को स्थायी समिति को क्यों भेजा जाना चाहिए। जी.एस.टी. की अवधारणा वर्ष 2000 से पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. असीम दासगुप्ता जी की अध्यक्षता में शुरू हुई है। इस पर पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से चर्चा चल रही है। एक विधेयक के रूप में, यह 15<sup>वीं</sup> लोक सभा के दौरान

आया है। अब, 16<sup>वीं</sup> लोक सभा के दौरान कुछ परिवर्तन हुए हैं जो यहां प्रस्तावित हैं। यदि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में इन परिवर्तनों को ठीक नहीं किया जाता है और यदि हम इसे अगले वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2016 से लागू करने की जल्दबाजी करते हैं, तो इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, मैं सिफारिश करूंगा कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए।

उस विशेष राज्य के वित्त मंत्री को अधिकारिता समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह एक अच्छा संकेत है। यह व्यवस्था यूपीए शासनकाल में शुरू हुई थी, लेकिन इसमें उचित शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। वर्तमान में यह सशक्त समिति उन ही वित्त मंत्री की अध्यक्षता में है, जिनके विरुद्ध कई प्रकार की बातें हो रही हैं। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। अतः इसकी अध्यक्षता किसी और को करनी चाहिए।

73<sup>वें</sup> और 74<sup>वें</sup> संशोधन में सत्ता का हस्तांतरण और धन का हस्तांतरण किया गया है और साथ ही स्थानीय निकायों को अपने विकास और अन्य चीजों के लिए कुछ संसाधन जुटाने का अधिकार दिया गया है। इस विधेयक में इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसलिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर आगे चर्चा की जानी चाहिए। अन्यथा, यह अधूरा रहेगा। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री वारा प्रसादराव वेलागपल्ली (तिरुपति):** मुझे यह अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूँ। एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था:

दुनिया में, मृत्यु और करों के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है।

भारत आम तौर पर कर चुकाने से कतराता है। इसलिए, जब भी हम एक शासन प्रणाली से दूसरी शासन प्रणाली में परिवर्तन करते हैं, तो इसे सरल बनाते हुए अत्यंत सावधानी बरतनी आवश्यक है। इसका कारण यह है कि यदि उचित नियम और विनियम सही ढंग से लागू नहीं किए गए, तो कर चोरी की संभावना अधिक होगी। पेट्रोलियम, कूड और अन्य उत्पादों का अस्थायी रूप से बहिष्कार उचित नहीं हो सकता क्योंकि इससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। अतः यथाशीघ्र पेट्रोलियम, कूड और इसके उत्पादों को इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

मेरी आशंका उस संबंध में है जिसका पहले सदस्यों ने उल्लेख किया है। तंबाकू जी.एस.टी.. आधार का एक हिस्सा है, लेकिन राज्यों के पास यह शक्ति न होने पर अकेले केंद्र विशेष उत्पाद शुल्क लगा सकता है। इसलिए, केंद्र और राज्यों के बीच असमानता है और उस असमानता से बचा जा सकता है। जी.एस.टी.. की सफलता इसकी दर पर निर्भर करती है। जैसा कि कई वक्ताओं ने इस बारे में कहा है, अन्य देशों में यह सिंगापुर में तीन प्रतिशत से लेकर ऑस्ट्रेलिया में दस प्रतिशत तक है। कनाडा में यह दस प्रतिशत से भी कम है और न्यूजीलैंड में भी यह दस प्रतिशत है जबकि भारत सत्ताईस प्रतिशत का प्रस्ताव कर रहा है। इसलिए, हमें यह देखना चाहिए कि जी.एस.टी. का वास्तविक उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए करों को कम करने में किसी उद्देश्य की पूर्ति करना होगा। वर्तमान में, कुछ पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की दरों में विशेष रूप से कमी की गई है। जी.एस.टी. उसे दूर करने जा रहा है। इसलिए सरकार को इन क्षेत्रों में प्रसंस्कृत भोजन पर विशेष दरें जारी रखने पर विचार करना चाहिए।

कुछ वस्तुओं के लिए विशिष्ट दरों पर भी स्पष्टता नहीं है और इस संबंध में राज्यों की स्वायत्तता घटती जा रही है। इसलिए, सरकार को कुछ वस्तुओं पर विशिष्ट दरों पर विचार करना चाहिए।

कुछ राज्य माल के प्रवेश पर चुंगी शुल्क लगाते हैं। जब जी.एस.टी. के माध्यम से एक समान कर लगाया जाएगा, तो इससे महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे कुछ राज्य, जो चुंगी लगा रहे हैं, इसके लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो, उस पर भी विचार करना होगा।

इसके अलावा, कार्य अनुबंधों, सॉफ्टवेयर और अमूर्त चीजों पर कराधान पर कोई स्पष्टता नहीं है। इसे भी कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

माना जाता है कि जी.एस.टी. एक एकीकृत बाजार सुनिश्चित करता है। लेकिन इन वस्तुओं को, कम से कम शराब और पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर, यह एकीकृत बाजार को सुनिश्चित नहीं करता है और इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

शराब, जो मानव उपभोग के लिए एक उत्पाद है, को अब इससे बाहर रखा जा रहा है। शराब पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, अंतर-राज्य निर्यात, आयात शुल्क, उत्पादन लाइसेंस शुल्क, बोतलबंद शुल्क और कई अन्य कर जैसे बहुत सारे कर हैं। मैं सरकार से इस पर विचार करने और शराब को जल्द से जल्द जी.एस.टी. प्रणाली में लाने का अनुरोध करता हूँ।

शराब में दोहरापन रखने से - एक उद्योग के उद्देश्य से और दूसरा मानव उपभोग के लिए - आपको प्रशासनिक जटिलताओं की समस्या का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, होटलों में जी.एस.टी. वस्तुएं और गैर-जी.एस.टी. वस्तुएं बेची जाती हैं। इसी तरह डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी यही समस्या होगी। इसलिए, सरकार द्वारा इसे लागू करने का निर्णय लेने के बाद सभी वस्तुओं को जी.एस.टी. शासन में लाकर प्रशासनिक जटिलताओं से बचा जाना चाहिए।

अगली सबसे महत्वपूर्ण बात स्वचालित क्षतिपूर्ति तंत्र है। अधिकांश राज्य यह मान रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई पांच साल तक की अवधि के लिए करेगी। लेकिन पांच साल बाद क्या होगा? माननीय उपाध्यक्ष ने पहले उल्लेख किया है कि कराधान एक अंतहीन प्रक्रिया है। मान लीजिए, आप पहले पांच वर्षों के लिए मुआवजा देते हैं, तो उन राज्यों

का क्या होगा जो ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों में संलग्न हैं? वे पांच वर्षों के बाद घाटा उठाएंगे। इसलिए, एक समन्वित संरचना बनाने और समान बाजार सुनिश्चित करने के लिए, एक स्वचालित क्षतिपूर्ति तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं और आपदाओं की स्थिति में अतिरिक्त संसाधन रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बाढ़ आती है, तो राज्य को अतिरिक्त संसाधनों के माध्यम से राजस्व जुटाने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य विशेष श्रेणी के राज्य हैं। इन राज्यों में एक समान कराधान लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए जी.एस.टी. लागू करते समय इन राज्यों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है।

मेरी राय में, जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा इसके जीडीपी, महंगाई और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए शीघ्र ही एक समर्पित निगरानी एवं मूल्यांकन कोषांग स्थापित किया जाना आवश्यक है।

केंद्र को विशेष रूप से कर रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए राज्यों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। यदि केंद्र उन राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने की स्थिति में है, जिन्हें तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, तो यह बहुत, बहुत प्रभावी होगा और सभी राज्यों में प्रणाली को एक समान बना देगा। साथ ही, केंद्र और राज्यों दोनों में प्रणाली की द्वैधता के कारण कई प्राधिकरण बन जाते हैं, जिससे जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, इसे भी शीघ्रता से सुलझाना आवश्यक है।

वर्तमान में केवल केंद्र ही वस्तुओं के उत्पादन पर कर लगाने का अधिकार रखता है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है। लेकिन इस संशोधन से ऐसा संकट पैदा न हो कि भविष्य में राज्यों को स्वयं सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मिल जाए, चाहे वे इसे आज न लागू करें।

ऐसे कई राज्य हैं जहां उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, यात्री और माल कर, स्टांप शुल्क, पंजीकरण इत्यादि जैसे कई कर मौजूद हैं। क्या आप इसे अधिक सामंजस्यपूर्ण और एकसमान बाज़ार बनाने जा रहे हैं? क्या जहां जी.एस.टी. व्यवस्था लागू की जा रही है वहां विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों को ध्यान में रखा गया है?

इन बातों के साथ, मैं एक बार फिर मुझे अवसर देने के लिए अध्यक्षपीठ को और मेरी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

**श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती):** महोदय, धन्यवाद। मैं आज अपनी पार्टी की ओर से संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक पर बोल रही हूँ। मैं इसका पूरे दिल से समर्थन करती हूँ क्योंकि, सौभाग्य से, हम एक असाधारण प्रगतिशील राज्य से एक बहुत ही प्रगतिशील पार्टी रहे हैं।

जीएसटी ऐसा विषय है जिसके लिए हमारा राज्य पहले से ही तैयारी कर रहा है, और पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र उन अग्रणी और प्रगतिशील राज्यों में से एक रहा है जिन्होंने विभिन्न चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी निभाई है। हमने इस प्रणाली, समाधान और जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति गहरी रुचि दिखाई है और हम लगातार इस दिशा में प्रतिबद्ध रहे हैं।... (व्यवधान)

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** सबसे पहले, प्रशंसा करने से पूर्व कृपया भाषण के दूसरे भाग को भी ध्यानपूर्वक सुनें।... (व्यवधान) यह श्री वीरप्पा मोइली जी के भाषण की तरह है। (व्यवधान) आपने पहले भाग के लिए बधाई दी है। ... (व्यवधान)

### अपराह्न 5.16 बजे

(माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

**श्रीमती सुप्रिया सुले:** तो, हम सभी के मन में चिंता और कुछ प्रश्न हैं क्योंकि तमिलनाडु सहित अधिकांश राज्यों ने विनिर्माण राज्यों के बारे में बहुत चिंता दिखाई है। हम भी विनिर्माण राज्यों में से एक हैं और हमारी भी चिंताएं हैं।

हो सकता है कि मीडिया में बहुत सारी गलतफहमियां रही हों। इसलिए, मैं शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। पिछली बार, जब माननीय वित्त मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया और इसे पारित करना चाहा, तो हम सभी प्रक्रियात्मक आधार पर बाहर चले गए। मुझे लगता है कि हममें से ज्यादातर लोगों ने सर्वसम्मति से ऐसा ही महसूस किया। मैं इसे केवल रिकॉर्ड के लिए स्पष्ट करना चाहती हूँ क्योंकि कई समाचार पत्रों ने यहां तक घोषित किया है कि हममें से अधिकांश लोग जी.एस.टी. के खिलाफ थे। इसलिए, मैं शुरुआत

में ही यह साफ कर देना चाहती हूँ कि हम जी.एस.टी. के विरुद्ध नहीं हैं। हम एक सुधार समर्थक दल हैं तथा हमने केवल प्रक्रियागत कारणों से चर्चा से अलग होने का निर्णय लिया। हम विधेयक के विरोध में नहीं थे।

मुझे माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण की अपेक्षा है, ताकि हमें विश्वास प्राप्त हो सके, क्योंकि यह विधेयक मुख्य रूप से केंद्रित है और इसमें एक प्रकार का विश्वास पर आधारित कदम है। हम पूरी केंद्र सरकार पर भरोसा कर रहे हैं कि वे अपने विभिन्न भाषणों में किए गए वादों को निभाएंगे। फिलहाल प्रशासनिक मुद्दे अभी भी अस्पष्ट हैं। हम यह सराहना करते हैं कि अभी केवल 11 महीने शेष हैं। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हमें परिषद का गठन करना होगा; इसे राज्यों तक पहुंचाना होगा; और राज्यों को अपनी-अपनी नियमावली बनानी होगी। तो क्या यह पूरी प्रक्रिया... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** नहीं, कृपया कोई टिप्पणी नहीं। उन्हें बोलने दीजिए। आप अपने लिए आबंटित समय के दौरान बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

**श्रीमती सुप्रिया सुले:** मैं केवल अपने राज्य की चिंता व्यक्त कर रही हूँ। क्या हमें पूर्ण विश्वास है कि 11 महीनों में सभी राज्य प्रशासनिक दृष्टि से समान स्तर पर होंगे ताकि लागूकरण सुचारू रूप से हो सके? यही हमारी मुख्य चिंता है। हमारा राज्य, सौभाग्यवश, तैयार है, लेकिन यह प्रश्न हमारे मन में है कि क्या सभी राज्य 11 महीनों में पूरी तरह तैयार हो पाएंगे।

बहुत से लोगों ने राजस्व निरपेक्ष दर के बारे में बात की है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय हम सभी को करने को तैयार हैं, लेकिन यदि कर दर 27 प्रतिशत जैसी असंभावित दर होगी, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, तो यह निश्चित रूप से केवल एक अटकल ही मानी जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे इसका समाधान खोजें और यह भी बताएं कि क्या वे इसे कम कर सकते हैं। हम निश्चित नहीं हैं और यह केवल अनुमान ही है कि कर दर 27 प्रतिशत होगी। यदि ऐसा हुआ, तो यह दर निश्चित रूप से उच्च मानी जाएगी। यदि आप वास्तव में अधिक लोगों को कर के दायरे में लाना चाहते हैं, तो यह दर यथार्थपरक होनी चाहिए। अतः मैं

माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस पर ध्यान दें और देखें कि इसे किस प्रकार यथार्थपरक स्तर तक लाया जा सके, ताकि लोग खुशी-खुशी कर भुगतान करें।... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** महोदया, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। मंत्री जी इसका जवाब देंगे। चिन्ता न करें।

... (व्यवधान)

**श्रीमती सुप्रिया सुले :** एक और मुद्दा, जो निश्चित रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। सरकार किस जी.एस.टी. मानदंड को आधार बनाएगी? राज्यों के साथ विभिन्न चर्चाओं में यह बात उभरी है कि वे उन कंपनियों को लक्षित कर रहे हैं जिनका कारोबार 25 लाख रुपये से अधिक है। हमारे राज्य ने सिफारिश की है कि 10 लाख से 15 लाख रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों पर भी विचार किया जाना चाहिए, और इससे भी अधिक, उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से इसे स्पष्ट करने के लिए कहूंगी इसका बेंचमार्क क्या होगा?

एक अन्य प्रश्न, जिसके बारे में हम चिंतित हैं, वह है द्वैध अधिकरण। जब सीमा निर्धारित की जाएगी, तो चर्चा हुई थी कि यह 1.5 करोड़ रुपये हो सकती है, लेकिन कुछ राज्यों ने कहा है कि यह 5 करोड़ रुपये तक होनी चाहिए। तो, कारोबार की क्या सीमा रखी जाएगी? हम नहीं चाहते कि लोगों को किसी तरह की परेशानी हो। हम नहीं चाहते कि लोगों को परेशान किया जाए। इस निर्बाध कर को बनाने का पूरा विचार कागजी काम को कम करना और इसे सरल बनाना है। दोहरे कराधान का मानदंड क्या होगा? मेरा राज्य 2.5 करोड़ रुपये से ऊपर की सीमा का सुझाव दे चुका है। अतः हम माननीय मंत्री जी से इस विषय में स्पष्टता चाहते हैं, क्योंकि हम द्वैध प्राधिकारी व्यवस्था नहीं चाहते। राज्यों को एक निश्चित सीमा निर्धारित करने दी जाए, और उसके ऊपर केंद्र को अधिकार मिले। लेकिन हमारे राज्य की सिफारिश का सम्मान किया जाना चाहिए, यही हम विनम्रता से अनुरोध करते हैं।

दूसरा प्रश्न अंतरराज्यीय मुद्दों के समाधान के बारे में है। मैं समझती हूँ कि परिषद ही अंतिम प्राधिकारी होगी। लेकिन जैसा कि महताब जी ने उल्लेख किया है, वर्तमान मतदान पैटर्न को देखते हुए — गोवा के पूर्व

मुख्यमंत्री, जो एक छोटे राज्य से हैं और हमारे क्षेत्र के निकट हैं, यहां उपस्थित हैं; उनके पास दो सांसद हैं जबकि हमारे पास 48 सांसद हैं — ऐसी स्थिति में, संभव है कि हमारे राज्य की संख्या के कारण छोटे राज्यों को मतदान अधिकारों में अपेक्षित लाभ न मिल सके, यदि कोई विशेष प्रावधान किया गया तो। ... (व्यवधान)

**रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर):** मैं अब उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं।

**श्रीमती सुप्रिया सुले:** अब, आप उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपकी व्यक्तिगत पहचान और संबंध अभी भी गोवा से हैं।

पूरा मामला गोवा जैसे छोटे राज्यों का है। सिर्फ इसलिए कि हम एक मजबूत राज्य से आते हैं, हम अन्य राज्यों को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारा पूरा तर्क यह है कि मतदान के अधिकारों में न्यायसंगत व्यवस्था होनी चाहिए। इसका समाधान कैसे निकाला जाए, यह सरकार पर निर्भर है। यह बात हमें उस मूल मुद्दे पर ले जाती है कि यह पूरा जीएसटी एक विश्वास की छलांग है। हम पूरा भरोसा केंद्र सरकार पर रखते हैं कि वे इस पूरे जीएसटी प्रक्रिया में हमें न्यायपूर्ण सुनवाई और उचित समझौता प्रदान करेंगे। हम केंद्र सरकार पर अपना पूरा भरोसा रख रहे हैं कि वे इस पूरे जी.एस.टी. खेल में हमारी निष्पक्ष सुनवाई और उचित सौदा करेंगे। मैं बस उनसे अंतरराज्यीय मुद्दों को हल करने की उम्मीद करती हूं। शुरुआत में यह प्रस्ताव था कि इसके लिए एक स्वतंत्र निवारण इकाई बनाई जाएगी, लेकिन अब वह प्रस्ताव हटा दिया गया है और सभी अधिकार परिषद को सौंप दिए गए हैं। हालांकि, विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि परिषद केवल सिफारिशें करेगी। अतः अंतिम निर्णयकर्ता कौन होगा? क्या वह वित्त मंत्रालय होगा या परिषद? कृपया हमें यह स्पष्ट करें कि हमें अपने न्यायसंगत अधिकार कैसे सुनिश्चित होंगे।

हम सभी के लिए एक और सबसे बड़ी चिंता यह है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुंगी है। चुंगी से राजस्व 14,000 करोड़ रुपये है जिसे हम इस जी.एस.टी. के लिए समझौता कर रहे हैं। इसलिए, मैं सिर्फ एक आश्वासन चाहती हूं क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने लगातार कहा है कि वे मदद करेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी कहा कि प्रतिबद्धता केवल दो साल के लिए है और यह कम होती जाएगी। जब तक प्रणाली हम सभी के लिए काम करती

है तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब तक हमें उचित मुआवजा मिलता रहेगा, हम किसी भी फार्मूले को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक सरल और प्रभावी कर व्यवस्था लागू करना है। लेकिन यह व्यवस्था हमारे वर्तमान लाभों, जैसे कि महाराष्ट्र को चुंगी से मिलने वाले 14,000 करोड़ रुपये, की हानि के कारण नहीं होनी चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस बात की स्पष्टता प्रदान करें कि क्या महाराष्ट्र को चुंगी से मिलने वाली यह धनराशि इस व्यवस्था में सम्मिलित की जाएगी। हमें केवल इस संबंध में निश्चित आश्वासन चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि डॉ. हर्षवर्धन जी यहां उपस्थित हैं। तंबाकू से संबंधित मांग के विषय में कई लोगों ने अनुरोध किया है कि तंबाकू पर आप जो चाहे कर लगा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी मर्जी से उस पर लागू उत्पाद शुल्क को बढ़ा सकें, क्योंकि तंबाकू ऐसी वस्तु है जिसके विरुद्ध हम सभी संगठित होकर लड़ रहे हैं। यह केवल राजस्व अर्जित करने का विषय नहीं है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छी आदतें विकसित करने का विषय है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसे हम लगातार जारी रखे हुए हैं। मैं इस अवसर पर सम्मानित वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूँ, जो यहां उपस्थित हैं, कि तंबाकू से संबंधित मामलों में हमें लचीलापन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

अंतिम मुद्दा पेट्रोलियम के बारे में है। पेट्रोलियम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है। यह इस समय एक बड़ा राजस्व सृजक है। लेकिन यह कब तक होगा इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। यह हमारे लिए चुंगी जैसा एक बड़ा राजस्व स्रोत है। हमें अपनी चिंताएं हैं। इसलिए, हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि पूरा सरकार हमारे साथ बनी रहे और हमारे राजस्व स्रोतों में से कोई भी न छीने, जो हमारे राज्यों में विकास कार्यक्रमों की सुरक्षा और स्थिरता में सहायक हैं।

इस संविधान (एक सौ बाईसवें संशोधन) विधेयक में, संशोधन संख्या 73 और 74 के तहत यदि आप अनुच्छेद 243(क) और 243(ख) देखें, तो उसमें लिखा है कि 'सभी अधिकार जो पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों के लिए हैं...' यह हमें उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर पुनः ले जाता है जिसके बारे में हम

चिंतित हैं, जो चुंगी के बारे में है। यह परस्पर विरोधी है। यदि भविष्य में हमारी नगर पालिकाओं और पंचायतों को अनुमति नहीं दी जाएगी, तो उन्हें मुआवजा कैसे दिया जाएगा, मैं केवल यही स्पष्टीकरण चाहती हूँ।

हम निश्चित रूप से इस विधेयक का समर्थन करते हैं। हम बस यह चाहते हैं कि केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य सुरक्षित रहे और उनकी पूरी देखभाल हो। साथ ही, आपने जो तीन से पाँच वर्षों तक सहायता प्रदान करने का वादा किया है, वह अवधि दस वर्षों तक बढ़ाई जाए। मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही ऐसा कोई संशोधन मौजूद है। यदि आप इसका समर्थन करेंगे, तो मेरा मानना है कि सभी राज्यों को लाभ होगा और अधिक लोग गर्व से कर देने को तैयार होंगे, क्योंकि हम सभी ऐसे शासन में रहना चाहते हैं जो किसी को भी हानि न पहुंचाएं, हम अपने करों का भुगतान करें और सरल जीवन व्यतीत करें। मुझे लगता है कि यही वह बात है जिसके बारे में यह सरकार बार-बार चर्चा करती है — काला धन आदि। हम उनका समर्थन करते हैं बशर्ते हमारे सभी राज्यों और हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। धन्यवाद।

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस 122वें संविधान संशोधन पर चल रही अत्यंत महत्वपूर्ण बहस में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस बहस की शुरुआत आदरणीय वीरप्पा मोइली जी ने की थी और तब से विभिन्न राजनीतिक दलों के अत्यंत विद्वान माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। एक बात सामान्यतः सभी ने कही है कि जीएसटी के इस बिल से किसी का विरोध नहीं है।

सभी यह मानते हैं कि जीएसटी लगने के बाद देश के अंदर एक सरल कराधान की प्रणाली आएगी, जो ट्रांसपेरेंट भी होगी, उसके कारण से जीडीपी में भी वृद्धि होगी और देश की आर्थिक विकास दर को भी बढ़ावा मिलेगा। आधिकांश जो शंकाएं हैं, वे प्रदेशों की हिस्सेदारी को ले कर हैं। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहूंगा, हालांकि उसकी चर्चा अनेक बार स्वयं माननीय वित्त मंत्री जी ने की है, अनेक माननीय सदस्यों ने भी की है। पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय चिदंबरम जी ने इस बिल का सबसे पहले उल्लेख सन् 2006-07 में किया था। तब उन्होंने ऐसा भी कहा था कि सन् 2010 तक इस बिल को आ जाना चाहिए। परंतु वह नहीं हो सका। क्या उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि प्रदेश की सरकारों से जो असहयोग हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण उस समय ही एक प्रकार का ट्रस्ट डेफिसिट केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में जो बन गया था, यह उसका बड़ा कारण रहा है। सीएसटी को क्रमशः हटाया जाना था। वैट लाया जाना था। उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाने वाली थी। परंतु उनको पता है कि वह क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी और जिसके कारण एक आविश्वास पैदा हुआ और जो क्रमशः इस जीएसटी को लागू करने के कानून को लाने में भी बाधक बना। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरे तरीके से समाप्त करने का सफल प्रयास किया है और लगातार वह प्रयास कर रही है। पहले बजट भाषण के अंदर 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जो प्रदेश सरकारों का बकाया था, वह सीएसटी के मद में उसको देने की घोषणा की गई। 15 हजार करोड़ रुपये और देने की घोषणा की गई। कुल मिला कर के 26 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था होने के बाद, कुल 34 हजार करोड़ रुपये जो बकाया है, उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करने वाली है।

महोदय, इसमें से जो विश्वास का निर्माण हुआ है, यह विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। बिल के अंदर भी जो प्रावधान किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि उससे प्रदेश सरकारों को किसी भी प्रकार की शंका की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल की रचना की गई है, जिस प्रकार से अगले पांच वर्षों के लिए जो संभावित क्षतिपूर्ति को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, वह तीन साल तक सौ प्रतिशत है, चौथे साल में 75 प्रतिशत है और 5वें साल में 50 प्रतिशत है। जो मैनुफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, उनको उसमें एक प्रतिशत का आतिरिक्त कर लगाने की छूट दी गई है। ऐसे अनेक जो प्रावधान हैं, उनमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश सरकारों की जो शंका है, उसका कोई कारण नहीं है और जहां तक छोटे प्रदेशों की बात है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि छोटे प्रदेश भारत माता के छोटे बच्चों की तरह हैं, जो माँ को ज्यादा प्रिय होते हैं और यह सरकार निश्चित ही उन बच्चों का आधिक ध्यान रखेगी, उनको किसी भी प्रकार की शंका करने की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो ट्रस्ट डेफिसिट प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच में था, वह टैक्सेशन का जो सिस्टम इस समय है, उसके कारण से आम जनता, आम नागरिक और सरकार के बीच में भी है। हम बड़े विज्ञापन तो देते हैं कि आप टैक्स दीजिए, टैक्स देने का यह लाभ होगा, उससे प्रगति के काम चलेंगे, विकास के काम चलेंगे। हम कई बार उनको टैक्स न देने के नुकसान भी बताते हैं, उनको कानून का भय भी बताते हैं। परंतु टैक्स देने के योग्य, उनका मन बने, इस प्रकार का वातावरण देश के अंदर नहीं है। आज की तारीख में 16 के लगभग टैक्स लगते हैं। प्रत्येक छोटे-बड़े उद्यमी को, छोटे-बड़े करोबारी को एक वकील और एक डॉक्टर परमानेंटली अपने यहां रखना पड़ता है। किस प्रकार से कहां वह फंस जाए, किस प्रकार से कहां उससे भूल हो जाए, किस प्रकार से वह सिस्टम का शिकार हो जाए, क्योंकि टैक्स की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि उसको टैक्स इज़ टैरर कहा जाता है। यह जो शब्द है, मैं इस बात को जानता हूँ कि टैक्स से टैरर का निर्माण होता है। यदि मैं गलत शब्द कहूँ, थोड़ा भारी शब्द है कि टैक्सपेयर का एक्सटॉरशन किया जाता है। उससे मुक्ति मिलेगी। यह जो परस्पर आविश्वास का वातावरण है, यह जो ट्रस्ट डेफिसिट है, यह समाप्त होगा। विश्वास के वातावरण का निर्माण होगा। मैं समझता हूँ कि जीएसटी के इस बिल से जो वातावरण बनेगा, उसमें स्वयं करके लोग भागीदार होंगे और टैक्स को अदा करेंगे, टैक्स का दायरा बढ़ेगा, टैक्स की कलेक्शन्स भी बढ़ेंगी।

महोदय, इस समय देश की क्या स्थिति है, सबने खूब प्रयास किए हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आज भी देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है, दस करोड़ बेरोजगार हैं, हमारे पास संसाधनों की कमी है। मैं कोई अर्थशास्त्र का जानकार व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन दो छोटे-छोटे आँकड़े हैं, मैंने पहले भी उसका उल्लेख किया, हमारी कुल कलेक्शन सवा बारह लाख करोड़ की है, जिसमें से सवा चार लाख करोड़ हम कर्ज के ब्याज के भुगतान में खर्च कर देते हैं। आठ लाख करोड़ के अंदर हमें सारे कारोबार चलाने हैं, सारे मंत्रालयों का खर्च चलाना है, सारे देश को चलाना है। अभी 6 मंत्रालयों की अनुदान माँगों पर बहस हुई। प्रत्येक मंत्रालय की माँगों पर बहस होते समय अधिकांश माननीय सांसदों ने कहा कि पैसा बढ़ाया जाना चाहिए। यदि सभी मंत्रालयों पर चर्चा होती तो निश्चित रूप से दोगुने बजट की आवश्यकता होती। दोगुना बजट कैसे आएगा? आठ लाख करोड़ जो हमें उपलब्ध हैं, वे 16 लाख करोड़ या 20 लाख करोड़ कैसे बनेंगे? उसके लिए निश्चित रूप से एक आर्थिक विश्वास का वातावरण बनाना पड़ेगा। एनडीए की सरकार उसी प्रकार के सब तरफ से कार्यक्रम चला रही है। उसी प्रकार से ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है कि लोग अपनी भागीदारी देकर अपने श्रम का भी उपयोग करें, जो संसाधन हैं, उनका भी उपयोग करें और देश को समृद्धि की ओर ले जाएं। जीएसटी का जो नया कानून आने वाला है, यह इसी दृष्टि से उपयोगी है। मैं समझता हूँ कि इस कानून को इस प्रकार से लाया जाए कि अगले वर्ष यह लागू हो सके और इसे पास किया जाए।

**श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) :** महोदय, संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 जो जीएसटी के लिए है, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मैं समझता हूँ कि कल्याणकारी सरकार का जो लक्ष्य होता है, उनके वित्त मंत्री का लक्ष्य जैसे इकट्ठा करना नहीं होता है, उस सरकार का लक्ष्य लोगों को सुविधाएं देना होता है और लोगों को सुविधा देने की बात होती है। मैं आज की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि जो देश में बहुत ही सख्त कर प्रणाली थी, हैवी टैक्सेज की प्रणाली थी, जो पूँजी निवेशक था, वह डरता था, उससे चोरी भी होती थी, करप्शन भी होता था।

मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जो जीएसटी आया है, इससे चीजें सरल भी होंगी, सस्ती भी होंगी और बहुत सारे प्रदेशों की जो हदें हैं, मेरी कांस्टीच्यूएंसी हिमाचल के साथ भी जुड़ती है, हरियाणा के साथ भी जुड़ती है, हम देखते हैं कि टैक्स चोरी करने के लिए बहुत सारे लोग नए रास्ते ढूँढते हैं, नए बाई-पास ढूँढते हैं और चोरी होती है, करप्शन होता है। इससे सब कुछ रुक जाएगा और एकसारता होगी, यह अच्छी बात है। मैं अपनी पार्टी की ओर से अपने माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ और हमारी कुछ शंकाएं भी हैं। शंकाएं इसलिए हैं, आजाद भारत में आज तक पंजाब जैसे प्रदेशों के साथ बहुत डिसक्रिमिनेशन हुआ।

महोदय, पिछली डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक बार किसानों का 70 हजार करोड़ रूपए का कर्ज माफ किया। यदि आँकड़े देखे जाते तो प्रति फार्मर, प्रति फेमिली, प्रति हाउस, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा कर्जदार पंजाब का किसान है, किन्तु पंजाब का कर्जा सबसे कम माफ किया। उसमें एक क्लॉज डाल दी कि जो डिफाल्टर होगा, उसका कर्ज माफ होगा। पंजाब के लोग कर्जा उतारने के लिए कर्जा ले लेते हैं। हमारे प्रदेश ने पीछे आतंकवाद के समय बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे देश की लड़ाई कहा गया किन्तु सारा खर्चा पंजाब के सिर डाल दिया। इसलिए पिछले समय में जो डिसक्रिमिनेशन हुए, धन के बंटवारे में, उसके कारण हमें यह शंका है कि धन इकट्ठा होगा और बाँटने के समय जैसे पहले होता रहा, अब भी वैसा ही न हो जाए। मेरे दो सुझाव हैं।

हमारा स्टेट पंजाब मैनुफैक्चरिंग स्टेट नहीं है। मैनुफैक्चरिंग स्टेट्स को एक परसेंट कर एडीशन में लगाने की व्यवस्था कर दी। हम या तो अनाज पैदा करते हैं या मैनुफैक्चर्ड गुड्स को कंज्यूम करते हैं। इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि क्योंकि हमारे यहां माइन्स एंड मिनिरल्स नहीं हैं, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारी कर प्रणाली ही रैवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स है। हमने फूडग्रेन पर पर्चेज टैक्स लगाया है, हमने फूडग्रेन पर सैस लगाया है। पर्चेज टैक्स से 1700 करोड़ और फूड सैस से 1000 करोड़, और एक जो आर.डी.एफ. लगाया है, उससे 743 करोड़ मार्केट फीस आती है। उसको हम गांवों के डैवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही हमने चुंगी हटा दी, एंटी टैक्स लगा दिया। उसका भी हमें 2547 करोड़ रुपये आता है। यह 7000 करोड़ रुपये कंपनसेट करने के लिए जो 122 अमेंडमेंट की क्लोज़ 19 है, इसमें व्यवस्था की है कंपनसेट करने के लिए सैन्टर की ओर से। मुझे एक शंका है जिसे माननीय वित्त मंत्री जी दूर करें। इसमें इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार *मुआवजा* दे सकती है। मैं चाहता हूं कि इसमें अमेंडमेंट करके *क्षतिपूर्ति* करूंगा होना चाहिए। सैन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से मैडेटर्री होना चाहिए। यदि फिर हमारी शंका रहेगी तो उस बारे में बताएँ।

दूसरा मैं चाहता हूं कि जो टैक्स कलैक्शन के लिए इन्होंने पाँच साल रखा है कंपनसेट करने के लिए, मैं समझता हूं कि यह बहुत थोड़ा समय है। इन्होंने बात तो अच्छी की है, सब प्रदेशों के वित्त मंत्री बुलाए, मुख्य मंत्री बुलाए, उन्होंने भी सुझाव दिए, हमारी सरकार ने भी सुझाव दिया। हमारा कहना है कि पाँच वर्ष की जो सीमा तय की है, उसको 15 वर्ष किया जाए या कम से कम 10 वर्ष किया जाए तो अच्छी बात होगी। नहीं तो कम से कम जो फूडग्रेन सैन्टर के पास जाता है, उस पर टैक्स लगाने की व्यवस्था कर दी जाए स्टेट सब्जैक्ट में, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। हमारे पड़ोस में हिल स्टेट्स हैं। हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है। हमारी इंडस्ट्रीज़ वहां चली गईं क्योंकि उनको स्पेशल इंसेंटिव्स दिए गए। यह जो जी.एस.टी. काउंसिल बनी है, इसमें भी इन्होंने स्पेशल प्रोविजन दिया है और स्पेशल प्रोविजन में हिमाचल को भी रखा गया और उत्तराखंड को भी रखा गया है। अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा कि इसमें पंजाब को भी रख

लीजिए, क्योंकि पंजाब एक सरहदी सूबा है और पंजाब का 40 परसेंट हिस्सा - आनन्दपुर साहिब, होशियारपुर और गुरुदासपुर - ये तीन कांस्टीट्यूएंसीज़ ऐसी हैं जहाँ का साठ परसेंट हिस्सा हिल स्टेट्स के साथ है। कंडी एरिया है, बीट एरिया है, चंगर एरिया है। इसलिए स्पेशल प्रोविजन की व्यवस्था इसके लिए भी दे दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी। मेरे ये दो सुझाव हैं। इसके साथ ही मैं जी.एस.टी.. का सपोर्ट करता हूँ।

[अनुवाद]

**श्री जोस के. मणि (कोट्टायम):** उपाध्यक्ष महोदय, वस्तु एवं सेवा कर एक स्वागत योग्य कदम है। भारत आर्थिक रूप से विकास के चरण में है और इस विकास को बनाए रखना और बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत विदेशी निवेश के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है और अधिक से अधिक वैश्विक कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी पर नजर गड़ाए हुए हैं। यह आवश्यक हो गया है कि कराधान पद्धति विभिन्न राज्यों में भारत में व्यापार करने की इच्छुक स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करे।

चूंकि जी.एस.टी. एक गंतव्य आधारित कर है, इसलिए यह कई उपभोक्ता राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। नई कर व्यवस्था के कारण राजस्व खोने के डर से विनिर्माण राज्यों के लिए चिंताएँ हैं।

उनका डर उचित है और छोड़े गए राजस्व को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा माल की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्तावित तंत्र एक तरह से जी.एस.टी. के उद्देश्य को ही विफल कर देता है। 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर मूल जी.एस.टी की विशेषता को बरकरार रखता है जिससे व्यापार, दक्षता और माल की मुक्त सीमा पार आवाजाही में बाधा आती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वस्तु कच्चे स्वरूप से तैयार उत्पाद बनने तक दिल्ली एनसीआर में तीन अलग-अलग चरणों से गुजरती है, तो अंतिम उत्पाद पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत कर लगेगा। इसलिए, मेरा सुझाव है कि विधेयक के खंड 18 को हटाया जाना चाहिए, खासकर तब जब खंड 19 में राज्यों को राजस्व हानि के मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

यदि जीएसटी को उसकी सच्ची भावना में लागू किया जाना है, तो मंडी कर और आर एंड डी कर जैसे सभी अतिरिक्त कर, जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, उन्हें जीएसटी में शामिल किया जाना आवश्यक है। जी.एस.टी. की स्थापना पारदर्शिता और दोहरे कराधान से बचने के आधार पर की गई है। इसलिए जो जी.एस.टी. दरें तय की गईं, उन्हें कम किया जाना चाहिए और लोगों पर कर का बोझ कम किया जाना

चाहिए। यदि जी.एस.टी. दरें उपभोक्ता द्वारा वर्तमान में भुगतान किए जाने वाले संचयी करों की धनराशि से अधिक हैं, तो जी.एस.टी. की बात बेमानी होगी। एक उच्च जी.एस.टी. दर विकास में बाधा डालेगी और भारत को निवेश और व्यवसाय के लिए एक अप्रभावी गंतव्य बना देगी।

रियल एस्टेट को जी.एस.टी. से बाहर रखा गया है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया क्योंकि कई विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार जी.एस.टी. दरें तय करने से पहले मेक इन इंडिया के अपने उद्देश्य और निर्यात को बढ़ावा देने की जरूरत को ध्यान में रखेगी। जी.एस.टी. या वैट का वैश्विक औसत 16.4 प्रतिशत है। एशिया प्रशांत में औसत दर 9.88 प्रतिशत है और कनाडा तथा नाइजीरिया में यह केवल 5 प्रतिशत है। वे भारत द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव से बहुत कम हैं। यह भारतीय विनिर्माताओं और निर्यातकों के लिए फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि वे सीधे तौर पर उन देशों से प्रतिस्पर्धा करेंगे जिनकी कर दरें भारत की तुलना में कम हैं।

यह कहते हुए, मेरा विश्वास है कि जीएसटी हमारे देश की आर्थिक वृद्धि के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस आर्थिक विकास के लिए, मैं इस विधेयक के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ।

[अनुवाद]

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्णतः संविधान संशोधन विधेयक 2014 का समर्थन करता हूँ, जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने में सक्षम बनाता है, लेकिन इस विधेयक के कुछ प्रावधानों के संबंध में संवैधानिक उचितता को लेकर मेरी कुछ टिप्पणियाँ और आपत्तियाँ हैं।

केंद्र और राज्यों में मूल्य संवर्धन कर की शुरुआत स्वतंत्रता के बाद के भारत में प्रमुख सुधारों में से एक थी। अब जी.एस.टी. निश्चित रूप से हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में संरचनात्मक सुधार लाएगा और यह भारत में व्यापक अप्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

वस्तु एवं सेवा कर विधेयक का क्या महत्व है? सभा के अधिकांश प्रमुख सदस्य पहले ही सभा में कह चुके हैं कि इससे निश्चित रूप से हमारे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यहां तक कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने हाल ही में एक अध्ययन किया और पाया कि अगर सभी वस्तुओं और सेवाओं को जी.एस.टी. में शामिल किया जाए तो 1 से 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अलावा, हम सभी जानते हैं कि ग्राहकों और व्यापारियों पर बिक्री कर, अतिरिक्त बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, चुंगी, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर आदि जैसे कई करों का बोझ डाला जा रहा है। इसलिए, निश्चित रूप से यह समय की मांग है कि न केवल अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र में बल्कि प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में भी कर संरचना का एक समान पैटर्न होना चाहिए। इस संशोधन अधिनियम द्वारा, प्रमुख केंद्रीय और राज्य करों को जी.एस.टी. में शामिल किया जाएगा।

मेरे विचार में, जीएसटी केवल एक वैट और सेवा कर का संयोजन नहीं है, बल्कि यह वर्तमान वैट प्रणाली और अलग-अलग सेवा कर की तुलना में एक बेहतर और सुधरा हुआ स्वरूप है। अतः जब यह जीएसटी लागू होगा, तो हमारे पास केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और एक एकीकृत जीएसटी होगा। यही मेरी इस संदर्भ में भावना है।

चूँकि मैं कर मुद्दों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण माँगना चाहूँगा। मुझे लगता है, यह गंतव्य आधारित कर है। अंतिम उत्पादों पर सभी राज्य जी.एस.टी. उपभोक्ता राज्यों को मिलते हैं। इसलिए, अधिकांश उपभोक्ता राज्यों को लाभ होगा। निश्चित रूप से केरल राज्य को भी लाभ होगा क्योंकि यह एक उपभोक्ता राज्य है। इसलिए हम जी.एस.टी. का पूरे दिल से समर्थन करते हैं।

पहला स्पष्टीकरण मैं माननीय मंत्री जी से शराब और पेट्रोल के संबंध में चाहता हूँ। लगभग सभी राज्यों की लंबे समय से मांग रही है कि शराब और पेट्रोल को जी.एस.टी. से छूट दी जानी चाहिए। यह मांग संसदीय स्थायी समिति के 73वें प्रतिवेदन तक थी। यह स्थिति स्थायी समिति द्वारा भी स्वीकार की गई थी। लेकिन 73वीं समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी वस्तु को संवैधानिक रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। मैं रिपोर्ट से सहमत हूँ, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहूँगा कि रिपोर्ट ने शराब और पेट्रोल को सीधे तौर पर जीएसटी में शामिल करने की बात नहीं कही है। रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन इसमें निहित रूप से यह संकेत दिया गया है कि अधिकांश वस्तुएं जीएसटी के दायरे में लाई जानी चाहिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है:

"किसी भी स्थिति में, संविधान में अनुच्छेद 279क को सम्मिलित करने वाला प्रस्तावित प्रावधान जी.एस.टी. परिषद को खंड 4 (क) और (ख) के माध्यम से जी.एस.टी. के दायरे से कुछ वस्तुओं छूट और सेवाओं को शामिल करने या छूट देने या बाहर करने पर सिफारिश करने का अधिकार देता है।"

इसका मतलब है, जी.एस.टी. में शामिल होना, जीएसटी के दायरे से छूट देना और जी.एस.टी. से बाहर करना जी.एस.टी. परिषद की सलाह के अनुसार लागू होता है या हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है कि पेट्रोल को उस तारीख पर जी.एस.टी. में शामिल किया जाना चाहिए जो परिषद द्वारा निर्दिष्ट किया जा रहा है या जो तारीख परिषद द्वारा तय की जा रही है। इसलिए, मेरा निवेदन यह

है कि भारत सरकार द्वारा दिया गया तर्क कि केवल उद्योगों के नजरिए से है और उसमें कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है। पेट्रोल को लेकर राज्यों की राजस्व संबंधी चिंताओं को उचित महत्व नहीं दिया गया है।

मैं स्वीकार करता हूँ और मैं इस तथ्य की सराहना करता हूँ कि शराब को छूट दी गई है। इसी तरह पेट्रोल को भी जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखना होगा। यह मेरा निवेदन है जो मैं कहना चाहूँगा। हालांकि, भारत सरकार को और मजबूत किया जा रहा है। ये मेरी शंकाएं और आशंकाएं हैं।

केंद्र सरकार सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगा सकती है; यहां तक कि केंद्रीय जी.एस.टी. और एकीकृत जी.एस.टी. भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में व्याख्या 'राज्य' शब्द को संदर्भित करती है। इसलिए, मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या औद्योगिक व्यापार या वाणिज्य में लगने वाले कर गंतव्य आधारित होंगे या उद्गम आधारित होंगे।

तीसरा स्पष्टीकरण जो मैं मांगना चाहता हूँ वह आपूर्ति के स्थान के संबंध में है। खंड 4 (ग) के आधार पर, यह देखा जाता है कि आपूर्ति का स्थान जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। आपूर्ति के स्थान, लेन-देन और कराधान का निर्धारण केवल राज्यों पर निर्भर करता है, लेकिन वहां भी परिषद के एक-तिहाई भारिता के साथ केंद्र सरकार की भूमिका बहुत अधिक होती है। इसलिए, यहां भी केंद्र सरकार के हित सुरक्षित रहेंगे।

वित्त आयोग की भूमिका की बात करें तो, हमारे पास पहले से ही एक संवैधानिक तंत्र है जिसमें कर और शुल्क राज्यों को हस्तांतरित किए जाते हैं। आई.जी.एस.टी. करों के बंटवारे के संबंध में केंद्र सरकार को कानून बनाना होगा। यह तय है कि अगर केंद्र सरकार कोई कानून बना रही है तो वह संघ के हित में होगा। इसलिए मेरा निवेदन यही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि एकीकृत जी.एस.टी. की शुद्ध आय का हस्तांतरण वित्त आयोग के माध्यम से किया जाए, न कि केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर।

मैं विधेयक के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बातें कहना चाहूँगा। अनुच्छेद 246(क) संसद और राज्य विधानमंडलों को जी.एस.टी. के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है लेकिन खंड

249(क) के अनुसार केवल संसद को उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के मामले में जी.एस.टी. के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। वास्तव में, संघ अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। मैं अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में संशोधन के लिए माननीय मंत्री जी का ध्यान खंड 4 और खंड 5 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में संशोधन की आवश्यकता जानना चाहूँगा।

जहां तक अनुच्छेद 249 का सवाल है, यदि राज्य परिषद के दो-तिहाई सदस्य कोई प्रस्ताव पारित करते हैं, तो निश्चित रूप से संसद को राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 250 के अनुसार भी, यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को राज्य के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यहां तक कि अनुच्छेद 246(क) भी स्वतंत्र है और उस अनुच्छेद के द्वारा ही संसद को वस्तु, सेवा कर पर कानून बनाने का अधिकार है। उन संशोधनों की क्या आवश्यकता है?

अंत में, मैं खंड 18, 19 और 20 के बारे में जानना चाहूँगा। खंड 18 उद्योग, व्यापार या वाणिज्य के संबंध में एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने के संबंध में है। खंड 19 राज्यों को मुआवजे के संबंध में है। इसलिए, संशोधन कहाँ है? यह संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन नहीं कर रहा है। इसका कोई असर कैसे होगा? अन्य सभी संशोधनों में, संविधान के विशेष प्रावधान में संशोधन किया गया है, लेकिन जहां तक खंड 18 और 19 का संबंध है - खंड 20 एक परिवर्तनकारी प्रावधान है, खंड 21 जिसका उल्लेख मैंने आज सुबह किया था - इन प्रावधानों का संवैधानिक प्रभाव क्या होगा जिसके लिए मैं संशोधन के लिए नोटिस भेजा है? यह केवल सरकार की सहायता के लिए और स्पष्टीकरण मांगने के लिए है। यह विरोध की राजनीति नहीं, बल्कि रचनात्मकता और सकारात्मकता की राजनीति है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):** उपाध्यक्ष जी, मैं संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ। आज का यह क्षण ऐतिहासिक क्षण है। आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है, क्योंकि आज वस्तु और सेवाकर, जीएसटी को लागू करने की प्रतिबद्धता, दृढसंकल्प, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। यह कदम जहां हमारी संविधान की मूल भावना को परिलक्षित करता है, वहीं केन्द्र और राज्य दोनों के कर प्रशासन को पारदर्शी और सुप्रभावी बनाने के साथ उच्च राजस्व संग्रहण कर देश में एक नया इतिहास रचेगा। यह क्षण, यह संशोधन इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण, क्रांतिकारी, सुधारवादी और ऐतिहासिक कदम है।

उपाध्यक्ष जी, मैं यह समझता हूँ कि आदरणीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी के नेतृत्व में पिछले दस महीनों में हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए और जिस तरीके से कुछ महीनों में व्यापक सुधारवादी कदम उठाए, उससे आम नागरिक का विश्वास बढ़ा है। वैश्विक मंदी के वातावरण में पूरी दुनिया में जहां एक अंधेरा छा रहा था, वहां भारत एक आशा की किरण के रूप में खड़ा दिखता नजर आ रहा है।

मैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करता हूँ कि जीएसटी की परिकल्पना वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। तब उनके मन में आया था कि देश की आर्थिक मजबूती जरूरी है। इसलिए वर्ष 2003 में उन्होंने इसके लिए केलकर समिति का गठन किया था। उस समिति में केलकर जी ने कहा था कि एकीकृत टैक्स प्रणाली बहुत जरूरी है। इससे दुनिया के सबसे खराब कर ढांचे में एक भारतीय कर ढांचे को विश्व का एक बेहतरीन ढांचा बनाया जाएगा। यह दुनिया का सबसे खराब कर ढांचा था। उन्होंने कहा कि एकीकृत होगा तो दुनिया का सबसे बेहतरीन कर ढांचा हो जाएगा। आज उसकी शुरुआत आदरणीय यशस्वी वित्त मंत्री अरूण जेटली जी के नेतृत्व में हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2006-07 में बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने कहा। वर्ष 2008 में इम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुयी। मैं उत्तराखंड के वित्तमंत्री के रूप में लगातार उन इम्पावर्ड कमेटी की बैठकों में उपस्थित रहा हूँ। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप

में भी मैं वित्त विभाग को देख रहा था तो भी मैंने लगातार उन इम्पावर्ड कमेटी की बैठकों में हिस्सा लेकर, चर्चा की। जब वेट लागू हो रहा था, तब हम भी आशंकित थे। मैं भरोसे, उदाहरण और प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि जब वेट को लेकर तमाम राज्यों के लोग विरोध कर रहे थे तो मैं भी वित्त मंत्री के रूप में उसका विरोध कर रहा था, लेकिन केन्द्र सरकार की इस आश्वासन के बाद कि क्षति-पूर्ति हम देंगे, आप उसे लागू करिए तो हमने उसको लागू किया। वेट लागू होने से कर राजस्व में डेढ़ गुना की वृद्धि हुयी। मैंने मोइली जी की बातों को गौर से सुना है और अन्य माननीय सदस्यों के विचारों को भी सुना है, मैं उसकी तकनीकी कमियों की ओर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन जी.एस.टी.. लागू हो जायेगा, उस दिन दुनिया के इतिहास में भारत एक क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा।

मैं सोचता हूँ कि देश के इतिहास में स्वाधीनता के बाद सवारधिक चर्चा इस बिल पर हुयी है, वर्ष 2003 से लेकर 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और वर्ष 2010, वर्ष 2010 में में तो इसे लागू करने की ही बात हो रही थी। वर्ष 2011, 2012 और 2013 में इस पर चर्चा हुयी। वर्ष 2013 में यह बिल लोक सभा में इसलिए व्यपगत हो गया क्योंकि लोक सभा भंग हो गयी थी। लेकिन, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी की कमेटी हो या वह उप-समिति की कमेटी हो, तीन कमेटियां और बनीं। मैंने विभिन्न कमेटियों की संस्तुतियों के एक-एक शब्द को पढ़ा है। मैं यह कह सकता हूँ कि उन कमेटियों की सारी रिपोर्ट्स आधिकांशतः इसमें समाहित हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जी.एस.टी.. के जो कर संग्रहण हैं, इसमें राज्यों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण बहुत बेहतर समन्वय होगा। निश्चित रूप में कर पर कर लगने से महंगाई बढ़ती है, वह नीचे आयेगी और हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। ...(व्यवधान)

मैं यह समझता हूँ कि जहां एकल बाजार व्यवस्था निश्चित होगी, वहां निश्चित रूप में जवाबदेही निगारनी बढ़ेगी और काले धन पर लगाम लगेगी। देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि एकल बाजार की व्यवस्था होगी, टैक्सों का सरलीकरण होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी का इसमें इस्तेमाल होगा, उससे पूरे उद्योग जगत में न केवल कर चोरी रुकेगी बल्कि कर संग्रहण में कई गुना वृद्धि होगी। कच्चे माल

को लेकर उत्पादित पदार्थों की सारी प्रक्रिया कंप्यूटर में दर्ज होने से, इंस्पैक्टर राज भी टोटली खत्म हो जायेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमें वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के मुकाबले में भी काफी तेजी से आगे आना चाहिए। कारोबारी, निर्माता, उपभोगता, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार हो, सभी बेशुमार लाभ होगा, इससे अप्रत्यक्ष करों का सरलीकरण होगा, एकीकृत टैक्स प्रणाली का पूरे देश में एकत्व होगा, उत्पाद और सेवा कर सस्ते होंगे। जितने भी सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटीज हैं, तमाम ऐसे कर हैं जिनकी मार राज्यों पर भी पड़ती है, आम कर दाता परेशान रहता है। जी.एस.टी.. लागू होने से निश्चित रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जो समृद्ध भारत और श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो सपना है, उन मिशनों को भी बल मिलेगा। निश्चित रूप में सरकार के टैक्स में बढ़ोत्तरी होगी। इससे दो प्रतिशत तक जी.डी.पी. बढ़ने की गुंजाइश है। टैक्स के कारण समन्वय बेहतर होगा। एकीकृत प्रणाली से टैक्स की जटिलता समाप्त होगी। एकल अबाधित बाजार से सी.एस.टी. और प्रवेश कर से मुक्ति मिल रही है। समूची प्रक्रिया ऑनलाइन होने से झंझटों से भी मुक्ति मिल रही है, विवाद समाप्त होंगे, केन्द्र का भी भारी-भरकम उत्पाद शुल्क समाप्त हो जायेगा। हम आर्थिक जगत के रूप में आगे बढ़ेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हम दुनिया में बहुत आगे निकल जायेंगे।

### **सायं 6.00 बजे**

पहले यह सोचना भी स्वप्न सा लगता था कि क्या हम कभी चीन से आगे निकल पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सभी वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेज विकास दर वाली अर्थव्यवस्था बनाया। हम भरोसा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारी विकास दर दो अंकों को पार करेगी। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। विदेशी निवेश निश्चित रूप में बढ़ेगा क्योंकि आज लगभग डेढ़ सौ देशों में जीएसटी है। हमारी कर प्रणाली सरल न होने के कारण निवेशक अन्य देशों जैसे चीन, थाइलैंड, वियतनाम में जाते थे।

मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि जो सारी शंकाएँ हैं, काउंसिल इसीलिए बनाई गई है और प्रतिनिधित्व में 66 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा है। काउंसिल सारी चीजों को करेगी। क्षतिपूर्ति के लिए वित्त मंत्री जी ने पहले ही कहा है और लगभग 34 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसलिए काउंसिल सारी समस्याओं का समाधान करेगी। मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूँ कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन पर जरूर निगरानी रखी जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब, छह बज चुके हैं। यदि सभा सहमत है तो हम इसे एक घंटे और बढ़ा सकते हैं। इस विधेयक पर बोलने के लिए तीन और सदस्य हैं और फिर हम 'शून्य काल' पर विचार करेंगे। इस चर्चा का उत्तर कल प्रश्नकाल के बाद दिया जाएगा। यही निर्णय लिया गया है।

**अनेक माननीय सदस्य:** महोदय, हाँ।

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब, श्री सी.एन.जयदेवन।

[अनुवाद]

**श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर):** महोदय, मुझे इस संविधान एक सौ बाईसवें संशोधन विधेयक, 2014 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। यह वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए है। विधेयक के विभिन्न प्रावधानों और समाचार पत्रों में विभिन्न टिप्पणियों को देखते हुए, मुझे लगा कि माननीय वित्त मंत्री जी को विधेयक में दो बातें स्पष्ट करनी चाहिए।

सबसे पहले, जी.एस.टी. प्रणाली की सफलता काफी हद तक उसके दायरे की व्यापकता पर निर्भर करती है। लेकिन प्रस्तावित जी.एस.टी. प्रणाली में पेय मदिरा, तंबाकू और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कई महत्वपूर्ण वस्तुएं शामिल नहीं की गई हैं, जो देश के अप्रत्यक्ष कर आधार का एक बड़ा हिस्सा हैं। ऐसा क्यों किया गया है?

दूसरी बात, एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव है जब वस्तुएं एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होती हैं। हर बार वस्तुओं के राज्य बदलने पर कर बढ़ता जाएगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की लागत पर श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, आयातकों को लाभ होगा क्योंकि उन पर अतिरिक्त कर लागू नहीं होगा। क्या यह भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम पर कलंक नहीं होगा?

महोदय, मैंने तीन संशोधन दिए हैं जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के हित में हैं। हालांकि मैं केरल से हूँ, हमारी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी फ्रांसीसी-भारत स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी, जिसने पुडुचेरी को फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराया। हमारी पार्टी की पुडुचेरी इकाई ने विधेयक का अध्ययन किया था और कुछ सुझाव दिए थे। वे इस तथ्य के लिए आभारी हैं कि सरकार ने राज्य के परिभाषा खंड में एक नया अनुच्छेद 366 (26 ख) डालने के उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया है जिसमें अनुच्छेद 246 (क), 268, 269 (क) और 279 (क) के संदर्भ में विधानमंडल के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। लेकिन यह पुडुचेरी के लोगों के हितों की आंशिक रूप से ही रक्षा करता है। वर्तमान विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 275 और 280 के तहत संवैधानिक रूप से, यानी केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से केंद्रीय राजस्व के हस्तांतरण

का मार्ग प्रशस्त नहीं करता है। इसलिए, मेरा संशोधन केंद्रीय पूल से राजस्व के हस्तांतरण के उद्देश्य से राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 270, 275 और 280 को शामिल करने के संबंध में है।

दूसरा, अनुच्छेद 279 (क) खंड 4 (छ) माल और सेवा परिषद को कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधानों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करने का प्रावधान करता है। इस उप-खंड (छ) में मेरा संशोधन पुडुचेरी को राज्यों और संघों की सूची में शामिल करने के लिए है। सूची में असम और जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी पुडुचेरी के साथ पूर्ववर्ती संघ राज्यक्षेत्र थे। पुडुचेरी की विधान सभा लंबे समय से लगातार राज्य का दर्जा और विशेष दर्जे की मांग कर रही है। इसलिए पुडुचेरी को विशेष प्रावधान वाले राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए।

तीसरा, विधेयक की धारा 18(2) विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश को दो साल या जी.एस.टी. परिषद द्वारा अनुशंसित ऐसी अन्य अवधि के लिए माल की आपूर्ति पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर के हिस्से से बाहर रखती है। पुडुचेरी विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239क के तहत एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का राजस्व परिवर्तन अवधि में, जब वैट प्रणाली से जीएसटी प्रणाली में परिवर्तन हो रहा हो, संरक्षित किया जाना चाहिए। अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की आपूर्ति पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर की आय को विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपा जाना चाहिए। इसलिए, धारा 18(2) में मेरा संशोधन संघ राज्यक्षेत्र के साथ 'बिना विधानमंडल' शब्द को अंतःस्थापित किए जाने से सम्बंधित है।

मैं मंत्री जी से इन संशोधनों को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं और विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):** महोदय, मैं संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के नामकरण के तहत वस्तु और सेवा कर के संबंध में चल रही चर्चा में कुछ और पंक्तियां जोड़ना चाहूंगा।

महोदय, यह सर्वविदित तथ्य है कि जी.एस.टी., यूपीए सरकार की कल्पना और प्रयास का परिणाम है। आज यह विडंबना है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस विधेयक के समर्थन के लिए विपक्षी पार्टियों से विनम्रता से अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि, कुछ दिन पहले, इस सदन में अपने हस्तक्षेप के दौरान, उन्होंने यू.पी.ए सरकार पर कर आतंकवाद का सहारा लेने का आरोप लगाया था। अब, क्या मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछ सकता हूँ कि क्या उन्हें लगता है कि यह कानून कर आतंकवाद का हिस्सा है? यदि ऐसा नहीं है, तो उन्हें कहीं और जाने से पहले विपक्षी दलों से क्षमा याचना करनी चाहिए।

महोदय, मैं जानता हूँ कि मेरे पास समय की कमी है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्पादन वाले राज्यों को मनाने के उद्देश्य से दो वर्षों के लिए एक प्रतिशत अतिरिक्त कर देने की व्यवस्था की गई है, जबकि कई राज्य अभी भी दो प्रतिशत कर की मांग कर रहे हैं। इस कर को लेकर दो समस्याएं हैं। चूंकि राज्यों को उनके नुकसान की भरपाई की जानी ही है, इसलिए यह समझाना कठिन है कि एक प्रतिशत अतिरिक्त कर क्यों लगाया गया।

दूसरा, यह कर केवल दो वर्षों तक ही सीमित नहीं रह सकता क्योंकि विधेयक में कहा गया है कि यह अवधि जीएसटी परिषद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री को ध्यान में रखना होगा।

चूंकि जी.एस.टी. के वास्तविक लाभ - जी.डी.पी का दो प्रतिशत, जिसके बारे में वित्त मंत्री जी ने बात की थी - केवल तब ही मिलेंगे जब कर दरें कम होंगी, इसलिए एक प्रतिशत अतिरिक्त कर केवल समग्र लागत को बढ़ाएगा।

जिस तरह से विधेयक की धारा 18 का मसौदा तैयार किया गया है, उसे देखते हुए, हम पाते हैं कि एक प्रतिशत कर माल की सभी आपूर्ति पर लागू होना है, न कि बिक्री पर। दूसरे शब्दों में, यदि किसी कंपनी के भीतर राज्यों की सीमाओं के पार शाखा या स्टॉक का स्थानांतरण होता है, तो इस पर कर लागू होगा। कंपनियों

के भीतर बड़ी संख्या में अंतर-राज्य हस्तांतरण को देखते हुए, इससे कर का स्तर पाँच प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

उतनी ही बड़ी समस्या रियल एस्टेट को लेकर भी है। चूँकि इसे जी.एस.टी. से बाहर रखा गया है, इसका मतलब है कि निर्माण क्षेत्र में उपयोग होने वाली सीमेंट और स्टील जैसी वस्तुओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। देश में कुल पूंजी निवेश का लगभग 35-40 प्रतिशत हिस्सा निर्माण पूंजीगत व्यय में है, इसलिए यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे बाहर रखा जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो, जैसे पेट्रोलियम क्षेत्र में इनपुट टैक्स को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, वैसे ही यह भी अर्थव्यवस्था के लिए एक अप्रत्याशित कर या पूर्ण हानि होगी। जब तक पूरी अर्थव्यवस्था जी.एस.टी. के दायरे में नहीं आ जाती, और इसमें कई साल लगेंगे, जिस 2 प्रतिशत लाभ की बात की जा रही है, वह पूरा नहीं होने वाला है - और 1 प्रतिशत प्रकार के कर केवल देरी को बढ़ाएंगे। इसलिए, हमारी पार्टी के नेता श्री मोइली जी ने इस सरकार को सुझाव दिया है कि भारत में जी.एस.टी. लागू करने का उचित श्रेय लेने के लिए जल्दबाजी न करें। संसद के एक वरिष्ठ सदस्य श्री मोइली जी ने हमारे माननीय वित्त मंत्री को सुझाव दिया है कि चूँकि इस विधायी दस्तावेज़ में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, इसलिए यह बेहतर होगा कि इसे गहन समीक्षा के लिए स्थायी समिति को भेजा जाए, क्योंकि यदि इसे स्थायी समिति को भेजा जाता, तो कोई विपत्ति नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सरकार विधायी दस्तावेज़ को जांच के लिए स्थायी समिति को क्यों नहीं भेजना चाहती। वास्तव में, यह देखकर मैं बहुत हैरान हूँ।

महोदय, कृपया मेरी बात सुनें, मैं केवल दो मिनट और लूंगा। यह बीजेपी सरकार अब जीएसटी के पक्ष में चर्चा कर रही है, लेकिन पहले उनकी इसके बारे में क्या राय थी? वर्ष 2006-07 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने घोषणा की थी कि जी.एस.टी. को वर्ष 2010 से लागू किया जाएगा। उस वक्त किसने आपत्ति जताई थी? उस समय, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस बहाने से जी.एस.टी. की शुरुआत का जोरदार विरोध किया था कि देश में इस तरह की कर व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक नेटवर्क नहीं है। इसलिए, मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि अपर्याप्त कंप्यूटर

नेटवर्क कार्यान्वयन में बाधा बनेगा। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि व्यापक कंप्यूटर नेटवर्क के लिए अभी भी कोई प्रावधान नहीं है!

मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री श्री राघवजी ने कहा कि यू.पी.ए. विधेयक में प्रस्तावित अनुमानित दर से राज्यों को पर्याप्त, स्थायी नुकसान होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले कहा था कि यह विधेयक राज्यों के बीच राजकोषीय असंतुलन पैदा करेगा और विभिन्न स्तरों पर कराधान के नियंत्रण को केंद्र सरकार के हाथों में सौंप देगा। लेकिन आज जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो परिदृश्य ही बदल गया है!

मैं राज्य सरकारों की चिंता को साझा करना चाहूंगा क्योंकि इस चर्चा में इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, उनका तर्क यह है। तेलंगाना के वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर पर आगे बढ़ने से पहले उसे केंद्रीय बिक्री कर को खत्म करने के लिए राज्यों को मुआवजा देना होगा।

ओडिशा की बात करें तो, ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से माँग की है कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को देश में लागू करने से पहले केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के नुकसान की शेष धनराशि 3,255 करोड़ रुपये जारी की जाए।

जहां तक हरियाणा और पंजाब का सवाल है, हरियाणा और पंजाब खरीद कर को जी.एस.टी. में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, उनका तर्क है कि इससे राजस्व घाटा होगा। जहां तक महाराष्ट्र और गुजरात का सवाल है, वे संविधान (संशोधन) विधेयक में निर्धारित दो साल से अधिक उत्पादन पर अतिरिक्त कर लगाने के पक्ष में हैं। इन राज्यों ने यह भी माँग की है कि इस कर को दो प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। जहां तक मिजोरम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का सवाल है, उन्होंने माँग की है कि उन्हें केंद्र सरकार के समान तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर उच्च कर लगाने की अनुमति दी जाए और संशोधन विधेयक में यही कहा गया है।

जहाँ तक आपके राज्य तमिलनाडु का प्रश्न है, मैं स्वयं आपके राज्य के पक्ष में अनुरोध कर रहा हूँ। तमिलनाडु का यह स्पष्ट मत था कि केंद्र सरकार को संविधान (संशोधन) विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले जीएसटी के विभिन्न पहलुओं, जैसे कर संरचना आदि पर व्यापक सहमति बनानी चाहिए।

केंद्र और राज्य दोनों में बी.जे.पी. सरकार ने यू.पी.ए. सरकार द्वारा घोषित जी.एस.टी. का पुरजोर विरोध किया था और अब इसे इस सदन में पारित किया जाना है। [हिन्दी] मैं कहना चाहता हूँ, कभी हां, कभी ना की सरकार का नाम एनडीए सरकार है।

**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली द्वारा लाए गए 122वें संविधान संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं जेटली जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वह 1947 के पश्चात एक क्रांतिकारी बिल लेकर आए हैं, जिसने 16 से भी अधिक भिन्न करों को एक माला में पिरो दिया और हिंदुस्तान के लिए एक गुलदस्ता तैयार किया। जब इसका फल हिंदुस्तान के आम आदमी को मिलना शुरू होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक परसेंट से लेकर दो परसेंट तक गति मिलेगी। भारत काले धन की समस्या से वर्षों से जूझ रहा है। पिछले दस वर्षों में भ्रष्टाचार के कारण देश की अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालाइसिस ने डस लिया था, इस बिल के पास होने से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

माल और सेवाओं को लेकर जिस प्रकार का कानून आया है, इससे अनेक अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर समान राष्ट्रीय बाजार आम जनता को उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि पिछले दस वर्षों से इस बिल पर काफी मंथन हो रहा था, पहले भी बिल आया था लेकिन किन्हीं कारणों से पास नहीं हो सका। हमारी सरकार ने दृढ़ निश्चय किया कि हर हालत में देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए इस बिल को सदन के सभी सदस्यों के साथ मिलकर पास कराना है। इस तरह की व्यवस्था दुनिया के 150 देशों में पहले से ही चल रही है। उस व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए देश के राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति आस्ट्रेलिया गई, ब्राजील गई और दूसरे देशों का भी दौरा किया और दुनिया के देशों में जो सर्वोत्तम पद्धतियां इस विषय पर चल रही हैं, उन सब पद्धतियों का अध्ययन करने के पश्चात ही आज यह बिल आया है। इस बिल से चाहे वह व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सर्विस सैक्टर हो, देश की अर्थ-व्यवस्था को और उपभोक्ता को जी.एस.टी.. व्यवस्था के लागू होने से फायदा होगा। इसके पास होने से हिन्दुस्तान की कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जी.एस.टी.. के लागू होने से भारत की अर्थ-व्यवस्था को मोदी सरकार फिर से पंख लगाने में कामयाब होगी और हम जिस भारत को सोने की चिड़ियां पहले कहा करते थे, आज उसी दिशा में ये कदम उठ रहे हैं जिनका देश की 125 करोड़ जनता को लाभ मिलने वाला है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार ने भी पहले माना था कि ये जो विभिन्न प्रकार की टैक्स प्रणालियां हैं, कई जगह पर जो टैक्स का तय करना पड़ता है, उसके कलैक्शन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं और दिल्ली का आकलन तो यह था कि केवल एक तिहाई टैक्स ही एकत्रित हो पाता है तथा पूरा टैक्स एकत्रित न होने से काले धन की व्यवस्था बनने लगती है। इसका समर्थन करने के लिए फिक्की ने भी इसको समर्थन दिया और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कंसलटेंसी की सलोनी राय जी ने भी इस पर अपना मत दिया कि इसके पास होने से देश की अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन आएंगे। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आज मैं जेटली जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में देश की 125 करोड़ जनता को इस बिल के माध्यम से फायदा पहुंचाने के लिए एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्यों, इस विधेयक पर वक्ताओं की सूची अब समाप्त हो चुकी है। मंत्री महोदय कल प्रश्नकाल के पश्चात उत्तर देंगे।

---

**सायं 6.23 बजे****सदस्यों द्वारा निवेदन...जारी**

(दो) भारत के पूर्वी क्षेत्र में 61 दिनों तक मछली पकड़ने पर पूर्ण और एक समान प्रतिबंध लगाने संबंधी केंद्रीय सरकार के कथित निर्णय के बारे में

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब हम शून्यकाल पर चर्चा करेंगे, प्रो. के.वी.थॉमस।

**प्रो. के.वी. थॉमस (एरनाकुलम):** महोदय, 10 अप्रैल, 2015 को कृषि मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वी तट और लक्षद्वीप सहित पश्चिमी तट पर क्षेत्रीय जल से परे भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड) में सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा मछली पकड़ने पर एक समान प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध भारत के इतिहास में पहली बार लगा है। पश्चिमी तट पर यह अवधि 1 जून से 31 जुलाई तक, यानी 61 दिन है, और पूर्वी तट पर यह 15 अप्रैल से 14 जून तक, यानी 61 दिन है।

प्रादेशिक जल, जो समुद्र तट से 12 समुद्री मील दूर है, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्षेत्रीय जल से संबंधित निर्णय लेना राज्य सरकारों का विशेषाधिकार है। क्षेत्रीय जल की सीमा के पश्चात भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आरंभ होता है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों ने सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है, जो केवल विदेशी ट्रॉलरों के हित में है। यह निर्णय उन भारतीय मछुआरों और किसानों के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, जो प्रतिदिन समुद्र में मछली पकड़कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ऐसी स्थिति में देश में व्यापक स्तर पर भुखमरी फैलने की आशंका है।

आमतौर पर जब इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो राज्य सरकारों से भी सलाह ली जाती है। अब मछुआरों को अपना पासपोर्ट साथ रखना होगा। क्या आपने कभी मछुआरों को अपने पासपोर्ट अपने साथ ले

जाते हुए सुना है? उन्हें राज्य सरकार से प्रमाण पत्र मिल गया है। उन्हें अपना पासपोर्ट क्यों रखना चाहिए? यह सरकार मछुआरों की समस्याओं का अध्ययन किए बिना तथा तटीय राज्यों से परामर्श किए बिना निर्णय ले रही है। ऐसे निर्णय मछुआरों के हितों के प्रतिकूल हैं और उनके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस आदेश को तत्काल वापस ले तथा राज्य सरकारों से परामर्श कर निर्णय ले। इस विषय पर मेरे सहयोगी श्री के.सी. वेणुगोपाल जी तथा अन्य सदस्य मेरे साथ हैं।

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री एम.के. राघवन, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री अभिजीत मुखर्जी और श्री पी. करुणाकरण को प्रो. के.वी. थॉमस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा):** महोदय, मैंने आज सुबह ही स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक तटीय निर्वाचन क्षेत्र है। मुझे इस विषय पर कुछ कहना है।

किसानों के बाद केंद्र सरकार मछुआरों के पीछे पड़ी है। हमारे मछुआरों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा है। मीनाकुमारी आयोग का प्रतिवेदन उनमें से एक है। आपकी सरकार भी मीनाकुमारी आयोग के इस प्रतिवेदन का विरोध कर रही है। मछुआरे भी संकट में हैं।

अब, मैं ट्रॉलिंग प्रतिबंध पर आ रहा हूँ। मछुआरा समुदाय ने मीनाकुमारी आयोग की सिफारिशों के खिलाफ उग्र विरोध शुरू कर दिया है। देश में मछुआरे लोग गुजरात से कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र में मछली पकड़ने पर पूर्ण और समान प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ एक और युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मुझे लगता है, वे इस मुद्दे पर कुछ और कह सकते हैं।

भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ. राजा शेखर वुंडरू द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना के अनुसार, मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित पूर्वी तट के प्रादेशिक जल से परे और लक्षद्वीप द्वीप सहित पश्चिमी तट में सभी मछली पकड़ने वाले जहाजों पर एक समान प्रतिबंध लगाया जाएगा।

10 अप्रैल को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध के पीछे समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी थीं, जो पश्चिमी तट पर 1 जून से 31 जुलाई तक और पूर्वी तट पर 15 अप्रैल से 14 जून तक लगाया जाएगा। यह प्रतिबंध 12 से 200 समुद्री मील के भीतर मछली पकड़ने की गतिविधियों पर लागू है। इस अधिसूचना में भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रतिबंध को लागू करने के लिए तटरक्षक बल को भी निर्देशित किया गया है।

केंद्र सरकार के नवीनतम आदेश के अनुसार, ट्रॉलिंग प्रतिबंध 15 दिन पहले शुरू होता है और केरल ऐसा राज्य होगा जो इसके कारण सबसे अधिक प्रभावित होगा। केंद्र सरकार सभी राज्यों में ट्रॉलिंग प्रतिबंध को एकीकृत तरीके से लागू करना चाहती है। हालांकि, केरल में मानसून सबसे पहले आता है और इसके खत्म होने तक मछलियां केरल के तटों को छोड़ चुकी होती हैं। यदि समान ट्रॉलिंग प्रतिबंध लागू किया जाता है, तो केरल एकमात्र राज्य होगा जिसे नुकसान होगा।

यह कदम निःसंदेह देश के पारंपरिक मछुआरों के जीवन के लिए गंभीर खतरा साबित होगा। जब मीनाकुमारी आयोग की रिपोर्ट में इसी प्रकार के सुझाव आए थे, तब हमने इस सदन में लाखों पारंपरिक मछुआरों की चिंताओं को उठाया था। वर्तमान अधिसूचना हमारे पारंपरिक मछुआरों के लिए एक गंभीर चुनौती है।

इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सब्सिडी के रूप में दी जाने वाली केरोसिन की मात्रा में कटौती करने जा रही है।

**माननीय उपाध्यक्ष:** आप केवल एक ही विषय उठा सकते हैं। आप मछुआरों का मुद्दा पहले ही उठा चुके हैं।

**श्री के.सी. वेणुगोपाल:** महोदय, मुझे कुछ मिनट का समय चाहिए। कई राज्यों सहित केरल को भी सरकार की ओर से इस सब्सिडी कटौती के संबंध में परिपत्र प्राप्त हुआ है। अब केरल सरकार को तीन माह में केवल 10,016 किलोलीटर पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पी.डी.एस. दुकानों के माध्यम से खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए केरोसिन प्रदान किया जाता है, लेकिन केरल जैसे राज्यों में मछली पकड़ने वाले समुदाय की आवश्यकता के कारण, केरोसिन का एक बड़ा हिस्सा मछली पकड़ने वाले समुदायों को वितरित किया जाता है। केरल सरकार तीन महीने में एक बार आम मछली पकड़ने वाले लोगों को 2,329 किलो लीटर केरोसिन उपलब्ध करा

रही है, जो अपनी छोटी नावों में केरोसिन से बने इंजन का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए मछली पकड़ने वाले समुदायों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने में अनिच्छुक है। गरीब मछुआरा समुदाय का भविष्य क्या होगा? हम सरकार से प्रतिक्रिया चाहते हैं। यह सरकार मछुआरों को निशाना बना रही है। वे बहुत गरीब हैं। हम मछुआरों को लेकर बहुत चिंतित हैं।

**माननीय उपाध्यक्ष:** डॉ. ए. संपत को श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):** महोदय, मैं श्री के.सी.वेणुगोपाल द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूँ।

**श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा):** महोदय, जब सभी तटीय क्षेत्र के सांसदों द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जाता है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सरकार को इस मुद्दे पर कुछ बयान देने का निर्देश दें। ... (व्यवधान) आपको तकलीफ नहीं है लेकिन जो लोग कोस्टल एरिया में है, उन्हें तकलीफ है।

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** महोदय, मैंने भी आज सुबह स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। महोदय, जहां तक मछुआरों का सवाल है तो यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। 10 अप्रैल 2015 को भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ने न केवल पूर्वी तट बल्कि पश्चिमी तट पर भी पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। जहां तक मछुआरों का सवाल है तो यह बेहद खतरनाक है।

महोदय, अध्यक्षपीठ ने मीनाकुमारी आयोग की रिपोर्ट के साथ-साथ सईदा राव आयोग की रिपोर्ट के संबंध में संसद सदस्यों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। मंत्री जी ने बैठक बुलाई है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कोई भी ट्रॉलिंग प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और कोई आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की जाएंगी। लेकिन दुर्भाग्य से, यह आदेश आया है। इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। हम इस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेना होगा। ... (व्यवधान)

**डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मछली के प्रजनन को सुविधाजनक बनाने और समुद्री पारिस्थितिकी में मछली स्टॉक को संरक्षित करने के लिए, हर साल तमिलनाडु सरकार मशीनीकृत नावों

द्वारा मछली पकड़ने पर 45 दिन का वार्षिक प्रतिबंध लगाती है। मछुआरों को प्रजनन के मौसम के दौरान मछली पकड़ने वाली नौकाओं के कारण होने वाली गड़बड़ी से बचने के लिए समुद्र में न जाने का निर्देश दिया गया है। 15 अप्रैल से 29 मई तक प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। मछुआरों को आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए, 16,433 मछुआरों के परिवार और 17,193 लाभार्थियों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये और 4,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। जिन मछुआरों को राहत धनराशि की आवश्यकता है उनसे योजनाबद्ध तरीके से सहायता हेतु आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। यह नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए सीधे मछुआरों के बैंक खाते में जमा किया जाता है। 25 सहकारी समितियों में नामांकित 30,265 सदस्यों को ये लाभ मिल रहा है। चूंकि प्रतिबंध अवधि के दौरान आय का कोई स्रोत नहीं है और रहने की लागत को ध्यान में रखते हुए, केंद्र 61 दिनों के लिए मुआवजे की राशि को समान रूप से 5,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने के लिए आगे आ सकता है। केंद्र विशेष सहायता पैकेज के माध्यम से धन आबंटित कर सकता है क्योंकि इन मछुआरों की आजीविका श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भी समय-समय पर प्रभावित होती है। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि सभी मछुआरों के परिवारों और स्कूल जाने वाले बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए इस पैसे का भुगतान मई महीने के भीतर किया जाए।

**माननीय उपाध्यक्ष :** मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रिकर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक ही बात रखना चाहता हूं। यह मामला पहले ही सभी राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जा चुका है। जिस प्रतिबंध की वह चर्चा कर रहे हैं, वह 12 समुद्री मील की सीमा से परे विशेष आर्थिक क्षेत्र में लागू है। ... (व्यवधान)

**प्रो. के.वी. थॉमस:** यह क्षेत्रीय जल से परे है? ... (व्यवधान)

**श्री मनोहर पर्रिकर:** हाँ, क्षेत्रीय जल सीमा से परे... (व्यवधान) क्षेत्रीय जल के भीतर, यह राज्य सरकार को निर्णय लेना है। ... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** हम अभी चर्चा नहीं कर सकते। ... (व्यवधान)

**श्री मनोहर परिकर:** मैंने कृषि मंत्री जी से अनुरोध किया है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे सांसदों को बुलाएं...

(व्यवधान)

**श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** महोदय, कृपया आदेशों का अवलोकन करें। ... (व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** उन्होंने पहले ही कहा था कि वे कृषि मंत्री से परामर्श करेंगे।

(दो) स्वर्गीय मल्ली मस्तान बाबू, पर्वतारोही को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में

**माननीय उपाध्यक्ष:** अब, श्री एम. राजा मोहन रेड्डी।

**श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर):** महोदय, मैं इस सदन के समक्ष एक अत्यंत दुखद और आकस्मिक घटना प्रस्तुत करना चाहता हूं। युवा पर्वतारोही मल्लि मस्तान बाबू का निधन 24 मार्च, 2015 को चिली और अर्जेंटीना के बीच स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला में हो गया।

वे एक गरीब आदिवासी परिवार से थे। वे नेल्लोर के 'गांधी जनसंघ' नामक एक छोटे से गांव से आए थे, जो मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। उनकी प्राथमिक शिक्षा सैनिक स्कूल, कोरुकोंडा, विजयनगरम जिला, आंध्र प्रदेश में हुई। उन्होंने एन.आई.टी., जमशेदपुर से बी.टेक, आई.आई.टी., खड़गपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन, आई.आई.एम., कोलकाता से मैनेजमेंट प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया और फिर पर्वतारोहण में लग गए। उन्होंने 172 दिनों के भीतर, सप्ताह के सभी दिनों में, सात महाद्वीपों के सात पर्वतों पर आरोहण किया। दरअसल, उन्होंने 19 जनवरी, 2006, गुरुवार को 1) विंसन मैसिफ़, अंटार्कटिका पर चढ़ाई की; 2) 17 फरवरी 2006, शुक्रवार को एकाॅनकागुआ, अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका; 3) किलिमंजारो, तंजानिया, अफ्रीका, 15 मार्च 2006,

बुधवार; 4) कोसियुज्को, ऑस्ट्रेलिया, 1 अप्रैल 2006, शनिवार; 5) माउंट एवरेस्ट, एशिया, 21 मई, 2006, रविवार; 6) एल्ब्रस, रूस, 13 जून, 2006, मंगलवार; और 7) डेनाली, उत्तरी अमेरिका, 10 जुलाई 2006, सोमवार को पर्वतों पर आरोहण किया।

महोदय, उन्होंने कभी भी किसी सरकारी एजेंसी से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली। वे जहां भी जाते थे, अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज, भगवद गीता और रुद्राक्ष माला ले जाते थे। वे प्रतिष्ठित संस्थानों में पर्वतारोहण पर व्याख्यान देते थे और अपनी आजीविका चलाते थे।

महोदय, मैं भारत सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने शीघ्र कार्रवाई करते हुए उनके शव को देश वापस लाया और 25 अप्रैल, 2015 को उनका अंतिम संस्कार किया। वे अविवाहित थे और उनकी आयु 40 वर्ष थी। उनकी वृद्ध मां एवं अन्य परिवार के सदस्य एक छोटे से गाँव में रहते हैं। मैं केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मस्तान बाबू के परिवार की आर्थिक सहायता की जाए और इस साहसी आदिवासी बालक को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने पर विचार किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सम्पूर्ण सदन मेरे साथ मिलकर उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री भैरों प्रसाद मिश्रा और श्री निशिकान्त दुबे को श्री मकापति राजा मोहन रेड्डी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैय्या नायडू):** महोदय, स्वर्गीय श्री मस्तान बाबू वास्तव में हमारे देश का गौरव थे। वे मेरे क्षेत्र के भी निवासी थे।

जैसा कि श्री राजा मोहन रेड्डी ने उल्लेख किया, वे अविवाहित थे। आईआईटी से होने के बावजूद उन्होंने पर्वतारोहण के प्रति अपनी प्रगाढ़ अभिरुचि और समर्पण को समर्पित किया। उन्होंने सात प्रमुख देशों में पर्वतारोहण किया, और आठवें देश में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद से भारत सरकार ने इस मामले को नियमित और सतत रूप से मॉनिटर किया। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से इस विषय में गहरी रुचि ली।

मैं अपनी सहयोगी श्रीमती सुषमा स्वराज जी का आभारी हूँ, जिन्होंने अर्जेंटीना और चिली दोनों दूतावास को सतर्क कर दिया था और पेशेवर पर्वतारोहियों को उस स्थान तक पहुंचने और शव को वापस लाने के प्रयास के लिए आवश्यक धनराशि भी स्वीकृत की थी। मस्तान बाबू की माता ने मुझसे यह विनती की थी कि वे अपने पुत्र का शव कम से कम एक बार देखना चाहती हैं। हम यह व्यवस्था कर सके, लेकिन उन्हें जीवित वापस लाना संभव नहीं हो सका क्योंकि वहां मौसम की स्थिति अत्यंत खराब थी और वहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। इसके बावजूद, साहसी पर्वतारोही वहां पहुंचे और अंततः केवल उनका शव ही वापस ला सके। उनके अंतिम संस्कार की विधियाँ पूरी की गईं।

श्री राजा मोहन रेड्डी जी ने मुझसे पूर्व भी इस विषय पर चर्चा की है। केंद्र सरकार की ओर से क्या किया जा सकता है, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहाँ तक वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने का प्रश्न है, मैं अवश्य अपने संबंधित सहयोगियों से इस पर विचार-विमर्श करूंगा और इस महान व्यक्ति की स्मृति में उचित कदम उठाने का प्रयास करूंगा। जो भी सहायता संभव हो, उसका संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं अपनी गहरी भावनाएँ व्यक्त करता हूँ और पूरी सभा से अनुरोध करता हूँ कि वे इस भारत की महान आत्मा को श्रद्धापूर्वक नमन करें।

[हिन्दी]

**कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।

महोदय, पूरा देश और पूरा सदन जानता है कि बुन्देलखण्ड का किसान आज सबसे खराब परिस्थिति से गुजर रहा है। बुन्देलखण्ड के किसानों की स्थिति सबको पता है। बुन्देलखण्ड भारत का मध्य क्षेत्र है, वहां पर उद्योगों की स्थिति बिल्कुल नगण्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत पहले बुंदेलखंड में उद्योग लगाने के लिए बीडीआर लागू किया था। उसके तहत बुंदेलखंड डवलपमेंट रीबेट के तहत 50 प्रतिशत बिजली का बिल लिया जाता था और सेल्स टैक्स में छूट थी। लेकिन कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वह रीबेट बंद कर दी। स्थिति यह है कि बिना छोटी इकाइयों के देश और राज्य का विकास असम्भव है। बुंदेलखंड का प्रत्येक ग्राम

भूख और आत्महत्या की करुण कहानियों से भरा हुआ है। नौकरियों की प्राप्ति के लिए वहां का नौजवान भटक रहा है और पलायन का प्रतिशत यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां 12 से 15 प्रतिशत है, वहीं बुंदेलखंड में मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महुवा, दिनवारी में आज की परिस्थिति में 50 प्रतिशत लोग पलायन कर रहे हैं, जिससे गांव के गांव खाली हो गए हैं। मेरा इस अवसर पर आपके माध्यम से भारत सरकार से, माननीय प्रधान मंत्री जी से जो कि दुर्बल लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, निवेदन है कि बुंदेलखंड में उद्योग लगाने के लिए इकाइयां स्थापित की जाएं। बुंदेलखंड में केन, बेतवा और यमुना का जो क्षेत्र है, वहां पर बहुत सस्ती जमीन उपलब्ध है इसलिए वहां पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। अतः भारत सरकार से निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) :** उपाध्यक्ष जी, मैं शून्य काल में एक आति लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूँ। बिहार पिछड़े राज्यों में एक है। जब से एनडीए सरकार बनी है, तब से इंदिरा आवास योजना में कटौती की जा रही है। पिछली बार इंदिरा आवास योजना में लगभग 777 करोड़ रुपए की कटौती की गई और इस बार भी की गई है। जबकि 2011-2014 में 5,59,000 लोगों को बिहार में इंदिरा आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराए गए थे। लेकिन पिछली बार सिर्फ 1,29,000 लोगों को बिहार में इस योजना के तहत आवास मुहैया कराए गए हैं। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हर गरीब को छत दूंगा इसलिए मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों की जो बिहार में कटौती की जा रही है, वह न की जाए और जिस तरह पहले इस योजना के तहत मकान दिए जा रहे थे, वैसे ही दिए जाएं।

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इस समय जब देश में किसानों के समक्ष तमाम कठिनाइयां हैं, चाहे वह बेमौसम बारिश हो या ओलावृष्टि हो या तूफान हो, उससे रबी की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। आज भी देश में 67 प्रतिशत किसान खेती पर ही आश्रित हैं। एक तरफ तो ऐसी विपदा आई है और दूसरी तरफ किसान कर्ज के बोझ में दबकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। इसके बावजूद देश के किसानों के पास एकमात्र नकदी फसल गन्ना है। गन्ने की फसल से, उसका भुगतान होने पर वह अपने बेटे की फीस देता है, बेटे के हाथ पीले करता है और बूढ़े माता-पिता का इलाज कराता है। पिछली पिराई सत्र का देश के गन्ना किसानों का चीनी मिल्स पर 19,377 करोड़ रुपया बकाया है। स्वाभाविक है कि इंडियन शूगर कंट्रोल एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 15 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होगा, तो उन्हें दस प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा। इसके बावजूद भी इस बार सवारधिक बकाया है। केवल उत्तर प्रदेश में जहां किसान की जीविका अकेले गन्ने की फसल के मूल्य पर निर्भर है, 9,715 करोड़ 69 लाख रुपया 31 मार्च तक बाकी है। जबकि केन्द्र सरकार ने कुछ सुविधा भी दी है और उसके तहत 4,000 रुपए प्रति टन की दर से 14 लाख टन कच्ची चीनी के निर्यात हेतु प्रोत्साहन और विपणन की स्कीम को इस साल भी लागू किया है। इसके बावजूद भी राज्य सरकारें गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं कर रही हैं, चाहे कोआपरेटिव की चीनी मिल्स हों या फेडरेशन की चीनी मिल्स हों या निजी चीनी मिल्स हों। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निदेशित करे कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता है तो उन चीनी मिल्स के खिलाफ आर.सी. जारी की जाएगी तथा जो उनके पास चीनी का स्टॉक है, वह नीलाम करके प्राथमिकता के आधार पर गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा। यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, कर्नाटक में भी यही हालत है। इसलिए केन्द्र सरकार को इस बारे में तुरंत ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री पी.पी. चौधरी, श्री दद्वन मिश्रा, श्री निशिकान्त दुबे और श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) :** महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आथोरिटी भारत सरकार द्वारा बनाई गई है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी इसके चेयरमैन होंगे। आज नेपाल में भूकम्प की वजह से इतनी ज्यादा त्रासदी हुई, उसके बावजूद हमारी टीमों ने वहां जाकर बहुत सराहनीय काम किया है।

महोदय, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के सैक्शन-7 के अनुसार हमें इसके तहत एक एडवाइजरी कमेटी उन एक्सपर्ट्स की बनानी होगी जो इस फील्ड में काम कर चुके हैं। आज तक न तो पूर्व सरकार ने और न ही अब की सरकार ने एडवाइजरी कमेटी बनाई है और 28 अक्तूबर, 2013 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कभी भी एनडीएमए की बैठक नहीं हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी एडवाइजरी कमेटी को कांस्टीट्यूट करें और माननीय प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में बैठक करें।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री पी.पी. चौधरी, गजेन्द्र सिंह शेखावत और राजीव सातव को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. ए. संपत (अडिंगल):** धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। कृपया मुझे मलयालम में बोलने की अनुमति दीजिए। मलयालम संस्कृत की पुत्री और तमिल की छोटी बहन मानी जाती है।

**माननीय उपाध्यक्ष:** आप मलयालम में बोल सकते हैं।

**\*\*डॉ. ए. संपत:** धन्यवाद, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे मलयालम में बोलने की अनुमति दीजिए। मलयालम संस्कृत की पुत्री और तमिल की छोटी बहन मानी जाती है।

महोदय, आजादी के बाद पहला हवाई अड्डा, जिसे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था, वह तिरुवनंतपुरम, हवाई अड्डा था।

यह घटना 1989 में हुई थी, जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और केरल में एलडीएफ सरकार मुख्यमंत्री ई. के. नायनार के नेतृत्व में शासन कर रही थी। उस समय तिरुवनन्तपुरम को पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा संदेह है कि नौकरशाही द्वारा तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को समाप्त करने और अंततः बंद करने की साजिश रची जा रही है।

महोदय, मेरे सहित कई संसद सदस्य और तमिलनाडु के सदस्य तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से हमारी नई दिल्ली उड़ान एयर-इंडिया उड़ान संख्या .466 लेते हैं।

महोदय, पहले यह उड़ान शंकुमुखम समुद्र तट के पास स्थित पुराने टर्मिनल से संचालित होती थी। अब यह नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल से संचालित होता है। महोदय, कई संसद सदस्यों ने आज सुबह ही एयर-इंडिया की उड़ान संख्या 466 में यात्रा की थी। मैं आपको बताता हूँ कि आज सुबह क्या हुआ। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच नौ हवाई कंपनियों की उड़ानें थीं जो नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल से संचालित हुईं। यानी एयर-इंडिया की तीन उड़ानें, फ्लाई दुबई फ्लाइट, एमिरेट्स फ्लाइट, कतर फ्लाइट, एतिहाद फ्लाइट और कुवैत फ्लाइट। कुछ दिन इस टर्मिनल से 12 तक की उड़ानें संचालित होती हैं।

\*□ मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, अब मैं अधिकारियों की लापरवाही के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो भ्रम और असुविधा का कारण बन रहे हैं।

घरेलू तथा विदेशी उड़ानों के यात्रियों के लिए केवल एक ही प्रवेश मार्ग है। चेक-इन क्षेत्र में चाय या कॉफी लेने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्रियों के बैठने के लिए भी अपर्याप्त व्यवस्था है।

सीआरपीएफ के वे कर्मी जो तलाशी और जांच का कार्य करते हैं, उन्हें मलयालम या तमिल भाषा का ज्ञान नहीं है। यहां तक कि घरेलू यात्रियों से भी हिन्दी में उनका पासपोर्ट दिखाने को कहा जाता है।

एक सांसद को दो अलग-अलग जांच वाली जगह पर पर सीआरपीएफ जवान के समक्ष अपना पासपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता है, जबकि इन जवानों को सांसदों के पहचान पत्रों की सही पहचान तक नहीं है। यह स्थिति उचित नहीं है और इससे सांसदों के सम्मान एवं कार्य में बाधा आती है।

इसलिए, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे गलत प्रशासन एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बर्बाद कर सकता है। महोदय, अपने बच्चों को लेकर आने वाली माताओं या गर्भवती महिलाओं को भी बैठने की जगह नहीं मिलती है। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर अधिकांश यात्री अंतरराष्ट्रीय यात्री हैं।

यह तिरुवनंतपुरम से शारजाह जाने वाले टिकट की प्रति है, जो आज सुबह जारी की गई है। इस टिकट में उड़ान का शुल्क 8930.71 रुपये दर्शाया गया है। कृपया इस तथ्य पर ध्यान दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपयोगकर्ता विकास शुल्क 575 रुपये, विकास शुल्क 300 रुपये, और हवाई अड्डा कर 233 रुपये है, यानी कुल 1108 रुपये की धनराशि एक यात्री से वसूली जा रही है, जबकि उसे यहां शौचालय सुविधाएं, बैठने की जगह या चाय-कॉफी का इंतजाम तक नहीं दिया जाता। यहां तक कि घरेलू यात्रियों को भी आप्रवास कतार में खड़ा होना पड़ता है। अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थिति सुधारें।

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री पी.के. बिजू को डॉ. ए. संपत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है

[हिन्दी]

**श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बिहार के पूर्णिया, सीमांचल एवं कोसी क्षेत्र में 21.04.2015 को रात्रि दस बजे भयंकर रूप से आए चक्रवाती तूफान से पूर्णिया जिले में अत्यधिक जान और माल की क्षति हुई है। इन जिलों में लगभग 40 से 50 लोगों की मृत्यु हुई है। पूर्णिया में तूफान के कारण टीन और फूस से बने घर ताश के पत्तों की तरह ढह गये और सबसे ज्यादा डगरवा क्षेत्र में 22 लोगों की जान गई हैं, बगल के जिला मधेपुरा में भी सात लोगों की जान गई हैं और बिहार के अन्य भागों में भी कुछ जानें गई हैं। तत्पश्चात इसकी जानकारी राज्य सरकार को मिली और माननीय मुख्य मंत्री ने 22.04.2015 को हवाई सर्वेक्षण कर हालात की जानकारी ली और राहत तथा बचाव कार्य में तेजी आई। केन्द्र सरकार को इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया और केन्द्र सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने भी वहां का दौरा कर इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि कच्चे और टीन के मकानों का सर्वेक्षण कराकर उनके स्थान पर पक्के मकानों का निर्माण कराया जाए। फसल की क्षति के कारण किसान आत्महत्या करने पर उतारू हैं। इसलिए सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी का कदम जल्द से जल्द उठाया जाए, ताकि किसानों की आत्महत्या पर विराम लग सके। इस सदी के सबसे भयंकर तूफान ने पूर्णिया और कोसी को झकझोर कर रख दिया है।

महोदय, मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती कराना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवारों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय तट रक्षक, आई.सी.जी. ने भारतीय मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने में अपनी विफलता पर एक अवमानना याचिका के संबंध में 27 अप्रैल, 2015 को मद्रास उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आई.सी.जी ने श्रीलंकाई नौसेना के आंकड़ों पर भरोसा करते हुए भारतीय मछुआरों के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय हलफनामा प्रस्तुत किया है।

कई अवसरों पर भारतीय तटरक्षक बल अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने में विफल रहा है, जिसके कारण निर्दोष भारतीय मछुआरों की अवैध गिरफ्तारियां हुईं और श्री श्रीलंकाई नौसेना द्वारा उनके जहाजों एवं उपकरणों को जब्त किया गया। इससे भारतीय मछुआरे श्री श्रीलंकाई जेलों में अनुचित तरीके से कैद हो गए। तटरक्षक बल का कर्तव्य है निर्दोष भारतीय मछुआरों की सुरक्षा करना, न कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए उन पर आरोप लगाना।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भारतीय तटरक्षक बल को अपना हलफनामा वापस लेने का निर्देश दे। पूरे मामले की उच्चतम स्तर पर जांच होनी चाहिए और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जिन्होंने ऐसी गलत जानकारी से अदालत को गुमराह किया है।

सरकार को निर्दोष भारतीय मछुआरों को शत्रुतापूर्ण हमलों से बचाने में असफल न होने के लिए आई.सी.जी को उचित निर्देश भी जारी करने चाहिए। धन्यवाद।

**श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व):** महोदय, कुछ समय पहले देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय और एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की केंद्र सरकार की नीति को प्रशंसनीय पाया गया है। इसने सभी वर्गों के छात्रों के लिए सी.बी.एस.ई पाठ्यक्रमों के तहत और एक महानगरीय वातावरण के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखने का अवसर पैदा किया है। उपरोक्त के अलावा, इस व्यवस्था ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को अपने पाठ्यक्रमों से निराश होने से काफी मदद की है, जबकि उनके माता-पिता अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाते हैं।

मेरे राज्य त्रिपुरा में, अगरतला में आज तक केवल छह केंद्रीय विद्यालय हैं। त्रिपुरा में आठ जिले हैं। इसलिए, तीन जिले हैं - खोवाई, सेपोयजोला और गोमती - जिन्हें अभी तक के.वी. योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है।

नवोदय विद्यालयों के संबंध में, आज तक त्रिपुरा राज्य में केवल तीन विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसलिए, अन्य पांच जिलों को शामिल किया जाना बाकी है।

महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मेरा विनम्र अनुरोध है कि त्रिपुरा के शामिल नहीं किए गए जिलों में प्राथमिकता के आधार पर तीन और के.वी. और पांच और नवोदय विद्यालय स्थापित करने पर विचार किया जाए ताकि त्रिपुरा के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को सस्ती कीमत पर उनके दरवाजे पर राष्ट्रीय मानक की सुविधाएं मिल सकें। यह त्रिपुरा जैसे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

**श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) :** उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत विद्यालय, मड़िया, जनपद लखीमपुर खीरी में कुल विद्यालयों की संख्या सात है, जिनमें तीन जर्जर विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में तीन शिक्षक हैं, उनमें से दो शिक्षक 30 जून, 2015 को रिटायर हो रहे हैं। फिर तीन विद्यालयों पर एक ही शिक्षक रह जाएगा। इन विद्यालयों को बिल्डिंग क्षतिपूर्ति के नाम पर कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं। जैसे सीतापुर में बीस विद्यालयों में चार टीचर हैं, हरदोई में 14 विद्यालयों में तीन टीचर हैं, शाहजहाँपुर में 19 विद्यालयों में पांच टीचर हैं। यह स्थिति पूरे प्रदेश के विद्यालयों की है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, बिल्डिंगों का जीर्णोद्धार कराया जाए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन विद्यालयों की जर्जर हालत में सुधार नहीं किया गया तो ये विद्यालय बंद हो जाएंगे।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री अनूप मिश्रा--उपस्थित नहीं।

श्री बलभद्र माझी।

[हिन्दी]

**श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर):** उपाध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता के 67 साल बाद भी आज यह हालत है कि विशेषकर जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं, एसटी लोग हैं, वे लोग क्वालीफाईड नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी पोस्टों में उनका जो रिज़र्वेशन रखा गया है, वह खाली पड़ी रहती हैं, उन पर भर्ती नहीं हो पाती है। उसका विशेष कारण यह है कि जितने भी ट्राइबल सबप्लान एरियाज़ हैं, वहां पर एडुकेट स्कूल-कॉलेजों का प्रावधान नहीं है। इसकी वजह से सन् 2011 का जो सेंसस है, उसमें पाया गया है कि सबसे जो लीस्ट लिट्टेट दस डिस्ट्रिक्ट हैं, वे सभी टीएसपी एरिया के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि ये सब जो एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनमें एक-एक मॉडल स्कूल हर ब्लॉक में बनाया जाएगा और हर जिले में एक मॉडल डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। कई ब्लॉक्स ऐसे हैं, जहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जितने टीएसपी एरियाज़ हैं, वहां पर सरकार एक-एक डिग्री कॉलेज हर ब्लॉक में बनाए और हर ब्लॉक में जो मॉडल स्कूल है, उनकी संख्या बढ़ा कर कम से कम दो-तीन की जाए। इसके अलावा इस एरिया में पढ़ाने के लिए, उसी एरिया का जो पॉप्युलेशन प्रपोर्शन है, उसी प्रपोर्शन में भर्ती की जाए न कि ऑल इंडिया एवरेज का साढ़े सात प्रतिशत और 15 प्रतिशत के हिसाब से किया जाए।

[अनुवाद]

**श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड):** धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

सरकार ने अठारह देशों के लिए उत्प्रवास मंजूरी को अनिवार्य बनाने के आदेश जारी किए हैं, और उनमें से अधिकांश खाड़ी देशों में हैं। यह 30 अप्रैल से ही लागू हो गया है। बड़ी संख्या में नर्सों अपने पासपोर्ट और वीजा के साथ हवाई अड्डे पर पहुंची थीं, लेकिन उन्हें इस नए फैसले के कारण विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा किए गए नए बदलावों के बारे में जानकारी नहीं थी।

नया फैसला भर्ती में दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की खबरों के बाद आया है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन साथ ही नई भर्ती के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। इसके अलावा, अनिवार्य उत्प्रवास मंजूरी का निर्णय 30 अप्रैल से ही पूरी तरह से लागू हो गया है, जिससे दूसरे देशों में नौकरी तलाशने वाली नर्सों, चिकित्सा कर्मचारियों आदि के लिए बहुत कठिनाई पैदा होती है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि निर्णय को लागू किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले अन्य सभी व्यवस्थाएं करनी होंगी। नहीं तो विदेश जाने वाले लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी।

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री पी.के. बिजू को श्री पी. करुणाकरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम):** महोदय, देश में ऑन-लाईन द्वारा अवैध दवाइयों की बिक्री की जा रही है। यह जीवन के लिए अत्यंत खतरनाक है। हाल ही में फूड एण्ड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने स्नैपडील वेबसाइट पर रोक लगाई थी। यह होने के बावजूद भी अन्य जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि शॉपक्लूस डॉट कॉम आदि, वे बिना प्रिस्क्रिप्शन से मैडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी किट बेच रही हैं। गायनाकॉलोजिस्ट प्रिस्क्रिप्शंस के बाद ये दवाइयां दे सकते हैं। इस दवा से 12 हफ्ते तक की प्रेग्नेंसी का एबॉर्शन किया जा सकता है। महोदय, बिना डॉक्टरी सलाह और बिना प्रिस्क्रिप्शंस के ऑन लाइन बिक्री पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है। ऐसी दवाएं कन्या भ्रूण हत्या के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में ऐसी दवाओं की बिक्री पर कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कायदों की जिम्मेदारी बताई है। एक ओर देश में कन्या भ्रूण हत्या पर सख्त कानून बनाया जाता है और दूसरी ओर जानलेवा कन्या भ्रूण हत्या की उपयोगी दवाओं की ऑन लाइन बिक्री की जाती है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी वेबसाइटों पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा स्वास्थ्य एवं जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों पर आतिशीघ्र कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री पी.पी. चौधरी को श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

## सायं 7.00 बजे

**\*\*श्री के. परसुरामन (तंजावुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कमा मैं इस अवसर के लिए माननीय पुरात्वी थलाइवी अम्मा जी को धन्यवाद देता हूं। कलाएं हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान हैं। हमारी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए संगीत, नृत्य, वास्तुकला और मूर्तिकला जैसी ललित कलाओं की तरह ही लोक कलाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। लोक कलाएं देश की बहुसंख्यक जनता के जीवन से जुड़ी हुई हैं। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोग ऐसी लोक कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये लोक कलाकार लोगों का मनोरंजन तो करते हैं लेकिन इनका जीवन बदहाल है। इनके जीवन स्तर में सुधार होने पर ही ये लोक कलाएं समय की कसौटी पर खरी उतर सकेंगी। गरीबी से जूझ रहे लोक कलाकार अपनी आजीविका कमाने के लिए वैकल्पिक नौकरी खोजने के लिए मजबूर हैं। इस बात का भय है कि उनकी दयनीय जीवन स्थिति लोक कला के रूपों को प्रभावित करेगी जिससे उनका लोप हो जाएगा। मेरा आग्रह है कि लोक कलाकारों और लोक कलाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। मैं देश के लोक कलाकारों के उत्थान के उद्देश्य से एक केंद्रीय कल्याण बोर्ड की स्थापना का आग्रह करता हूं। तमिलनाडु में लोक कलाकारों के लिए एक कल्याण बोर्ड है। माननीय मक्कल मुथलवर पुरात्वी थलाइवी अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में, तमिलनाडु में लोक कलाकारों के लिए राज्य कल्याण बोर्ड कई कल्याणकारी योजनाएं लागू करता है। वृद्ध कलाकारों को पेंशन, रहने के लिए घर बनाने के लिए जमीन, उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सहायता, संगीत वाद्ययंत्र खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, लोक कलाकारों के लिए राज्य कल्याण बोर्ड के माध्यम से लोक कलाकारों को दिए जाने वाले कुछ लाभ हैं। तमिलनाडु से संकेत लेते हुए, मैं माननीय संस्कृति मंत्री से लोक कलाकारों के लिए एक केंद्रीय कल्याण बोर्ड स्थापित करने का आग्रह करता हूं ताकि वे विभिन्न लोक कला रूपों को भावी पीढ़ियों तक आगे बढ़ाते हुए सम्मान के साथ जी सकें। धन्यवाद।

---

\*□मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

**श्री हुकुम सिंह (कैराना) :** महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज देश में हालत यह है कि जितने लोग शाकाहारी हैं, उनके लिए केवल दूध, मक्खन और घी ही प्रोटीन के स्रोत बचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार दुधारू पशुओं का वध लगातार हो रहा है, उससे दूध की कमी होती जा रही है। आज चिंता इस बात की है कि आदमी स्वस्थ कैसे रहेगा, आने वाली हमारी पीढ़ी स्वस्थ कैसे रहेगी, बच्चों की हालत क्या होगी? यहीं से शुरू हो जाएं, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर सब जगह वधशालायें बनती जा रही हैं और लगातार दुधारू पशुओं का कटान जारी है, इस पर कोई प्रतिबंध लगाने वाला है या नहीं।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप केवल स्टेट पर निर्भर न रहें। तुरन्त इस बात के ऊपर कार्रवाई करें, वरना आज हमारी आने वाली नस्लें इस तत्व से वंचित रह जाएंगी। चिंता का विषय यह है कि किसान किस प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है। आज अगर किसान दस मिनट के लिए भी अपने पशुओं को बाहर छोड़ देता है तो तुरन्त उसकी चोरी होती है, वह पशु वधशाला में चला जाएगा और वहां पर उसका कटान हो जाएगा। आज चिंता का विषय यह है कि एक-एक लाख रूपए की भैंस जो 15 से 20 लीटर दूध देती है, एक-एक लाख रूपए की गाय, जो 20-25 लीटर दूध देती है, आज उनका भी कटान जारी है। अगर ये सारे दुधारू पशु काटने वालों के शिकार हो जाएंगे तो भारतवर्ष का क्या होगा? भारतवर्ष की तो संस्कृति यही रही है, गाय को हमने माता के रूप में देखा है और उसका भी कटान अगर हम नहीं रोक पाएंगे तो वास्तव में हमें कोई माफ नहीं कर पाएगा।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि केवल यह औपचारिक नहीं है, यह पीड़ा की बात है। हम भी किसान परिवार से आते हैं और जब देखते हैं कि अगर दस मिनट के लिए भी किसान अपनी जगह से अनुपस्थित

हो गया और पशु उसके यहां बंधा हुआ है, तो लौटने के बाद पशु उसको वहां नहीं मिलेगा। ऐसे तत्व पैदा हो गए, जो बराबर लगातार पशुओं को खोलने में, उनकी चोरी करने में, उनको काटने में लगे हुए हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से भी आग्रह है, केन्द्र सरकार से भी मेरा आग्रह है, यह केवल औपचारिकता की बात नहीं है। कानून बनाने मात्र से काम नहीं चलता है, उस कानून का पालन भी होना चाहिए और ऐसे दुष्ट लोग जो हमारे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको जेल में जाना चाहिए, तभी शांति होगी। यह चिंता का विषय हो गया है, देहात पशुओं से खाली हो जाएगा और फिर हम केवल यूरिया का दूध पियेंगे, मिलावट का दूध पियेंगे और हमारे बच्चे लगातार कमजोर होते जाएंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, श्री निशिकान्त दुबे, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, श्री दद्वन मिश्रा, श्री सी.आर. चौधरी और श्री अजय मिश्र टेनी को श्री हुकुम सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र सीकर, राजस्थान की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सीकर ज़िले ने फुटबाल, बास्केटबाल और वॉलीबाल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। एक समय था जब बास्केटबाल के अंदर सीकर जिले के आधे से आधिक खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल टीम में होते थे। लेकिन धीरे-धीरे स्थिति यह पैदा हुई कि वहां पर एस.ए.आई का जो सैंटर था, उसको बंद कर दिया गया। परिणामस्वरूप आज वहां कोच नहीं है। हमारे पास प्रदेश का दूसरे या तीसरे नंबर का स्टेडियम है जिसमें हर प्रकार की सुविधाएँ हैं। परंतु समस्या यह है कि वहां कोई कोच नहीं है। आज भी मेरे क्षेत्र के छह-छह फुट के जवान आपको मिलेंगे। सेना में आप देखें तो हज़ारों की संख्या में हमारे सैनिक हैं और हमारे क्षेत्र के 274 सैनिक शहीद हुए हैं। खेल के मैदान में भी बहुत

सारे युवा हैं। मेरा सैन्ट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है कि हमारे सीकर में फुटबाल के लिए एस.ए.आई का कोच दिया जाए और एक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए जिसमें छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, जिसको नर्सरी विंग बोलते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सीकर में एक नर्सरी विंग का सैन्टर और एक एस.ए.आई का कोच दिया जाए ताकि हम देश को अच्छे खिलाड़ी दे सकें।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री सुमेधानंद सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री दद्वन मिश्रा (श्रावस्ती) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण समस्या को सदन में रखने का अवसर प्रदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, विगत दिनों पूरे देश में और खास तौर से संपूर्ण उत्तर भारत में हुई बेमौसम बरसात, आतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसानों की भारी क्षति हुई है। भारत सरकार और प्रदेश सरकारों द्वारा तरह-तरह के मुआवजे की घोषणाएँ भी की गई हैं, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों की मनमर्जी एवं हठधर्मिता की वजह से क्षति का सही आकलन करने एवं मुआवजे का वितरण करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में खास तौर से हमारे संसदीय क्षेत्र के श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों में जिला प्रशासन द्वारा जो क्षति आकलन की रिपोर्ट दी गई है, वह पूरी तरह से भ्रामक, गुमराह करने वाली और किसानों के जले पर नमक छिड़कने वाली है। बलरामपुर जिला प्रशासन द्वारा क्षति की जो रिपोर्ट दी गई है, उसमें मात्र तीन परसेंट क्षति के आकलन की रिपोर्ट दी गई है और श्रावस्ती में मात्र पाँच से दस परसेंट क्षति के आकलन की रिपोर्ट दी गई है। जबकि सच्चाई यह है कि गेहूँ और मसूर की जो फसल अनुमानित थी, वह घटकर चौथाई रह गई है। गेहूँ की जो फसल 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ होनी थी, वह घटकर चार-पाँच क्विंटल रह गई है। इसी तरह से मसूर की फसल जो 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ अनुमानित थी, वह घटकर दो से तीन क्विंटल

रह गई है। इसी तरह से आलू एवं ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली फसलों में भारी नुकसान हुआ है। भारत सरकार ने किसानों को राहत पहुँचाने के लिए क्षति का मानक 50 परसेंट से घटाकर 33 परसेंट करने का काम किया है और मुआवज़े की राशि बढ़ाकर डेढ़ गुना करने का काम किया है। ऐसे में नुकसान का गलत मूल्यांकन परेशान किसानों के साथ भद्दा मज़ाक है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में नुकसान से और सदमे से जो किसानों की मौतें हुई हैं, मैं उसका एक चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ ... (व्यवधान)

**श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):** माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोक सभा क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूँ। मैंने इस विषय पर पहले भी शून्यकाल द्वारा तथा नियम 377 के द्वारा इस सदन को अवगत कराया था कि सड़क से लेकर सदन तक हम सब यहां और वहां बैठे लोग यह कहते हैं कि इस देश का मालिक किसान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की वर्तमान स्थिति उत्तर प्रदेश की और हमारे क्षेत्र की है, आज वह किसान, किसान न होकर बहुत दयनीय स्थिति में है। विगत दिनों जहाँ भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के द्वारा किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए देश के सभी प्रांतों को आग्रह किया गया, लिखित कहा गया, निर्देश दिया गया, वहीं उत्तर प्रदेश को भी उस क्रम में नहीं छोड़ा गया। हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारे अकबरपुर लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ दैवीय आपदा के कारण, बेमौसम बरसात के कारण, ओलावृष्टि के कारण और भूकंप के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हें लोग मृत्यु मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, मेरा इस सदन से आग्रह है कि इस सदन की समिति बनाकर के इसकी जांच करा ली जाये। घाटमपुर तहसील के अमोर गांव में सात तारीख को किसान की मृत्यु उसके खेत पर सदमे के कारण हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसे सदमा दिखाया गया है, लेकिन आज तक कानपुर नगर के जिला प्रशासन द्वारा उसे मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरे हमारे क्षेत्र के तमाम ऐसे गांवों में मैंने

भ्रमण करके देखा कि लेखपालों के द्वारा कहीं तो सर्वे नहीं किया गया और कहीं का सर्वे किया गया है तो सर्वे के बाद भुगतान में चैक लेने के लिए भी उनसे आग्रिम राशि ली जाती है।

हमारा इस सदन से आपके माध्यम से निवेदन है कि आने वाली खरीफ की फसल में किसानों को खाद और बीज मुफ्त मुहैया कराने का काम किया जाये। आज किसान बहुत दयनीय स्थिति में हैं। अगर किसानों के साथ हम खड़े नहीं होंगे तो हमारे देश का भगवान ही रक्षक है।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सभी योजनाओं में करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय हजारों करोड़ रुपये के कार्यक्रम प्रायोजित कर रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों को राज्य सरकार के द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है। विगत दो वर्षों में जो बुद्धिजीवी वर्ग है और गांव-देहातों के जो लोग हैं, वे सूचित करते हैं कि बिहार राज्य में पी.एच.ई.डी. विभाग केन्द्र से प्राप्त धन को ठीक ढंग से खर्च नहीं कर पा रहा है। जहां योजनाओं को पूरा धन केन्द्र देता है, उसमें भारी भ्रष्टाचार है और वहां पर लालफीतासाही व्याप्त है, इस कारण आम लोगों को केन्द्र के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के तीन जिले शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चम्पारण में पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा जो चापाकल, पानी की टंकी या शौचालय बनाये गये हैं, उनमें भारी आनियमितताएं हैं। मैंने कुछ शौचालय और चापाकलों का स्वयं जाकर निरीक्षण किया तो पाया कि आधिकतर चापाकल और शौचालय बेकार पड़े हुए हैं और शौचालयों के चैम्बरों में भी सफाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत बन रही पानी की टंकी का भी पूरा प्रयोग नहीं

हो पा रहा है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि वहाँ कहने के लिए तो प्रत्येक जिले में निगरानी करने के लिए एक जिला अनुश्रवण समन्वय व सतर्कता समिति गठित है, परन्तु बिहार सरकार के अधिकारियों के असहयोग के कारण पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धित कार्यक्रमों में निगरानी नहीं हो पा रही है। सांसद असहाय स्थिति में हैं।

मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार या सांसद एक विशेष टीम गठित करें और बिहार जैसे राज्यों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में हो रही गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहल करे। केन्द्र सरकार को भी राज्य सरकार से सहयोग लेकर केन्द्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम जनता को मिले, यह सुनिश्चित करना चाहिए। यह एक गम्भीर विषय है, जो आम लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है, अतः इस पर तत्परता से कार्य करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

**\*\*श्री आर. पार्थिवन (थेनी):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कमा मेरे थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंडीपट्टी तालुक में जक्कमपट्टी और सुब्बुलापुरम गांवों के लोग मुख्य रूप से हथकरघा बुनाई पर निर्भर हैं। माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में, हथकरघा बुनकरों को समर्थन देने के उद्देश्य से तमिलनाडु में गरीब लोगों को धोती और साड़ी के मुफ्त वितरण की योजना लागू की जा रही है। सरकार द्वारा जारी बुनकर पहचान पत्र के माध्यम से बुनकरों को कर्ज मिलता है और उनके परिवारों को सहायता भी मिलती है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जक्कमपट्टी की गौरी बुनकर सहकारी समिति को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर तीन वर्षों के लिए 58 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की है, जिसमें सोसायटी का योगदान भी शामिल है। इसलिए मेरा आग्रह है कि मेरे थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंडीपट्टी तालुक के टी. सुब्बुलापुरम में एक हथकरघा प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाना चाहिए, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में बनाया जा रहा है। धन्यवाद।

---

\*□ मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

**श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) :** उपाध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पूर्व गजेन्द्र सिंह नाम के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। देश में आत्महत्याएं होती हैं तो हाय-तौबा मचती है और बिहार में आत्महत्या होती है तो कुछ नहीं होता। मनेर के गजेन्द्र सिंह ने आत्महत्या कर ली। उसी राह पर बिहटा के सारे किसान चल रहे हैं। 1500 एकड़ जमीन का मैगा औद्योगिक पार्क के लिए आधिग्रहण किया गया था। करीब 7-8 साल हो गये, वहां के किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि कई बार मुख्यमंत्री और सब के आदेश के बावजूद भी वहां किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। किसान चाहता है कि जो हमारी बची हुई जमीन है, वह हमारी रैयेती जमीन हमें वापस कर दी जाये, जिसको लिया गया और उसका जो मुआवजा है, वह हमको मिले।

मैं आपसे सिर्फ आग्रह करना चाहूंगा कि देश में सबसे बड़ा साइक्लोन मेरे क्षेत्र में आया और 52 लोग मेरे यहां मरे। मैं वहां उस समय नहीं था। जो 52 लोग मरे, उनकी ओर सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं लास्ट में आग्रह करना चाहता हूं कि बिहटा क्षेत्र के जो किसान हैं, वे गजेन्द्र सिंह की राह पर नहीं चलें, इसके लिए वहां की जो 1500 एकड़ जमीन औद्योगिक पार्क के लिए ली गई है, उसका मुआवजा सरकार आविलम्ब दे, अन्यथा बड़ी लड़ाई की सम्भावना वहां बन रही है। वहां के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी दोषी बिहार सरकार है। उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष :** श्री सुनील कुमार सिंह को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** उपाध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर में जिस तरह से अहमद शाह गिलानी ने श्रीनगर में रैली करके वहां पर भारत के विरोध में भाषण दिया, लोगों को राष्ट्र के विरोध में उकसाने का काम किया, वह

चिंताजनक है। वहां रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए। अभी तक श्री गिलानी को एवं ऐसी राष्ट्र विरोधी हरकत करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि श्री गिलानी पर राष्ट्रदोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि फिर से ऐसी हरकतें किसी रैली में व किसी जगह पर न हों।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री निशिकान्त दुबे को श्री भैरों प्रसाद मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

**श्रीमती पी.के श्रीमथि टीचर (कन्नूर):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष उपस्थित करना चाहती हूँ। हमारे देश में ऐसी कई आविवाहित महिलाएँ हैं जिनके लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन है। वे विधवाओं से भी ज्यादा अकेलापन महसूस करती हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बहनों तथा गरीबों को कल्याणकारी सहायता दी जा रही है, जैसे विडो पेंशन, डायवोर्स पेंशन इत्यादि। लेकिन, आविवाहित महिलाओं की परिस्थिति बहुत ही दर्दनाक है। वे अपनी कुछ मजबूरियों के कारण अपनी शादी नहीं करती हैं और अपना जीवन मजबूरन तन्हा बिताती हैं। एक समय ऐसा आता है, जब उनके परिवारवाले और समाज उन्हें नज़र अंदाज कर देता है। फिर उन्हें मजबूरन अपने रिश्तेदारों के यहां गुलाम बनकर काम करना पड़ता है। आखिरकार, जब ये बहनें 40 साल, 60 साल से आधिक की हो जाती हैं तो उनका जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह, सिंगल वूमेन की परवाह करने वाला कोई नहीं होता है और सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं।

हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि उन बहनों तथा माताओं के लिए केन्द्र सरकार विचार करे तथा जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, उन्हें आर्थिक मदद के रूप में कम-से-कम एक हजार रुपये महीने का पेंशन दिया जाए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री पी.के. बिजू, डॉ. ए. संपत, श्री पी. करुणाकरण और श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री एम. चंद्रकासी (चिदम्बरम):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कपड़ा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत पावर-लूम सेवा केंद्रों के संदर्भ में है।

मेरे चिदम्बरम निर्वाचन क्षेत्र की कुन्नम और वेप्पुर पंचायतों को बड़ी संख्या में कुशल पुरुष और महिला श्रमिक हैं। वे सभी बेरोजगारी, खराब बुनियादी ढांचे और अन्य कारकों से पीड़ित हैं। वस्त्र क्षेत्र में उनके तकनीकी कौशल को विकसित करने के लिए कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। इन क्षेत्रों में पावर-लूम सर्विस सेंटर की स्थापना से बेरोजगारी की समस्या को कुछ हद तक हल करने में मदद मिलेगी।

इसलिए, मेरा अनुरोध है कि वस्त्र मंत्रालय को तमिलनाडु में चिदम्बरम निर्वाचन क्षेत्र के कुन्नम और वेप्पुर दोनों पंचायतों में पावर-लूम सेवाओं से संबंधित व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की सलाह दी जाए। यह इन पंचायतों में श्रमिक वर्ग के लिए अत्यधिक सहायक होगा।

[हिन्दी]

**श्री भरत सिंह (बलिया):** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूँ। महात्मा गांधी के बाद इस देश की आज़ादी में की-रोल अदा करने वाले लोकनायक जय प्रकाश नारायण हैं। उसी लोकनायक जय प्रकाश नारायण की जन्मभूमि का गांव घाघरा नदी की कटान से कटता जा रहा है। वहां हजारों घर घाघरा नदी की कटान से कट गए। पर, अभी तक वहां कटानरोधी काम चालू नहीं हुआ है। लोकनायक जय

प्रकाश नारायण के नाम पर बने जे. पी. ट्रस्ट, जिसे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय चन्द्रशेखर जी ने हजारों करोड़ रुपये की लागत से बनाया था, उस ट्रस्ट तक जाने वाला मार्ग खतरे में है। इसमें उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उसके लिए सत्रह करोड़ रुपये पिछले साल से पास है। इस साल भी भारत सरकार के पास नाबार्ड की ओर से प्रस्ताव आया है कि नाबार्ड उसे फाइनेंस करेगा। नाबार्ड से स्वीकृत करके, फाइनेंस कराके वह काम अगर तत्काल चालू नहीं किया गया, अगर अभी काम चालू नहीं हुआ तो इस साल वह गांव नहीं बचेगा, उसकी सड़क नहीं बचेगी। श्री सीग्रीवाल जी, श्री राजीव प्रताप रूडी जी, बक्सर के सांसद और वहां के तमाम सांसद, यह आधा दर्जन सांसदों का ज्वाइंट है, सबका इसके लिए सेंटीमेंट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर काम को प्राथमिकता पर लिया जाए।

दूसरी चीज, जो कटान से पीड़ित लोग हैं ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में कंकलूड करूंगा। कटान से पीड़ित जो लोग सड़क पर पड़े हुए हैं, विस्थापित हैं, उनके लिए लाइट की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** ठीक है, बहुत हो गया। कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री भरत सिंह :** महोदय, मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। यह घाघरा की बात है। गंगा की कटान से दर्जनों गांव, शेरपुर, सिमरा, जगदीशपुर, बुजौला, गड़ेरिया, नर्मदा, श्रीनगर, यहां गंगा कटान से पीड़ित गांव के विस्थापितों को बसाने का सवाल है। घाघरा कटान के तीलापुर, दंता ...(व्यवधान) पीड़ितों को बसाना है। यह जरूरी सवाल है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री भरत सिंह :** मैं एक ही लाइन में अपनी बात समाप्त करूंगा। ...(व्यवधान) आपके माध्यम से मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हस्तक्षेप करें। हमारी तेज-तर्रार जल संसाधन मंत्री सुश्री उमा भारती जी हैं। ...(व्यवधान) इस काम को इंटरैस्ट लेकर तत्काल कराया जाए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री भरत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा):** धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

दो-तीन दिन पहले इस सरकार ने बिना किसी औचित्य के पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। यू.पी.ए. सरकार के शासनकाल के दौरान, वर्तमान सत्तारूढ़ दल, विशेष रूप से बी.जे.पी. और उनके सहयोगियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया। सभी जानते हैं कि उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही थी। इसी वजह से तत्कालीन सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी थीं लेकिन इस समय हर कोई जानता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं। इसलिए, हमने सोचा कि पेट्रोलियम मंत्रालय मूल्य वृद्धि वापस ले लेगा लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को छूट दे दी जो पेट्रोलियम और डीजल की कीमतें बढ़ा रही हैं। यह एक बड़ी बढ़ोतरी है।

पेट्रोल की कीमत में हालिया बढ़ोतरी 3.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 2.37 रुपये प्रति लीटर है। यह है वृद्धि; 50, 60, या 70 पैसे नहीं। यह एक बड़ी बढ़ोतरी है। इसका औचित्य क्या है? सरकार ने

क्यों दाम बढ़ाए? मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि यह सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों बढ़ाती जा रही है। अंतिम परिणाम क्या है? आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से कीमतों में तेजी से वृद्धि होगी। इसलिए सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और मूल्य वृद्धि को रद्द करना चाहिए।

जब वे विपक्ष में थे, तो एन.डी.ए. डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। अब, वे सत्ता में हैं और कीमतें बढ़ा रहे हैं। वे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। ... (व्यवधान)

यह मेरा स्थगन प्रस्ताव है। मैंने इस पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। अब आप मुझे बोलने के लिए भी बहुत देर से अवसर दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

**\*\*श्रीमती वी. सत्यबामा (तिरुप्पुर):** माननीय उपाध्यक्ष, वणक्कम धन्यवाद। माननीय मक्कलिन मुथलवर पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में, मैं अपने तिरुप्पुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उथुकुली से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ। उथुकुली मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। उथुकुली में कोई रेल आरक्षण केंद्र नहीं है। उथुकुली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 16000 किलोग्राम मक्खन और घी देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। सिपकोट औद्योगिक क्षेत्र, जो उथुकुली से चार किलोमीटर की दूरी पर है, में बहुत सारे बुना हुआ कपड़ा उद्योग हैं। पड़ोसी राज्यों के भी हजारों लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांगेयम उथुकुली से 18 किलोमीटर दूर है जहां धान और नारियल की खोपरा किस्म पड़ोसी राज्यों से मंगाई जाती है। बदले में चावल और नारियल तेल जैसे अंतिम उत्पादों को पैक किया जाता है और पालक्काड़, एर्नाकुलम और मुंबई जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। यहां स्कूलों, कॉलेजों और संघ और राज्य सरकारों के कार्यालयों सहित 30 से अधिक प्रतिष्ठान हैं। 580 से अधिक यात्री विभिन्न स्थानों पर आने-जाने के लिए उथुकुली रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं। 12624, 12623, 2263, 22638 और 16042 संख्या वाली ट्रेनें इस स्टेशन से गुजरती हैं। कुछ महीने पहले, ट्रेन संख्या 22637 और 22638 का उथुकुली रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज था। इसलिए मेरा आग्रह है कि व्यवसायियों और आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए उथुकुली रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे यात्री आरक्षण केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। धन्यवाद, महोदय।

---

\*□ मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देश में असमय बारिश, ओला वृष्टि के पश्चात् देशवासियों को भूकंप का भी दंश झेलना पड़ रहा है। पूर्व के प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की रबी की फसल एवं अन्य फसलों का भारी नुकसान हुआ है। झारखंड में आई चरणबद्ध इन प्राकृतिक आपदाओं से किसानों सहित अन्य लोग भी प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों का जिलावार आकलन करना चाहिए। इस परियोजन से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जांच टीम की रिपोर्ट और सहायता राशि प्रदान करने की आवश्यकता है। आज पूरे देश में भूकंप के प्रकोप से लोग भयभीत हैं।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मेरा आग्रह है कि खासकर झारखंड प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यह सुनिश्चित करवाया जाये कि उनका ऋण और बिजली बिल माफ करवाया जाये और भूकंप पीड़ितों को सहायता राशि उपलब्ध करवायी जाये। गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के किसानों को इससे निजात दिलाया जाये।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री निशिकान्त दुबे को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर):** उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 'शून्यकाल' के दौरान एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। [हिन्दी] मैं जिस पार्लियामेन्ट हलके से आता हूँ, वह 150 किलोमीटर पाकिस्तार बार्डर के साथ है। उसमें तीन जिले पड़ते हैं - फ़िरोज़पुर, फजलिका और मुक्तसरा। सबसे पहले हमारी बदकिस्मती यह है कि हम बार्डर पर रह रहे हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में एक भी शताब्दी ट्रेन नहीं दी गयी है। एक एक्सप्रेस ट्रेन फ़िरोज़पुर के लिए जाती है। हमारी यह डिमांड है कि तीनों जिलों को शताब्दी ट्रेनों से जोड़ा जाये।

हमारे यहां गंगा नगर रेलवे लाइन है, जहां से सराय रोहिला और नंदेड़ के लिए ट्रेन चलती है। वहां एक और अनजस्टिस हमारे लोगों के साथ हुआ है। मलौट रेलवे स्टेशन हमारे मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी का सबडिविजन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार सुखबिर सिंह जी का सबडिविजन है, हरसिमरत जी जो मिनिस्टर हैं, वह उनका सबडिविजन है, वहां नंदेड़ से जो ट्रेन चलती है, सराय रोहिला के लिए जो ट्रेन चलती है तो मलौट सबडिविजन में उसका स्टॉपेज नहीं है। वहां के लोगों ने पिछले एक महीना से प्रोटेस्ट के लिए वहां धरना दिए हुए हैं।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि पंजाब में नंदेड़ जो रेल जाती है वह सिखों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। रेल मलौट, मानसा और सभी स्टेशनों पर रूकनी चाहिए। उन सभी जगहों को शताब्दी ट्रेनों से भी जोड़ दिया जाये।

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर्श ग्राम योजना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि लोग यह समझ रहे हैं कि इस योजना को पूरा करने का कार्य केवल प्रधानमंत्री जी का है। क्योंकि, संबंधित जो केन्द्र सरकार से गैर-सरकारें राज्यों में हैं, वहां पर कैसा कार्य होगा, उसका मैं उदाहरण देता हूँ।

दिल्ली के अंदर एनसीआर के गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। लेकिन दुख होता है कि आधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार के कारण आदर्श ग्राम योजना में विकास होगा या नहीं। हमने दक्षिणी दिल्ली में तीन गांव ऐडॉप्ट किए थे। मैं चीफ सैक्रेटरी, डीएम को लेकर 20 सितम्बर को उस गांव में गया। मुख्य सचिव और डीएम ने वहां का जायजा लिया, आश्वासन दिया और जल्द योजना बनाने की बात कही। मुख्य सचिव ने तुरंत डीएम को आदेश भी दे दिया। हमने रिवैन्यू के लोगों के साथ मीटिंग की। 6 जनवरी को मुख्य सचिव के कार्यालय में दुबारा मीटिंग हुई। उसके बाद भी परिणाम शून्य रहा। उसके बाद कहा गया कि हम कमेटी बनाएंगे जो डैवलपमेंट करेगी। वह कमेटी आज तक नहीं बनी। मैं डैवलपमेंट कमिश्नर से चार बार बात कर चुका

हूं, चीफ सैक्रेटरी के कार्यालय में बात कर चुका हूं। 4 फरवरी, 17 फरवरी, 10 अप्रैल, 21, 24 तारीख को उनके दफ्तरों में चक्कर लगा चुका हूं। आधिकारियों का व्यवहार इस प्रकार का है। कैबिनेट सैक्रेटरी डीएम को आदेश दें। ... (व्यवधान) यह प्रधान मंत्री का आदर्श ग्राम योजना का मामला है। ... (व्यवधान) अगर काम ही नहीं होंगे तो कैसे बात बनेगी। ... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कैबिनेट सैक्रेटरी उन आधिकारियों को आदेश दें। वे पोलिटिकल दबाव में कार्य नहीं कर रहे हैं, कमेटी फार्म नहीं कर रहे हैं जिससे आदर्श ग्राम योजना का सपना पूरा हो। वे अपनी इज्जत बचाते हुए उन कामों को पूरा करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री पी.पी. चौधरी को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी):** हाल ही में, केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में 12 शहरों को शामिल करते हुए हृदय (राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना) शुरू की है।

इस संदर्भ में, मैं केंद्र सरकार के समक्ष एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि राजामुन्दरी पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों में से एक है। इसके शुरुआती दिनों में इसे 'राजमहेंद्रवरम' कहा जाता था। यह एक ऐतिहासिक शहर है जो अपनी राजनीतिक, कृषि, साहित्यिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए, इस शहर को "आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी" के रूप में भी जाना जाता है।

राजामुन्दरी को तेलुगु भाषा के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है। आदि कवि नन्नय्या ने इसी पवित्र भूमि पर महाभारत का संस्कृत से अनुवाद किया था। महान समाज सुधारक कन्दुकुरी वीरेसलिंगम इसी भूमि पर चले।

राजामुन्दरी शहर, जो आंध्र प्रदेश की विरासत और सांस्कृतिक राजधानी है, के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं केंद्र सरकार और शहरी विकास मंत्रालय से गोदावरी पुष्करम की पूर्व संध्या पर राजामुन्दरी शहर को हृदय योजना के तहत शामिल करने का विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा।

**\*\*श्री ए. अरूणमणिदेवन (कुड्डालोर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कमा मेरे कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नेवेली टाउनशिप में, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (एन.एल.सी.) ने अपनी दुकानें व्यापारियों को किराए पर दे दी हैं। एन.एल.सी. ने हाल ही में किराया लगभग 400 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। आसपास के गांवों में विभिन्न दुकानों के किराए की तुलना में, नेवेली टाउनशिप में दुकानों का किराया बहुत अधिक है। पहले के परामर्श के अनुसार 1.7 2002 से तीन वर्षों की अवधि में एक बार 10% किराया वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था और इसलिए एन.एल.सी. ने अब तक अपने किराये संग्रह में 40% की वृद्धि की है। इसलिए मेरा आग्रह है कि व्यापारियों और विभिन्न हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद एन.एल.सी. को नेवेली टाउनशिप में दुकानों के किराए में अत्यधिक वृद्धि से संबंधित मुद्दे को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। किराया उस क्षेत्र में बाजार दर के अनुसार उचित होना चाहिए। इसके अलावा, किरायेदार दुकानदारों के कानूनी उत्तराधिकारियों को किरायेदारी का अधिकार दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

---

\*□ मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

**श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) :** उपाध्यक्ष महोदय, हम किसानों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो पाए, उसमें हम सब पीछे रह जाते हैं। मैं बिहार के बारे में कहना चाहती हूं। वर्ष 2008 में कोसी बांध टूटा था। लगभग दो-ढाई लाख हेक्टेयर खेतिहर भूमि का नुकसान हुआ। आज तक डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि में बालू है। अभी तक प्रॉपर तरीके से किसान वहां खेती नहीं कर सके। किसान केसीसी लोन लेते हैं। वर्ष 2008 के किसानों का केसीसी लोन, जो उस बाढ़ से अफैक्ट हुए, उनका भी केसीसी लोन आज तक माफ नहीं किया गया। 21 तारीख को नार्दर्न बिहार के पूर्णिया, मधेपुरा, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, भागलपुर आदि में चक्रवाती तूफान आया। वहां गेहूं, मकई, मूंग, आम, लीची की खेती का नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहती हूं कि इस बार भूकम्प और चक्रवात से जिनकी खेतिहर भूमि का नुकसान हुआ, उनका केसीसी लोन और जो 2008 से किसानों का आज तक लोन माफ नहीं हुआ, उनकी लोन माफी पर गंभीरता से चिंतन किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री पी.पी. चौधरी (पाली):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज देश में मरीजों के लिए रक्तदाताओं और रक्त की कमी नहीं है। आजादी के 65 साल बाद भी हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं कि दानदाताओं द्वारा रक्त और अंग के रूप में किए गए दान को जरूरतमंद मरीजों तक समय पर और व्यवस्थित रूप से पहुंचा सके। हमारे देश में प्रति वर्ष 4 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है जबकि उपलब्धता सिर्फ 40 लाख यूनिट ही है। इस कमी को दूर करने के लिए हमारा तंत्र जुटाए गए ब्लड को भी सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। मेरा भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर में ब्लड बैंकों व अस्पतालों में दान किए गए रक्त व अंगों को सुरक्षित रखने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई जाए। रक्तदान और अंगदान के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर बनाया जाए जिससे किसी प्रकार की बर्बादी की सूचना प्राप्त होने पर उसे तुरंत दूर किया जा सके। इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों और आधिकारियों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए ताकि लापरवाही होने पर इन्हें

दंडित किया जा सके। इससे मरीजों को सही समय पर और व्यवस्थित तरीके से रखे गए ब्लड व अंगों का लाभ मिल सकेगा। 21वीं सदी का भारत स्वास्थ्य की सुरक्षा का आधिकारी है, उसे यह अधिकार देना ही होगा।  
धन्यवाद।

**श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मुंबई के प्रभा देवी क्षेत्र में माता प्रभा देवी मंदिर को 29 अप्रैल को 300 वर्ष पूरे हो गए। यहां 10 दिन तक यात्रा पर्व मनाया जाता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता शीतला देवी की पूजा करते हैं। मैं सरकार का ध्यान प्रभा देवी क्षेत्र में एलिफेस्टन स्टेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रभा देवी माता के दर्शन के लिए जिस स्टेशन से श्रद्धालुओं का आगमन होता है उस स्टेशन का नाम अभी भी एलिफेस्टन है जबकि इस क्षेत्र को प्रभा देवी के नाम से जाना जाता है। अतः मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान माता प्रभा देवी मंदिर के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एलिफेस्टन स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी स्टेशन किया जाए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष :** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री पी.पी.चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री वी. पन्नीरसेल्वम (सलेम):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र सलेम के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए ठोस कदम उठाएं जो मध्यम और दीर्घकालिक रूप से जनता के हित में भी होगा।

सलेम में लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत से डेमू शेड स्थापित करने का प्रस्ताव है। डेमू शेड अन्य खंडों के अलावा सलेम - विरुधचलम, सलेम - करूर, इरोड - तिरुचि और सलेम - डिण्डीगुल - मदुरै के बीच सेवाओं में सुधार को पूरा करेगा। अनुरोध है कि तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र की जनता के हित के लिए इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

मैं समझता हूँ कि डेमू शेड के निर्माण में कुछ समय लग सकता है। इस बीच, मैं माननीय रेल मंत्री जी से सलेम डिवीजन को कम से कम 3 डेमू शेड तत्काल आबंटित करने का अनुरोध करना चाहता हूँ ताकि डेमू शेड की प्रतीक्षा किए बिना इन सेवाओं को तुरंत शुरू किया जा सके।

**डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली):** महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। हाल ही में नेशनल सैंपल सर्वे ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिससे पता चलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। 2004-05 में यह 1.7 थी और अब बढ़कर 2 हो गयी है। उसी प्रकार, यदि पहले यह आंकड़ा 1.7 प्रतिशत था, तो अब अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के मामले में यह प्रतिशत बढ़ा है।

मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार अब लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अच्छा काम करने लगी है। इसलिए इन लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि इन लोगों के बीच बढ़ती बेरोजगारी दर रुके और इन्हें रोजगार मिले और ये बेहतर पद पा सकें।

धन्यवाद।

**\*\*\* श्री आर.के. भारती मोहन (मयिलादुथुराई):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कमा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार 60 से 79 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों को 200 रुपये और 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निराश्रित विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 300 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। माननीय मक्कलिन मुथलवर पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी के कुशल मार्गदर्शन में, तमिलनाडु में वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित विधवा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों को 1000 रुपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। इससे तमिलनाडु पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने के मद्देनजर तमिलनाडु के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, मैं केंद्र सरकार से वृद्धावस्था पेंशन और निराश्रित विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता 1000 रुपये तक बढ़ाने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।

---

\*□ मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

**श्री अश्विनी कुमर चौबे (बक्सर) :** उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में चारा घोटाला की तर्ज पर किसानों के धान क्रय का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। विगत तीन वर्षों से बिहार के किसानों के धान क्रय में 1581 करोड़ रुपये का एक व्यापक घोटाला हुआ है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस घोटाले को उजागर करके बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एफसीआई के पदाधिकारियों, ट्रांसपोर्टर्स एवं कुछ एक चावल मिलों के घालमेल से यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। एक तरफ एफसीआई द्वारा अधिकांश किसानों से धान क्रय न करके बिचौलियों से खरीद-फरोख्त किया गया और दूसरी तरफ किसानों को उचित मूल्य प्राप्त न होने के कारण वे आज भूखों मरने की स्थिति में आत्महत्या करने के लिए विवश हैं।

महोदय, एफसीआई एवं बिहार सरकार की शह पर ट्रांसपोर्टर्स द्वारा धान-चावल न तो सही में उठाया गया और न ही चावल मिलों से एफसीआई के गोदामों में गया। यह सिर्फ फर्जी कागज पर ही खेल हुआ। हाल ही में कोर्ट की फटकार पर एफसीआई के पदाधिकारियों द्वारा अपने बचाव में सैंकड़ों चावल मिलों पर आनन-फानन में एफआईआर दर्ज की गयी, लेकिन वह केवल खाना-पूर्ति की गयी है बिहार सरकार कटघरे में खड़ी है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसके बारे में कोर्ट ने भी कहा है। यह बिहार के लाखों किसानों के हित में है। यह पशुपालन घोटाले से भी व्यापक घोटाला है। यह चार हजार करोड़ रुपये का घोटाला है, जिसे कोर्ट ने पकड़ा है। ...(व्यवधान)

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री.पी.पी. चौधरी को श्री अश्विनी कुमर चौबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर):** महोदय, मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मैं इस मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पारादीप बंदरगाह देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जगतसिंहपुर, ओडिशा में स्थित है। स्थापना के बाद से, इसने विभिन्न कंपनियों को औद्योगिक सेट-अप स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है। हालांकि, समय के साथ, एक प्रक्रिया के रूप में औद्योगीकरण ने इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के स्तर में सुधार किया है, साथ ही, यह हवा, पानी, मिट्टी आदि के प्रदूषण जैसी समस्याएं भी पैदा कर रहा है, जिससे समय से पहले दिल के दौरों और श्वसन संबंधी बीमारियों जैसे गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा हो रहे हैं। उर्वरक उद्योगों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एस्सार स्टील आदि से निकलने वाले प्रदूषक बहुत हानिकारक होते हैं और स्थानीय निवासियों को गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर देते हैं। प्रदूषण का स्तर भी दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बारे में प्रशासन से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

इसलिए, मैं माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द उचित उपाय करने का अनुरोध करता हूँ।

**श्री बी. सेनगुड्डुवन (वेल्लोर):** महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

वाल्मिकी समुदाय पूरे भारत में प्रचलित है। भारत के लगभग सभी उत्तरी राज्यों में इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दुर्भाग्य से, तमिलनाडु में, वे पिछड़े वर्गों की श्रेणी में आते हैं।

समुदाय के प्रमुख लोगों ने माननीय डॉ. पुरात्वी थलाइवी अम्मा से मुलाकात की और उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया। माननीय पुरात्वी थलाइवी अम्मा जी ने गहन अध्ययन करने का निर्देश दिया। जनजातीय अनुसंधान केंद्र, ऊटी के निदेशक गहन अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वाल्मिकी समुदाय में पांच विशिष्ट जनजातीय विशेषताएं हैं, अर्थात्, आदिम लक्षण,

विशिष्ट संस्कृति, संपर्क में संकोच, भौगोलिक अलगाव और सामाजिक या आर्थिक पिछड़ापन और सिफारिश की गई है कि उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए। तदनुसार, राज्य सरकार ने उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सूचित किया है।

[हिन्दी]

**श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, जहां सरकार 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के माध्यम से जहां बालिकाओं को शिक्षित व समर्थ बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं भ्रूण हत्या के कारण बालक व बालिकाओं के लिंगानुपात में बढ़ता हुआ अंतर समाज के परंपरागत ढांचे को बिगाड़ रहा है। इसके कारण बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। महिला का गर्भवती होना आदर्श माना जाता है। तमाम अभियानों व समाज में बढ़ रही जागरूकता के बावजूद ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिनमें महिलाओं का जबरन गर्भपात कराना, धमकाना, डराना, गर्भवती महिलाओं के साथ हिंसा शामिल हैं। ये ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर और गर्भस्थ शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को जन्म देने वाली महिला के साथ हिंसक व्यवहार सभ्य समाज में अक्षम्य अपराध है। ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाएं बहुत जोखिम उठाती हैं अतः इन्हें अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने के साथ कानूनी संरक्षण देने की आवश्यकता भी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि गर्भवती महिलाओं को आदर्श वातावरण उपलब्ध कराने के साथ गर्भस्थ शिशु के संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए, जिसमें ऐसी अवस्था में किसी भी दुष्कृत्य को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखकर आभियोजन तथा सज़ा का प्रावधान किया जाए।

[अनुवाद]

**श्री एम.डी. बदरुद्दोजा खान (मुर्शिदाबाद):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मुर्शिदाबाद कई दशकों से एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। हजारदुआरी (नवाब पैलेस), इमामबाड़ा, कटरा मस्जिद, नशीपुर राजबाड़ी, कटगोला कार्डेन, तोपखाना, मोती झील, खोसबाग कब्रिस्तान और ऐतिहासिक रुचि की कई अन्य चीजें हैं। हर साल देश-विदेश से कम से कम 10 से

12 लाख पर्यटक इन स्थानों पर घूमने आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुछ स्मारकों का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया है। यदि हम इसका योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करें तो हम इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं। लेकिन योजना, प्रचार-प्रसार और बुनियादी ढांचे के विकास की कमी के कारण हमें इस क्षेत्र से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार अब कुछ टूरिस्ट सर्किट बनाकर पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। अब, महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से निवेदन करता हूँ कि मुर्शिदाबाद में 'नवाब सर्किट' नाम से एक नया पर्यटक सर्किट बनाया जाए।

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री अधीर रंजन चौधरी और श्री अभिजीत मुखर्जी को आज श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान द्वारा उठाए गए 'शून्य काल' के विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान एक लंबित अनुरोध की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो चेन्नई के अडयार स्थित कैंसर संस्थान से संबंधित है। यह संस्थान 1954 में माननीय डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी द्वारा एक स्वैच्छिक चैरिटेबल संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। इस संस्थान ने द्वादश पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने उन्नयन हेतु आवेदन किया था, जिससे इसे "कैंसर उपचार हेतु एक स्वायत्त राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान" के रूप में उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा प्रदान किया जा सके। कैंसर संस्थान, अडयार, एक गैर-सरकारी संस्थान है जिसके लिए तमिलनाडु सरकार तीन दशकों से अधिक समय से रखरखाव अनुदान के माध्यम से सहायता कर रही है। एक रेफरल कैंसर केंद्र के रूप में, यह पूरे भारत से जरूरतमंद कैंसर रोगियों को सेवा प्रदान करता है। हमारी माननीय मक्कल मुथलवर पुरात्वी थलाइवी अम्मा जी ने अनुरोध किया था कि कैंसर संस्थान, अडयार, जो देश के सबसे पुराने एन.जी.ओ. संचालित कैंसर अस्पतालों में से एक है, को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, खासकर जब इसे डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा देश में शीर्ष रैंकिंग केंद्र के रूप में दर्जा दिया गया हो, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास लंबित है। इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि चेन्नई का यह प्रतिष्ठित कैंसर अस्पताल

एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बड़ी संख्या में कैंसर रोगियों के इलाज की अपनी क्षमता का विस्तार और सुदृढीकरण कर सके।

[हिन्दी]

**श्री सी.आरचौधरी (नागौर) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान नागौर लोकसभा क्षेत्र के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूँ। नागौर जिले में औजार बनाए जाते हैं। ट्रेडीशनली कई कास्ट और कम्युनिटीज हैं जो औजार बनाती हैं। छोटे औजार, स्कू ड्राइवर आदि बनाए जाते हैं। देश में 11 टूल रूम्स हैं। इस राज्य में नागौर जिले में एक ही टूल रूम बनाया गया लेकिन यह दो कारणों से दुर्दशा का शिकार हो रहा है। पहला कारण है कि यहां डायरेक्टर की पोस्ट कई सालों से खाली पड़ी है। डिप्टी डायरेक्टर को हटा दिया गया है। दूसरा कारण है कि यहां 1985 की यानी 30 साल पुरानी मशीनें हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन्हें रेनोवेट किया जाए या दूसरी मशीनें लगाई जाएं। यह छोटे उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए जरूरी है।

[अनुवाद]

**श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनाकापल्ली):** महोदय, मुझे यह विषय उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

सभी जानते हैं कि किसान इस देश की नींव हैं। इसलिए, हमारा आंध्र प्रदेश राज्य दूसरे सबसे लंबे समुद्री तट वाले राज्यों में से एक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, लगभग 150 कि.मी. समुद्री तट है। हर वर्ष हमारे क्षेत्र में चक्रवात आता है। पिछले वर्ष भी एक अत्यंत भीषण चक्रवात — हुदहुद चक्रवात — आया था। विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम के तीनों जिलों में लगभग 22,000 से 25,000 करोड़ रुपये तक की क्षति हुई थी। माननीय प्रधान मंत्री ने हमारे क्षेत्र का दौरा भी किया था। उन्होंने केंद्रीय राहत के तौर पर 1,000 करोड़ रुपये देने का आश्वासन दिया है। लेकिन अब तक हमें केवल 600 करोड़ रुपये ही मिले हैं। मैं

आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया 350 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि जारी करें क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और गन्ना उद्योगों को भी बहुत गंभीर क्षति हुई है।

**श्री जी. हरि (अराकोन्नम):** महोदय, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति एक केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसे आपकी तमिलनाडु सरकार द्वारा माननीय पुरात्वी थलाइवी अम्मा के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में विस्तृत और सफलतापूर्वक लागू किया गया है। हमने तमिलनाडु में पेशेवर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि की है जिसमें कई स्व-वित्तपोषित संस्थान शामिल हैं। पाठ्यक्रमों की फीस में वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजातीय समुदाय से अधिक छात्र उच्च शिक्षा के लिए आ रहे हैं, जिन्हें वित्तीय बोझ का अधिक सामना करना पड़ता है। वंचित वर्गों के कई छात्रों को छात्रवृत्ति के अनुदान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। 2014-15 में, तमिलनाडु सरकार ने 1,204.76 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी, जिसमें पिछले वर्षों का बकाया भी शामिल है, जबकि केंद्र ने केवल 254 करोड़ रुपये जारी किए, जो केंद्रीय सहायता के 22 प्रतिशत से भी कम है। इसलिए, मैं सरकार से अपनी प्रतिबद्ध देनदारी को पूरा करने और 2014-15 के लिए तमिलनाडु को देय 950.76 करोड़ रुपये की शेष धनराशि जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह करता हूँ।

[हिन्दी]

**श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, बंगाल के आलू उत्पादकों की हालत बहुत ही गंभीर होती चली जा रही है क्योंकि ये सारे आलू उत्पादक उचित मूल्य पर अपना आलू नहीं बेच पाते तथा खासकर जो बंगाल की सरकार है, यह सरकार आलू उत्पादकों की अनदेखी कर रही है। इनकी खस्ता हालत की तरफ यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है और हालत यह हो रही है कि ये आलू उत्पादक अपने आप को खुदकुशी के कगार पर ले जा रहे हैं। पिछले सिर्फ एक महीने में ऐसे 23 आलू उत्पादकों ने खुदकुशी की है। इस संगीन हालत को देखते हुए जब बंगाल के लोग एजीटेशन कर हैं तो यह बंगाल की सरकार जो खुद को मां, माटी, मानुष की सरकार कहते हैं, वह मां, माटी, मानुष की सरकार आलू उत्पादक और धान उत्पादकों को

कोई आर्थिक मदद नहीं देते और पूरे बंगाल में आज हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि बंगाल के लोग सोच रहे हैं कि वे अब कहां जाएं? इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उनकी इस दुर्दशा को सुधारने की तरफ यह सरकार थोड़ा ध्यान दे और बंगाल की सरकार को डायरेक्शन दे।

**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान एक आति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। झारखंड में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। गांवों में भी अब घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी का उपयोग बढ़ रहा है। एलपीजी की तीन प्रमुख कंपनियां हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, इंडेन और भारत गैस है। झारखंड में तीनों के उपभोक्ता हैं लेकिन एच.पी. और इंडेन का एक-एक प्लांट ही हजारीबाग और टाटा में लगा हुआ है। भारत गैस का कोई भी प्लांट झारखंड में नहीं है जिसके चलते अन्य कंपनियों से उधार लेकर गैस सिलिंडर उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा में भारत गैस के 13 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं जिन्हें गैस की प्रतिमाह कम से कम 7 गाड़ियों की जरूरत पड़ती है लेकिन मात्र 21 गाड़ियों की आवश्यकता के हिसाब से 5 गाड़ी एलपीजी ही उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे उपभोक्ताओं को एलपीजी गैस नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि चतरा, लातेहार या पलामू जिले में भारत गैस का एक प्लांट स्थापित किया जाए जिससे पूरे झारखंड में भारत गैस के उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति हो सके।

[अनुवाद]

**श्री वी. एलुमलाई (अरानी):** मैं आधार कार्ड का महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा जो देश के नागरिकों के जीवन में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के जीवन में अपरिहार्य हो गया है।

केंद्र सरकार का नवीनतम कदम 1 अप्रैल से 300 जिलों में सभी मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए यू.आई.डी अनिवार्य करना है। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कड़े निर्देश भेजे हैं। सभी मनरेगा श्रमिकों को, जिनके पास आधार संख्या नहीं है, नामांकन केंद्रों तक ले जाने और फिर बैंक ले जाकर उनके बैंक खाते में आधार संख्या जोड़ने का आदेश दिया गया है। यह सर्वविदित है कि यह कार्य

31 मार्च तक पूरा कर पाना असंभव है, और इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह होगा कि जिन मनरेगा श्रमिकों के पास आधार नहीं है, उन्हें उस तिथि के बाद काम करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा।

तमिलनाडु के सभी ग्रामीणों को पहले चरण में शिविर लगाकर शामिल किया गया था, जिसमें उनके फोटो और पहचान चिह्न लिए गए। उस समय जिन हजारों लोगों को आधार कार्ड नहीं मिल सका, वे अब स्वयं अपनी समस्याओं से जूझने को विवश हैं। उन्हें तालुक कार्यालयों में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है, जहाँ कार्य अत्यंत धीमी गति से होता है — एक दिन में 30 से अधिक लोगों को कवर नहीं किया जा रहा, जबकि सैकड़ों लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतीक्षा करते रहते हैं और अपना पूरा दिन व्यर्थ करते हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह अपने द्वारा नियुक्त एजेंसियों को फिर से सभी गांवों में जाकर आधार कार्ड की तैयारी पूरी करने के लिए प्रेरित करें।

[हिन्दी]

**श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आठ-नौ करोड़ लोग पिछले कई वर्षों से, यदि मैं कई दशकों को कहूँ, तो ज्यादा उपयुक्त होगा, अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में जितनी भाषाएँ दर्ज हैं, उन 22 भाषाओं में से 17 भाषाएँ ऐसी हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या राजस्थानी भाषा से कम है। पिछले अनेक वर्षों के संघर्ष के बाद जब महापात्र कमेटी बनी और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से राजस्थानी और भोजपुरी, दो ऐसी भाषाएँ हैं, जिनको तुरंत मान्यता दी जानी चाहिए और ये भाषाएँ इसके सर्वथा योग्य भी हैं। राजस्थानी भाषा दुनिया की सबसे समृद्ध वोकैबुलरी वाली भाषा है। 11वीं शताब्दी के गद्य और पद्य दोनों के उल्लेख इस भाषा में मिलते हैं। 14वीं शताब्दी का साहित्य भी इस भाषा में उपलब्ध है। ऐसी भाषा को, जिस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या आज नौ करोड़ है, उन नौ करोड़ लोगों की भाषा को संविधान की अनुसूची में दर्ज नहीं किया गया है। पिछली सरकार के समय में तत्कालीन गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी और गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश

जायसवाल जी ने लोक सभा की कार्यवाही के दौरान इस बात का आश्वासन दिया था कि शीघ्र इस भाषा को अनुसूची में दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज किया जाए।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** श्री सुनील कुमार सिंह, श्री सी.आर. चौधरी और श्री सुमेधानंद सरस्वती को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**श्री पी.आर. सुंदरम (नामावकल):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चेन्नई मीनंबक्कम हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल एक-दूसरे से सटे हुए हैं। नये टर्मिनल पिछले तीन वर्षों से काम कर रहे हैं। इससे पहले 12 बार छतें गिरीं, 13 बार स्वचालित शीशे के दरवाजे टूटे और 11 बार बैरियर शीशे टूटे।

छत गिरने की घटनाओं के बारे में विभिन्न लोगों की बार-बार शिकायतों के कारण, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री अशोक गजपति राजू जी चेन्नई हवाई अड्डे पर आए और हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। मंत्री जी के दौरे के बाद, छत 41वीं बार ढह गई।

कुछ दिन पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री महेश शर्मा जी चेन्नई हवाई अड्डे पर आए थे और आश्वासन दिया था कि छतों के गिरने और शीशों के टूटने को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मंत्री जी के दौरे के बाद 30 अप्रैल 2015 को 42<sup>वीं</sup> बार छत गिर गई।

इसलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से इस मामले में तेजी लाने का अनुरोध करता हूँ ताकि छत गिरने की लगातार घटनाओं को हल किया जा सके और हवाई अड्डा परिसर के अनियमित और निम्न गुणवत्ता के निर्माण के लिए बिल्डर के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

**रात्रि 8.00 बजे**

**श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक गंभीर विषय पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के नौगढ़ ब्लॉक में वनक्षेत्राधिकारी रेंजर एवं ऊपर के वन आधिकारियों की मिलीभगत से हजारों एकड़ जंगल के जमीन का आतिक्रमण कराया गया है एवं आये हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आतिक्रमण नहीं हटाया गया है। 08.02.2015 को केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रियों को मेरी ओर से इस विषय में जांच हेतु लिखित सूचना दी गयी थी। अभी तक जांच नहीं हुई है। वहां के रेंजर गरीबों को उजाड़ते हैं तथा अमीरों को बसाते हैं। रुपये-पैसे लेकर चावल लेते हैं। हर साल वे यही काम करते हैं। नौगढ़ में वहां के रेंजर उस समय की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जैसा कि वर्ष 2004 में नौगढ़ में वन विभाग तथा रेंजर की इन्हीं गलतियों के कारण लगातार तीन दिनों 16, 17 एवं 18 तारीख तक वन दरोगा समेत सीआरपीएफ के 17 जवान मारे गये थे। वैसी ही गलती वर्तमान रेंजर द्वारा की जा रही है।

मैं सदन के माध्यम से इस विषय में उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग करता हूँ तथा प्रदेश सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग करता हूँ।

[अनुवाद]

**माननीय उपाध्यक्ष:** सभा कल, 6 मई 2015 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**रात्रि 8.01 बजे**

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 मई 2015 / 16 वैशाख, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

### इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/lc>

### लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

---

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के  
अन्तर्गत प्रकाशित

---